ा माला, खंड 11, अंक 2

FOR REFERNCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000
30 कार्तिक, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पाँचवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 51
Date 14.6.2001

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डॉ० रामनरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पाँचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000/30 कार्तिक, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	3-39
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 454	39-321
सभा पटल पर रखे गए पत्र	323-325
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	325-326
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
''पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन'' के बारे में	
श्री राम नाईक	326-329

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) -
मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000/30 कार्तिक, 1922 (शक)

का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
29	4	डा॰राजेश्वरम्मा वुक्कला	डा॰ राजेश्वरम्मा वुक्कला
41	9		
50 और अन्यत्र	1	श्री सत्यव्रत मुखर्जी	श्री सत्यव्रत मुखर्जी
136	नीचे से 9	डी॰ए॰एन॰आई॰एस॰	डी॰ए॰एन॰आई॰सी॰एस॰
167	15	श्री गुनीपाती रामैया	श्री गुनीपाटी रामैया

लोक सभा

मंगलवार, 21 नवम्बर, 2000/30 कार्तिक, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में किसान बर्बाद हो रहा है।...*(व्यवधान)* आज उत्तर प्रदेश के अन्दर किसान का धान 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर उनको लूटा जा रहा है।...*(व्यवधान)* किसान बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्षपीठ द्वारा इस संबंध में विनिर्णय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय एन्ड्रयु साठथकॉट, संसद सदस्य आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

यह शिष्टमंडल शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2000 को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद व लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से आस्ट्रेलिया की संसद के अध्यक्ष तथा वहां की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा प्रश्न-काल आरम्भ करेगी। प्रश्न संख्या 21, श्री राजो सिंह।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. टैलीकास्ट बंद कर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी सुनेंगे, पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ऐसे नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

पूर्वाह्न 11.04 बजे

इस समय कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूं लेकिन आप लोग मुझे सुनने नहीं दे रहे हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा बंद कर दें।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षण योजनाएं

*21. **श्री राजो सिंह :***
कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा प्रणाली का पुनर्विन्यास करने तथा कोई रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक शिक्षा योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु सम्बद्ध किए जाने वाले समूहों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत गरीब छात्रों को प्रवेश देने की कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में रोजगार उन्मुख व्यावसायिक शिक्षा घटक शुरू करने की व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हाल ही में जारी विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्यढांचे ने जीवन कौशलों के साथ शिक्षा को जोड़ने की सिफारिश की है, जो किसी भी व्यवसाय और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इस पाठ्यक्रम कार्यढांचे में कार्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा पद्धति का एक एकीकृत घटक बनाने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया है। रोजगार-उन्मुख शिक्षा पद्धति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में सरकार औपचारिक शिक्षा में विद्यालय स्तर पर विद्यालय छोड़ने वालों और लाभवंचित समूहों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से, प्रौढ़ साक्षरों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से 'जन शिक्षण संस्थान' योजना के द्वारा अनेक योजनाएं चला रही है।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की हाल ही में समीक्षा की गई है और इसे पुनः संचालित किया गया है तथा इसका आबंटन 1999-2000 में 10.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्तमान वर्ष (2000-2001) में 35 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में अपेक्षित वर्कशैड के निर्माण, उपस्कर, कच्चा माल आदि के लिए अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना में 6,728 स्कूल शामिल किए गए हैं जिनमें 19,455 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में सुदूर शिक्षा माध्यम द्वारा 7 व्यापक विषय क्षेत्रों में छमाही तथा एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। समुदाय पोलिटेक्नीक योजना के अन्तर्गत 516 पोलिटेक्नीक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और लगभग 9 लाख बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचा है। 58 जन शिक्षण संस्थाएं प्रौढ़ साक्षरों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई हैं और उन्हें गैर सरकारी संगठनों की सहायता से संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्यवसायीकरण की योजना कार्यान्वित कर रहा है और अब तक 35 विश्वविद्यालयों में 1,635 कालेज शामिल किए गए हैं। इन योजनाओं की अधिकांशतः निर्धन छात्रों के लिए लक्षित किया गया है और शून्य अथवा नाममात्र का शिक्षा शुल्क वसूल किया जाता है।

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह सब विभिन्न आयोगों, समितियों तथा दलों के माध्यम से शैक्षिक पद्धति की सतत-समीक्षा के कारण हुआ है। वास्तव में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा जिसे कुछ दिन पूर्व जारी किया गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सम्पूर्ण समीक्षा और एक देशव्यापी वाद-विवाद जिसमें देश के सभी प्रमुख शिक्षाविदों ने भाग लिया का परिणाम है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की आपरेशन रिसर्च ग्रुप (1996), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (1998) और अनुसंधान, आयोजना तथा कार्रवाई केन्द्र (1999) जैसी एजेन्सियों द्वारा तीन बार समीक्षा की गई है। ऐसी समीक्षाएं एवं मूल्यांकन एक सतत् प्रकिया है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों का उपयोग न किया जाना

*22. डा० जसवंतसिंह यादव :

श्री जी०एस० बसवराज :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शहरी और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के बीच विषमता को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित करोड़ों रुपये गांवों में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अध्ययन रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(च) इस प्रयोजन हेतु मानदण्ड का पालन न करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा निधियों से वंचित किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(छ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निधियों का उपयोग नहीं किया है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा, यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्यों द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाए और निधियों के प्राप्त होते ही तत्काल कार्य आरंभ किया जाए, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ज) संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण-शहरी विषमता से संबंधित भारत की विकास नीति का एक अनिवार्य घटक रहा है जिसको कम करने के लिए (लोगों के औसत जीवन स्तर सहित) कृषि और ग्रामीण विकास पर बहुत बल दिया जा रहा है ताकि कृषि उत्पादकता और परिवहन, संचार और विपणन सहायता के रूप में उन्नत सम्पर्क के जरिए गांवों के साथ एकीकरण के स्तर को बढ़ाया जा सके। एक समयबद्ध तरीके से स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, आश्रय तथा सम्पर्क का प्रावधान करना नौवीं पंचवर्षीय योजना के व्यापक उद्देश्य हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, पेयजल, लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और पोषाहार के प्रावधान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्रता से सड़क सम्पर्क मुहैया कराने के लिए शुरू की जा रही है।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुछ निश्चित केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराये हैं जिनमें से कुछ के बारे में मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष विवरण के रूप में संलग्न हैं। राज्य, जिनको विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए पूरा केन्द्रीय आबंटन नहीं मिल पाया था ये प्रदेश हैं : अरुणाचल प्रदेश (97.47 प्रतिशत), असम (79.83 प्रतिशत), बिहार (75.84 प्रतिशत), गोआ (54.53 प्रतिशत), जम्मू व कश्मीर (80.53 प्रतिशत), कर्नाटक (97.56 प्रतिशत), केरल (91.99 प्रतिशत), महाराष्ट्र (99.77 प्रतिशत), मणिपुर (37.56 प्रतिशत), मेघालय (62.57 प्रतिशत), नागालैंड (98.98 प्रतिशत), पंजाब (99.28 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (92.28 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (65.31 प्रतिशत)। जिन राज्यों ने 1999-2000 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों के 85 प्रतिशत से कम (स्वीकार्य कैरी ओवर 15 प्रतिशत है) का उपयोग किया था, ये हैं : असम (65.79 प्रतिशत), बिहार (67.39 प्रतिशत), जम्मू व कश्मीर (59.70 प्रतिशत), कर्नाटक (81.99 प्रतिशत), केरल (76.11 प्रतिशत), मणिपुर (59.29 प्रतिशत), मेघालय (63.16 प्रतिशत), मिजोरम (80.56 प्रतिशत), नागालैंड (79.06 प्रतिशत), उड़ीसा (58.49 प्रतिशत), पंजाब (64.92 प्रतिशत), राजस्थान (74.08 प्रतिशत), सिक्किम (53.17 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (73.34 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (69.54 प्रतिशत)।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक तंत्र के जरिए निगरानी की व्यापक प्रणाली है जैसे आवधिक प्रगति रिपोर्ट, राज्यों के अधिकारियों और मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, निष्पादन समीक्षा समिति और वीडियो सम्मेलन ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का समय पर उपयोग किया जा सके। निधियों की रिलीज, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्रियों को समय-समय पर इस बात के लिए कहा जाता है कि निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए और दूसरी किस्त की रिलीज

के प्रस्ताव विलम्ब से प्रस्तुत होते हैं तो मंत्रालय ने "ग्रेडेड कट्स" की प्रणाली (राज्यों के आबंटन में) शुरू की है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान कराए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष

1. पुराने लाभार्थियों के लगभग 85 प्रतिशत ने 6400/- रुपये की पहली वाली गरीबी की रेखा से पार कर लिया है और 46 प्रतिशत से कुछ अधिक ने 11000/- रुपये की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

2. गरीबी रेखा पार करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के भी इसी प्रकार के परिणाम हैं।

3. पुराने लाभार्थियों के 75 प्रतिशत से कुछ ज्यादा ने और नए लाभार्थियों के 93 प्रतिशत ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिसम्पत्तियों के किसी भी तरह के विक्रय की सूचना नहीं दी।

4. प्राथमिक मध्यवर्ती और तृतीय क्षेत्रों को मिलाकर पुराने लाभार्थियों की औसत आय 2498/- रुपये थी।

5. पुराने लाभार्थियों के 94 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा और नए लाभार्थियों के 87 प्रतिशत के मामले में उत्पादक परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता अच्छी बताई गई है।

6. 71 से 78 प्रतिशत लाभार्थियों ने परिसम्पत्तियों के खरीदने के लिए दी गई सहायता को पर्याप्त बताया।

7. 14 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा महिला मुखिया वाले परिवारों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त की है। लगभग 51 प्रतिशत गांवों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ा गईं।

8. ग्राम सभा ने केवल 26 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन किया।

9. कर्मचारियों ने 56 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन किया।

10. केवल 48 प्रतिशत परिसम्पत्तियों का बीमा कराया गया।

11. 24 प्रतिशत मामलों में ऋण मंजूर करने में केवल एक माह का समय लगा।

12. 45 प्रतिशत लाभार्थियों ने मामले का अनुवर्तन करने के लिए दो अथवा अधिक हफ्ते की मजदूरी का नुकसान होने की सूचना दी।

13. 42 प्रतिशत लाभार्थियों ने परिसम्पत्तियों का इस्तेमाल न होने की सूचना दी।

14. 55 प्रतिशत में बकाया होने की सूचना दी गई जिसमें से 23 प्रतिशत के जानबूझकर चूककर्त्ता होने की सूचना दी गई।

15. 22 प्रतिशत लाभार्थियों ने सूचित किया कि आई.आर.डी. सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार/बैंक स्टाफ को प्रतिफल के रूप में भुगतान करना चाहता है।

1999 में प्रायोजित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

1. परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिए सहायता प्राप्त करने वालों में से ज्यादातर योजना से समुचित आय कमा रहे थे।

2. रोजगार के दिनों और आय में वृद्धि होने से लोगों के खान-पान में बेहतर गुणवत्ता आई है।

3. कर्मिकों और संसाधनों की कमी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख बाधा है।

4. लक्षित समूह गांवों में बेहतर जीवन बिता रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि गरीब लोगों के रहन-सहन का उत्थान करने में ये कार्यक्रम पहले लाभकारी रहे हैं।

5. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, अभिलेखों के रख-रखाव और डाटावेस के रख-रखाव में सुधार की जरूरत है।

6. अनेक समस्याओं के बावजूद, गरीबी उपशमन कार्यक्रम का निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। सभी अंशधारियों ने सूचित किया है कि भले ही थोड़ा-थोड़ा करके किन्तु पिछले तीन वर्षों में गांवों में निश्चित तौर पर प्रगति हुई है और यह विशेष रूप से सड़क, जल प्वाइंट, स्कूल जैसे आवश्यक भवनों आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन की वजह से संभव हुआ है। यहां बुनियादी जरूरतों और अन्य गृहस्थी के खर्चों में बढ़ोत्तरी की सूचना मिली है। अधिकांश मामलों में, अतिरिक्त आय बच्चों की शिक्षा में लगाई गई है। दस लाख कुंओं की योजना के लाभार्थियों ने फसल की उत्पादकता में वृद्धि और कृषि आय में वृद्धि की सूचना दी है।

7. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अधिकांश लाभार्थियों को लाभ मिला है, 43 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं थीं। योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें पेंशन नियमित रूप से नहीं दी जाती है।

8. व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने के लिए व्यावसायिक और यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है भले ही यह लाभार्थियों के लिए हो या गांव के लिए।

9. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से आने वाले लाभार्थियों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मिलने में बहुत मुश्किल हुई। गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रामीण उद्यमिता के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने और लाभार्थियों में जागरुकता पैदा करने की जरूरत है।

10. विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहचान की गई अधिकांश परियोजनाएं परियोजना की लागत गैर-वैज्ञानिक तरीके से निश्चित करने की वजह से समस्याग्रस्त हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में घाटा

*23. श्री अनंत नायक :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों, विशेषकर राउरकेला इस्पात संयंत्र के घाटे में चलने के कारणों का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के निजीकरण के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु जनता या उड़ीसा सरकार से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(च) उक्त संयंत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र में अधिक लागत और समय, जो हानि के घटकों में से एक हैं, के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) से (च) सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन

*24. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री 22 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 4596 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत राज्यवार, प्रतिवर्ष क्या वास्तविक उपलब्धियां रहीं;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान वित्तीय व्यय और वास्तविक उपलब्धियों के अनुपात में यदि कोई परिवर्तन किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। देश की ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की रूपरेखा बनाने, मंजूर करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश की कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई ग्रामीण बसावटों की कवरेज के रूप में राज्यवार वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धि की तुलना में वित्तीय खर्च का अनुपात वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 29 प्रतिशत और 74 प्रतिशत बढ़ा है।

(ग) हालांकि अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन हाल के वर्षों में खर्च में वृद्धि होने का कारण यह हो सकता है कि कवरेज के लिए ली गई बसावटों की स्थिति कठिन थी। शेष बची बसावटें अधिकतर या तो स्रोत विहीन/अपर्याप्त स्रोत वाली बसावटें हैं अथवा कठिन भू-भाग, मरुभूमि क्षेत्रों, कठिन चट्टानी क्षेत्रों, आदि में हैं अथवा वहां के स्रोत गुणवत्ता प्रभावित हैं जिसके कारण योजनाओं में पूंजी अधिक लगती है। हैंडपंपों की तुलना में नलों से जलापूर्ति महंगी योजनाओं को पसंद किए जाने से भी पूंजी लागत में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त पेयजल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीके से भू-जल निकालना हाल के वर्षों के दौरान भू-जल स्तर में तीव्र गिरावट आने के कारणों में से एक प्रमुख कारण रहा है। इससे जहां एक ओर पेयजल के लिए अतिरिक्त निवेश जरूरी हो जाता है, वहीं दूसरी ओर अधिक से अधिक जल स्रोतों के गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, मुद्रास्फीती और प्राकृतिक आपदाएं भी खर्च में वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बसावटों की कवरेज को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2897	3400	3100
2.	अरुणाचल प्रदेश	317	101	300

1	2	3	4	5
3.	असम	1752	2707	3460
4.	बिहार	11371	8485	864
5.	गोवा	18	20	26
6.	गुजरात	1393	1806	1656
7.	हरियाणा	650	733	683
8.	हिमाचल प्रदेश	1407	1295	1643
9.	जम्मू व कश्मीर	500	685	423
10.	कर्नाटक	9507	8451	5626
11.	केरल	530	522	392
12.	मध्य प्रदेश	19427	16351	10579
13.	महाराष्ट्र	6491	10348	4690
14.	मणिपुर	338	225	44
15.	मेघालय	482	481	390
16.	मिजोरम	185	190	210
17.	नागालैंड	27	62	44
18.	उड़ीसा	7350	7318	4968
19.	पंजाब	268	155	216
20.	राजस्थान	5436	5540	6158
21.	सिक्किम	121	130	108
22.	तमिलनाडु	4531	7974	6300
23.	त्रिपुरा	442	764	746
24.	उत्तर प्रदेश	37288	28117	15572
25.	पश्चिम बंगाल	4194	6916	6191
26.	अंडमान निकोबार	11	15	15
27.	दादरा व नगर हवेली	45	63	70
28.	दमन व दीव	3	0	0
29.	दिल्ली	0	62	0
30.	लक्षद्वीप	3	3	3
31.	पांडिचेरी	10	14	7
	कुल	116994	112933	74484

•अनन्तिम

मध्याह्न भोजन योजना

•25. **मोहम्मद अनवारुल हक :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के आंशिक कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्न निर्गम करने के मामले में भारतीय खाद्य निगम की चूक को जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए अन्य कौन से कारण जिम्मेवार हैं; और

(घ) सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूर्ण और सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यान्वयन एजेंसियां तथा परिवहन एजेंसियां जैसी विभिन्न एजेंसियां जुड़ी हैं। जुलाई से सितम्बर, 1998 की अवधि को छोड़कर भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की आपूर्ति सामान्यत: नियमित होती जा रही है, किन्तु भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा के आंकड़ों तथा जारी की गई निधियों के समायोजन से जुड़ी समस्याओं के कारण जुलाई से सितम्बर, 1998 में अस्थाई तौर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोक दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न के पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दाखिला संबंधी आंकड़ों को देर से भेजना, अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम खाद्यान्न

उठाया जाना, उठाए गए खाद्यान्नों तथा उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा के आंकड़े जिनमें एक माह के दौरान शामिल किए गए स्कूलों तथा लाभग्राहियों की संख्या का उल्लेख हो, को न भेजना अथवा उनके भेजने में विलम्ब करना और गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश (174 जनजातीय ब्लाक), उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और दिल्ली को (जहां पका-पकाया भोजन दिया जा रहा है) को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पके-पकाए भोजन कार्यक्रम की व्यवस्था न कर पाना आदि कारण इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम ने अपने सभी आंचलिक कार्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सरलीकृत मानीटरिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभी भी पका-पकाया भोजन प्रदान करने का कार्यक्रम लागू नहीं हो सका है, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजनार्थ तत्काल संसाधन जुटाएं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जांच आयोग

*26. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री मोहसिना किदवई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए गठित एम.के. मुखर्जी जांच आयोग के विचारार्थ विषय क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग के साथ सहयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सुनवाई की विभिन्न तारीखों पर शपथ पत्र दाखिल करने और गवाही देने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों और वकीलों के आयोग के सम्मुख उपस्थित न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने और उससे जुड़ी बाद की घटनाओं से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई है या वे जीवित हैं,

(ख) यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या वे विमान दुर्घटना में मारे गए, जैसा कि कहा गया है,

(ग) क्या जापानी मंदिर में रखी गई अस्थियां नेताजी की अस्थियां हैं,

(घ) क्या उनकी मृत्यु किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य स्थान पर हुई, यदि ऐसा है तो कब और कैसे,

(ङ) यदि वे जीवित हैं तो, उनका ठौर-ठिकाने के बारे में,

आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि नेताजी की मृत्यु या अन्यथा से जुड़े प्रश्न से संबंधित प्रकाशनों की संवीक्षा, केन्द्र सरकार द्वारा इन परिस्थितियों में किस तरीके से की जा सकती है।

(ख) और (ग) सरकार, न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग को पूरा सहयोग दे रही है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से अब तक चार शपथपत्र दायर किए गए हैं। आयोग के समक्ष शपथपत्र दायर करने/सुनवाई के संबंध में समय-समय पर पांच अधिकारी पेश हुए।

आयोग के निदेशों के अनुपालन में कुछेक मामलों में, संबंधित मंत्रालयों इत्यादि के साथ, दस्तावेजों के वर्गीकरण/परामर्श करने की प्रकिया के कारण विलम्ब हुआ।

आयोग के समक्ष केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति कर ली गई है।

(घ) आयोग की बढ़ाई गई अवधि 14.5.2001 है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

*27. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आसूचना तंत्र बढ़ते आतंकवाद से निपटने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में स्थिति पर नियंत्रण के लिए आतंकवाद से निपटने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नागरिक, भारतीय सैनिक और आतंकवादी मारे गए; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य की समस्या को सुलझाने के लिए क्या नई पहल की गई है अथवा की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आसूचना एजेन्सियां, जम्मू और कश्मीर राज्य में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों की विघटनकारी और विनाशकारी गतिविधियों का मुकाबला कर रही हैं। वे एक-दूसरे और सुरक्षा बलों के साथ ताल-मेल करके कार्य कर रही हैं और सुरक्षा बलों को कार्रवाई योग्य आसूचना जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के संबंध में महत्वपूर्ण सामरिक, रणनीतिक और संक्रियात्मक आसूचना जानकारी का विभिन्न स्तरों पर आदान-प्रदान किया जा रहा है तथा उस पर एकीकृत मुख्यालय और जम्मू और कश्मीर के भीतर और भारत सरकार, दोनों के स्तरों पर आप्रेशन और आसूचना ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन मजबूत करना, उग्रवादियों और उनके समर्थकों के विरुद्ध भीतरी प्रदेश में प्रतिकारी कार्रवाइयां, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, एकीकृत मुख्यालय के आप्रेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे और विभिन्न निचले स्तरों के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर उपलब्ध कराना और बिखरी और अल्पसंख्यक आबादी आदि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाना शामिल है।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं–

नवम्बर, 1999 से अक्तूबर, 2000 तक

(i)	मारे गए सिविलियन	689
(ii)	मारे गए सुरक्षा कर्मी	408
(iii)	मारे गए उग्रवादी	1499

(घ) सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का सामना करने के लिए अपनी बहुआयामी नीति अपनाए हुए है जिसमें न केवल आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिकारक कार्रवाई शामिल है बल्कि वहां आर्थिक विकास को तेज करने और जम्मू और कश्मीर के लोगों की वास्तविक परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाना भी शामिल है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के उन सभी लोगों जो हिंसा के मार्ग से दूर रहना चाहते हैं, के साथ बातचीत करने की अपनी मंशा से अवगत कराया है। जम्मू और कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में सरकार ने सुरक्षा बलों को रमजान के आ रहे मुबारक महीने के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष अभियान न चलाने का निदेश दिया है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा योजना

•**28. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा योजना विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और इस पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या गुजरात राज्य में इस योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग कर उसे अन्य योजनाओं में खर्च किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं से लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या और विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियां राज्यवार तथा वर्षवार

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वितों की संख्या		जारी की गई निधियां	
		1998-99	1999-2000	1998-98	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.64	42.88	114.52	872.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1.87	2.40	195.61	332.99
4.	बिहार	6.91	2.99	347.39	241.21
5.	गोवा	—	—	4.61	0
6.	गुजरात	0.18	2.87	105.25	806.84
7.	हरियाणा	0.60	0.73	55.50	89 40
8.	हिमाचल प्रदेश	0.17	1.05	63.86	40.52
9.	जम्मू व कश्मीर	0.52	1.06	130.04	59.00
10.	कर्नाटक	9.59	6.99	84.39	581.06
11.	केरल	0.19	6.09	48.34	369.35
12.	मध्य प्रदेश	8.71	3.04	636.25	231.54
13.	महाराष्ट्र	3.59	12.41	467.71	526.85
14.	मणिपुर	0.26	0.23	25.55	8.70
15.	मेघालय	0.18	0.00	16.00	12.50
16.	मिजोरम	—	0.09	49.52	0
17.	नागालैंड	—	—	27.89	0
18.	उड़ीसा	1.60	2.45	206.91	301.77
19.	पंजाब	0.32	0.00	42.98	58.33
20.	राजस्थान	18.63	17.37	359.73	1124.96
21.	सिक्किम	—	—	0	0
22.	तमिलनाडु	1.76	17.77	120.17	169.97
23.	त्रिपुरा	0.04	0.00	61.32	10.00
24.	उत्तर प्रदेश	12.54	22.46	728.37	739.94
25.	पश्चिम बंगाल	1.15	46.11	1937.06	357.00
26.	चण्डीगढ़	0.06	0.05	57.86	14.60
27.	दिल्ली	0.59	0.17	32.25	138.20
28.	पांडिचेरी	—	0.35	0	0
29.	दमन और दीव	—	—	0	0.80
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	5.81	0

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा व नगर हवेली	—	—	0	0
32.	लक्षद्वीप	—	—	3.21	0
	कुल	73.10	189.56	5928.10	7087.77

अनधिकृत निर्माणों को तोड़ना

*29. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और अक्तूबर, 2000 के मध्य विभिन्न अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, सरकार का विचार, फार्म हाउसों, मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के बंगलों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में बनाये गये अनधिकृत निर्माणों को तोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो जिन बंगलों/अनधिकृत निर्माणों का पता लगाकर उन्हें अब तक तोड़ दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है और पांच महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी बाकी अनधिकृत निर्माणों को न तोड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में फार्म-हाउसों और अन्य स्थानों से अनधिकृत निर्माणों को हटाने से सरकार के समक्ष कोई कठिनाई आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करके इस शहर से भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है और ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा इस बाबत संगत कानूनों और नियमों के तहत की जाती है। इस बारे में मंत्रालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को कारगर कार्रवाई करने की जरूरत पर ध्यान दिलाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। यह कार्यवाही हाल ही में 28.8.2000 को व्यापक निर्देश जारी करके दोहराई गयी है ताकि दिल्ली में सभी प्रकार के अनधिकृत/अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी और क्रमबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जहां तक फार्म हाउसों की बात है, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये गये हैं कि इनके बारे में भी व्यापक सर्वे करें ताकि अन्य के साथ-साथ वहां अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाया जा सके। इस कार्यवाही को शीघ्र अंजाम देने और उसकी निगरानी करने के उद्देश्य से मंत्रालय में भी एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है। सर्वेक्षण के दौरान कुछ ऐसी बाधाएं पेश आई हैं, जो राजस्व रिकार्ड की संख्या के फार्म हाउसों की वास्तविक संख्या के बराबर न होने, हस्तांरण आदि के कारण हकूक परिवर्तन तथा वास्तविक मालिकों या मौजूदा कब्जाकारों के प्राय: मौके पर सुलभ न होने के कारण हैं। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाने तथा फार्म मालिकों के मौके पर मौजूद न होने या उनके सहयोग न देने की हालत में भी उनकी संपत्तियों में नियमानुसार प्रवेश करके जांच-पड़ताल के उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। आशा है कि इन उपायों द्वारा फार्म हाउसों में अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी तथा इस बारे में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिये गये हैं।

सामान्य पूल रिहायशी वास के बारे में, एस.आर. 317-बी-21 के प्रावधानों के तहत आबंटियों को 480 नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें उन्हें अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और ऐसा न करने पर उन्हें आबंटन रद्द होने की चेतावनी भी दी गयी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी की जाए, जिसके द्वारा आबंटियों से अनधिकृत निर्माण 15 दिन के अन्दर हटाने की अपेक्षा की जाए, ऐसा न करने पर आबंटन रद्द हुआ समझा जाएगा तथा आबंटन प्राप्त कर्मियों को, विभागीय कार्रवाई एवं लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों) की बेदखली अधिनियम के तहत सरकारी वास से बेदखल करने के अलावा भविष्य में सरकारी वास के आबंटन से वंचित कर दिया जाएगा।

जहां तक सांसदों के रिहायशी वासों की बात है, जहां कहीं अनधिकृत निर्माण देखे गये हैं, वहां उन्हें समुचित कार्रवाई हेतु लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के ध्यान में लाया गया है। मंत्रियों के बंगलों में, विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, उनकी कार्यात्मक आवश्यकताओं और कार्यालयीन अपरिहार्यताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी किस्म के कतिपय अतिरिक्त निर्माणों की अनुमति दी गयी है।

(ङ) दिल्ली से आबादी की भीड़भाड़ कम करने के लिए सरकार ने 9 केन्द्र सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने की पहचान की है। चूंकि इन कार्यालयों का दिल्ली से बाहर अंतरण अनेक कारकों, यथा जमीन की उपलब्धता, वैकल्पिक भवनों के निर्माण आदि पर निर्भर

करता है, अत: ऐसी कोई सुनिश्चित समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्गत इन कार्यालयों को अंतरित कर दिया जाएगा।

कोल इंडिया लिमिटेड में जनशक्ति का इष्टतम उपयोग

*30. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कोल इंडिया लिमिटेड' ने अपनी उपलब्ध जनशक्ति का इष्टतम उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'कोल इंडिया लिमिटेड' ने अपने फालतू कार्मिकों की संख्या का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने फालतू कार्मिकों की पुन: तैनाती के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. ने वार्षिक कार्ययोजना तैयार की है जिसमें उत्पादन तथा उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा व्यक्तियों की तैनाती का विवरण दिया गया है ताकि उनका सफल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) 1.4.2000 को उत्पादन/उत्पादकता लक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित अधिशेष कर्मचारियों का पता लगा लिया गया है :

1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईकोलि)	7,185
2.	भारत कोकिंग कोल लि. (भाकोकोलि)	7,966
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेंकोलि)	8,553
	जोड़	23,704

अधिशेष जनशक्ति का अनुमान इस कल्पना पर आधारित है कि वर्तमान में चालू सभी खानें काम करती रहेंगी तथा खनन की विद्यमान विधियों का पालन करती रहेंगी। तथापि ई.को.लि., भा.को.को.लि. तथा सें.को.लि. में क्षेत्रों/खानों के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। पुनरुद्धार कार्यनीति के भाग के रूप में अत्यधिक हानि उठा रही खानों के बंद किए जाने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है। ऐसे पुनर्गठन/खानों को बंद किए जाने की स्थिति में फालतू कामगारों के अनुमान में काफी परिवर्तन हो सकता है।

(ङ) और (च) (i) अधिशेष कामगारों को जरूरत अनुसार सहायक कंपनियों में पुन: तैनात किया जाता है या उन्हें एक से दूसरी अनुषंगी कंपनियों में स्थानांतरित किया जाता है।

(ii) कामगारों को अतिरिक्त मुआवजा देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन निवृत्त होने का विकल्प भी दिया जाता है।

(iii) प्राकृतिक वियोजन के कारण हुई रिक्तियों को नहीं भरा जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट

*31. श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके अनुसार वर्ष 2010 तक देश में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में वृद्धि जनसंख्या विकास दर से ज्यादा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो 1999-2000 के दौरान देश के बड़े शहरों में महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकार के अपराधों विशेषकर बलात्कार और उत्पीड़न संबंधी अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। ब्यूरो के एक सांख्यिकीय अधिकारी ने प्रोजेक्टिड क्राईम सिचुऐशन विषय पर एक लेख लिखा है। उनके मतानुसार 'बलात्कार' का अपराध 1998 की तुलना में 2010 में 55.7% ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उनके द्वारा जनसंख्या में सदृश वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तथापि, यह केवल लेखक का अपना व्यक्तिगत आकलन है, न कि सरकारी मत।

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, अत: अपराध को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल, पता लगाना और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, समय-समय पर, दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने और महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध को रोकने के लिए यथावश्यक उपाय करने हेतु सलाह भेजती रही है।

विवरण

वर्ष 2000 के दौरान बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	शहर	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज हत्या	पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न (महिलाओं के साथ छेड़खानी)	लड़कियों का आयात	सती निवारण अधिनियम	आई.टी.पी. एक्ट	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम	दहेज निषेध अधिनियम	जोड़	आकड़े इस माह तक के हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अहमदाबाद	11	70	22	368	38	27	0	0	1	23	0	560	जुलाई
2.	बंगलौर	18	43	46	191	168	35	0	0	221	0	188	910	सितम्बर
3.	भोपाल	67	39	11	80	144	27	0	0	2	0	1	371	सितम्बर
4.	कलकत्ता	19	40	10	100	101	31	0	0	30	0	0	331	जुलाई
5.	चेन्नै	3	0	17	81	24	593	0	0	2138	251	0	3107	सितम्बर
6.	कोअम्बटूर	0	10	5	22	11	46	0	0	114	0	0	208	सितम्बर
7.	दिल्ली (शहर)	295	826	101	93	440	79	0	0	76	0	2	1912	सितम्बर
8.	हैदराबाद	40	24	26	555	73	279	0	0	10	400	0	1407	सितम्बर
9.	इन्दौर	37	39	18	119	95	208	0	0	1	0	2	519	सितम्बर
10.	जयपुर	22	96	15	265	101	1	0	0	15	0	0	515	अगस्त
11.	कानपुर	15	72	90	79	29	100	0	0	0	0	0	385	जुलाई (फर., मार्च)
12.	कोच्ची	1	5	0	34	36	2	0	0	4	0	0	82	सितम्बर
13.	लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	उपलब्ध नहीं
14.	लुधियाना	23	24	6	175	8	0	0	0	3	2	0	241	सितम्बर
15.	मदुरै	8	8	4	32	19	78	0	0	154	0	2	305	सितम्बर
16.	मुम्बई	86	124	9	129	169	6	3	0	105	0	0	631	अक्तूबर
17.	नागपुर	27	39	8	160	59	21	0	0	4	2	3	323	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	पटना	10	43	24	77	60	1	0	0	1	0	7	223	सितम्बर
19.	पुणे	31	29	6	72	41	66	0	0	2	0	1	248	सितम्बर
20.	सूरत	8	33	0	89	9	0	0	0	22	0	0	161	सितम्बर
21.	वड़ोदरा	4	33	1	96	4	8	0	0	0	0	0	146	सितम्बर (अप्रैल)
22.	वाराणसी	7	16	9	45	6	56	0	0	1	0	0	140	अगस्त
23.	विशाखापत्तनम	7	8	0	116	30	595	0	0	6	0	2	764	सितम्बर

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं, कोष्ठक में दिए गए माह, उस माह के आंकड़ों की अनुपलब्धता को दर्शाते हैं।

वर्ष 1999 के दौरान बड़े शहरों में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	शहर	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज हत्या	पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न (महिलाओं के साथ छेड़खानी)	लड़कियों का आयात	सती निवारण अधिनियम	आई.टी.पी. एक्ट	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम	दहेज निषेध अधिनियम	जोड़	आकड़े इस माह तक के हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अहमदाबाद	18	138	26	489	45	27	0	0	2	0	0	745	दिसम्बर
2.	बंगलौर	29	65	54	198	219	52	0	0	292	0	266	1175	दिसम्बर
3.	भोपाल	63	24	8	83	178	37	2	0	0	0	0	395	दिसम्बर
4.	कलकत्ता	24	72	5	159	199	28	1	0	38	0	0	526	दिसम्बर
5.	चेन्नै	16	13	13	4	38	788	0	0	3357	0	0	4229	दिसम्बर
6.	कोअम्बटूर	1	22	11	17	19	89	0	0	217	0	0	376	दिसम्बर
7.	दिल्ली (शहर)	337	1043	133	93	588	150	0	0	77	10	7	2438	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	हैदराबाद	47	46	22	686	88	10	0	0	10	0	37	946	दिसम्बर
9.	इन्दौर	29	28	27	63	70	141	0	0	2	0	0	360	दिसम्बर
10.	जयपुर	38	154	27	337	115	0	0	0	16	0	0	687	दिसम्बर
11.	कानपुर	22	105	43	153	37	125	0	0	0	0	0	485	दिसम्बर (जुलाई अगस्त, सित., नव.)
12.	कोच्ची	8	3	0	56	44	3	0	0	5	0	0	119	दिसम्बर
13.	लखनऊ	14	52	22	111	24	81	0	0	0	0	0	304	जुलाई
14.	लुधियाना	27	46	15	151	4	0	0	0	1	0	0	244	दिसम्बर
15.	मदुरै	5	11	10	34	8	126	0	0	211	0	0	405	दिसम्बर
16.	मुम्बई	104	169	15	173	243	17	0	0	331	1	0	1053	दिसम्बर
17.	नागपुर	41	61	5	189	112	7	0	0	3	0	0	418	दिसम्बर
18.	पटना	17	59	23	80	35	0	0	0	0	0	7	221	दिसम्बर
19.	पुणे	50	49	2	89	75	97	1	0	3	0	0	366	दिसम्बर
20.	सूरत	11	48	3	114	15	0	0	0	25	0	0	216	दिसम्बर
21.	वड़ोदरा	9	46	10	93	30	6	0	0	0	0	0	194	दिसम्बर
22.	वाराणसी	1	5	3	15	0	20	0	0	0	0	0	44	दिसम्बर (जन., से जुलाई तक)
23.	विशाखापत्तनम	20	9	9	109	35	173	0	0	29	0	4	388	दिसम्बर

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं, कोष्ठक में दिए गए माह, उस माह के आंकड़ों की अनुपलब्धता को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए हस्तशिल्पों में सुधार

*32. डा० राजेश्वरम्मा चुक्कला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्पों में लगे ग्रामीण दस्तकारों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गांवों में हस्तशिल्पों के सुधार से संबंधित सरकार की वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गांवों में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) हस्तशिल्प में लगे ग्रामीण कारीगरों की बेरोजगारी की समस्या से निपटने तथा ग्रामीण हस्तशिल्प में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं–

(1) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,

(2) विद्यमान शिल्पियों की दक्षता बढ़ाने तथा नये शिल्पियों को दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण,

(3) डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास,

(4) विपणन तथा विपणन विकास सहायता,

(5) चयनित शिल्प वाले क्षेत्रों में शिल्प विकास केन्द्र तथा सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र,

(6) प्रदर्शनी तथा प्रचार,

(7) सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विशेष गणना कार्यक्रम,

(8) समाप्त हो रहे शिल्पों को पुनर्जीवित करना,

(9) राष्ट्रीय पुरस्कार,

(10) सामाजिक सुरक्षा योजनायें जैसे वर्क शेड और वर्क शेड तथा आवास, सामूहिक बीमा, स्वास्थ्य पैकेज, बीमा, तथा

(11) हस्तशिल्पों के लिए विशेष परियोजनायें।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों (स्वरोजगारियों) सहित सहायता प्राप्त प्रत्येक गरीब परिवार को बैंक ऋण तथा सब्सिडी, गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत ढांचा और विपणन के जरिए आय-सृजक परिसम्पत्तियां तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य शिल्पों, विशेषकर उन शिल्पों के उत्पादन आधार को बढ़ाना है जिनकी बाजार निर्यात मांग अधिक है तथा समाप्त हो रहे शिल्पों को पुनर्जीवित करना है। डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास योजना के अंतर्गत नये डिजाइनों, प्रौद्योगिकी तथा औजारों और उपकरणों को विकसित करने के लिए विभिन्न केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

विपणन तथा विपणन विकास सहायता योजना में विस्तार केन्द्रों तथा विपणन, कच्चे माल, ऋण तथा डिजाइन विकास के लिए सहायता के जरिए शिल्पियों के रोजगार अवसरों और आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से हस्तशिल्पों के विपणन का विकास, विस्तार तथा स्थायित्व के लिए उपायों की परिकल्पना की गई है। चयनित इलाकों में शिल्प विकास केन्द्र तथा सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र इस भावना के साथ कि कारीगरों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो सकें, डिजाइन मार्गदर्शन, कच्चे माल की सप्लाई, सामान्य सुविधा सेवाओं तथा विपणन नेटवर्क के संबंध में विस्तार सेवायें उपलब्ध कराते हैं। प्रदर्शनी और प्रचार योजना के अंतर्गत भारतीय हस्तशिल्पों के व्यापारिक संवर्धन हेतु विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत (और विदेशों) में प्रदर्शनियां प्रायोजित करने के अलावा निगमों, सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को प्रदर्शनियां लगाने, प्रचार सामग्री जैसे सारणियां/पुस्तिकायें/विवरणियां प्रकाशित करने तथा अल्पावधि वाली वीडियो फिल्में बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विशेष गणना कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हस्तशिल्पों तथा हस्तशिल्पियों के लिए आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यपरक तथा संवर्धन पहलुओं पर जानकारी की एक नियमित प्रणाली स्थापित करना तथा एक विश्वसनीय डाटा आधार निर्मित करना है।

इसी प्रकार, समाप्त हो रहे हस्तशिल्पों का पता लगाने, सर्वेक्षण करने और उन्हें पुन: स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा शीर्ष सहकारी समितियों को डिजाइन विकास, प्रशिक्षण, प्रायोगिक परियोजनाओं, प्रदर्शनियों तथा प्रचार जैसे उपायों के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कारीगरों तथा बुनकरों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विभिन्न उपायों जैसे वर्क शेडों, वर्क शेड तथा आवास और सामूहिक बीमा योजना के जरिए हस्तशिल्पियों के कल्याण संबंधी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मास्टर हस्तशिल्पियों को साठ वर्ष की आयु पूरी करने पर तथा दीन-हीनता की हालत में वृद्धावस्था तथा अशक्तता पेंशन दी जाती है। लकड़ी, छड़ी तथा बांस और कालीन (हाथ से बुना हुआ) के क्षेत्र में यू.एन.डी.पी. की सहायता वाली तीन परियोजनायें भी हैं जिससे इन शिल्पों पर अधिक ध्यान दिया जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कवर क्षेत्र जैसे डिजाइन, प्रौद्योगिकी, नये औजार, उत्पादन और प्रशिक्षण भी शामिल हैं।

क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के समग्र प्रभाव की वजह से गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न हस्तशिल्प गतिविधियों में लगे कारीगरों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

वन्य जीवन पर खुले मुहाने वाले खनन का प्रभाव

*33. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वन्य जीवन पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारत में खुले मुहाने वाली कोयला खनन परियोजनाओं के लिए धनराशि देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की खुले मुहाने वाली कितनी कोयला खानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विश्व बैंक द्वारा धन दिया गया;

(घ) क्या वन्य जीवन पर खुले मुहाने के खनन के प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खनन क्षेत्र पर यह सहायता रोकने का क्या प्रभाव पड़ा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ओपन कास्ट कोयला खानों की कुल संख्या 24 है और कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय और सामाजिक न्यूनीकरण परियोजना (सीएसईएसएमपी) के अंतर्गत 25 हैं जिनमें सीएसआरपी के अंतर्गत 24 खानें और एक अतिरिक्त खान (बिसरामपुर) शामिल हैं।

इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है–

झारखंड : 3 (के.डी. हेसालांग ओकाप, पारेज ईस्ट ओकाप और राजरप्पा ओकाप)

उड़ीसा : 6 (लखनपुर ओकाप, समलेश्वरी ओकाप, अनंता ओकाप, भरतपुर ओकाप, बेलपहाड़ ओकाप और जगन्नाथ ओकाप)

मध्य प्रदेश : 5 (धनपुरी ओकाप, दुधीचुआ ओकाप, निगाही ओकाप, जयंत ओकाप, और झिंगुरदा ओकाप)

छत्तीसगढ़ : 5 (बिसरामपुर ओकाप, दिपिका ओकाप, कुसुमुंडा ओकाप, मानिकपुर ओकाप और गेवरा ओकाप)

उत्तर प्रदेश : 1 (बीना ओकाप)

महाराष्ट्र : 5 (नीलजय ओकाप, सास्ती ओकाप, उमरेर ओकाप, दुर्गापुर ओकाप और पदमपुर ओकाप)

(घ) और (ङ) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा अध्ययन हेतु सलाहकार की नियुक्ति की गई है, जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

(i) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) के अंतर्गत बिहार में खनन प्रचालनों के लिए वित्त पोषित बैंक द्वारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाघ और हाथी के प्राकृतिक आवासों, प्रवसन मार्ग और जनसंख्या पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का आकलन।

(ii) कोयला खनन से हुए प्रतिकूल प्रभाव की सुनिश्चित किए जाने पर बाघ और हाथी के प्राकृतिक आवासों और जनसंख्याओं के संरक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनीकरण उपायों के आलोक में प्रबंधन योजना के विकास के लिए एक कार्यकारी कार्यक्रम की निदृष्ट करना।

सलाहकार द्वारा मार्च से नवम्बर, 2000 के दौरान अध्ययन किया गया और उन्होंने अपनी प्रारूप रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत कर दी। प्रारूप रिपोर्ट की कार्यकारिणी संक्षेप कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को उपलब्ध कर दी गई।

इस अध्ययन के संबंध में बैंक ने अपने स्मरण-पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है–

(i) अध्ययन की रिपोर्ट और कार्यकारिणी संक्षेप, दोनों में ही वर्तमान अनुभवजन्य साक्ष्य में यह निर्दिष्ट है कि बड़े परिवर्तन, जिनमें वन क्षेत्र, वन्य जीवन आवासों और प्रवसन मार्गों में भारी कमी शामिल हैं, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के शुरू किए जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे; और

(ii) इस पृष्ठभूमि के एवज में बैंक इस मामले से संबंधित किसी भी अन्य गतिविधियों को शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है।

कोइंलि बैंक की इस स्थिति से सहमत है।

कोल इंडिया के खनन कार्यक्रम पर बैंक निधि के सीएसआरपी ऋण के अवचनबद्ध भाग को निरस्त करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आतंकवाद के समाधान के लिए भारत-इजरायल का संयुक्त कार्यकारी दल

*34. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी** :
श्री के० येरननायडू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के अधिकारियों के एक दल ने सीमा पार से आतंकवाद की समस्या हल करने के लिए दोनों देशों के बीच प्रस्तावित संयुक्त कार्यकारी दल की कार्यविधियां तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के समस्याग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए इजरायल के विशेषज्ञों ने हमारे सुरक्षा संगठनों को क्या सुझाव दिए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) गृह मंत्री के इजरायल दौरे के दौरान विश्वव्यापी आतंकवाद के खतरे से संबंधित विषय पर भी चर्चा हुई।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

पर्यटकों द्वारा वीसा का दुरुपयोग

*35. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उजबेकिस्तान और मध्य एशिया से भारत आने वाले पर्यटकों द्वारा वीसा का दुरुपयोग करने के मामलों की सूचना दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा एजेंसियां इस संबंध में ऐसे पर्यटकों की गतिविधियों और दिल्ली में कुछ होटलों की भी निगरानी कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वीसा के दुरुपयोग करने के लिए और नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले कितने पर्यटकों का पता लगाया गया है; और

(ङ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। रिपोर्ट में सोने और नशीली दवाइयों की तस्करी सहित अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए पर्यटक वीजा के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) इस अवधि के दौरान वीजा के दुरुपयोग और गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए सी आई एस देशों से संबंधित 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इन व्यक्तियों के विरुद्ध संगत कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी।

गैर-मान्यताप्राप्त तकनीकी महाविद्यालय और आई०आई०टी० संस्थान

*36. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ विश्वविद्यालयों के संरक्षण में गैर-मान्यताप्राप्त तकनीकी महाविद्यालय और आई.आई.टी. संस्थान चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में राज्य-वार ऐसे कितने महाविद्यालय/संस्थान सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) देश में कुकुरमुत्ते की तरह उभर आए ऐसे संस्थानों/महाविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार द्वारा संसद के एक पृथक अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं और वे प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप ही डिग्रियां प्रदान करते हैं। तकनीकी विषयों में डिप्लोमा, डिग्री प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उन सभी तकनीकी संस्थानों का रिकार्ड रखा जाता है जो इसके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

जैसे ही किसी गैर-मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था के विद्यमान होने का पता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को चलता है तो वह उन्हें नोटिस देकर आगाह करती है कि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से या तो औपचारिक मान्यता प्राप्त करें या संस्थान को बंद कर दें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में निष्णात (एम.आई.टी.), सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री (बी.आई.टी.), बैचलर ऑफ साफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि जैसे पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से पूर्वानुमति लिये बिना ही चला रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इस मामले को विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाया है ताकि वे आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए कदाचार रोकथाम प्रकोष्ठ गठित किए हैं।

मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा इसके सात क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है और साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध है। परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जाती है जिसमें सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थानों की मान्यता संबंधी स्थिति की जांच कर लें।

पनधारा विकास परियोजनाएं

*37. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्यों में पनधारा विकास परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सरकार ने कोई समीक्षा कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत किए गए कार्य की राज्यवार क्या प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रम नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है।

जबकि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे उन क्षेत्रों, जहां पर अकसर सूखे की गंभीर स्थिति बनी रहती है, के सामने आने वाली विशेष समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में शुरू किया गया था, तथापि, मरुभूमि विकास कार्यक्रम को मरुस्थलीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु वर्ष 1997-98 में आरंभ किया गया था। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को बंजरभूमि के समेकित विकास के लिए वर्ष 1989-90 में शुरू किया गया था। (प्रो. हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली) समिति की सिफारिशों के अनुपालन में इन सभी तीनों कार्यक्रमों को 1 अप्रैल, 1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। जिन राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने, समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य स्तर और जिला स्तर पर क्रमश: राज्य वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन और समीक्षा समितियों और वाटरशेड विकास परामर्शदात्री समितियों जैसी संस्थागत व्यवस्था की गई है। भूमि संसाधन विभाग ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना निर्धारित किया है। कार्यक्रम प्रभागों द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाती है और वाटरशेड परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण विकास संबंधी राज्य संस्थाओं को निधियां जारी की जा रही हैं।

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम-वार और राज्यवार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	कार्यक्रम	राज्यों के नाम
1.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
3.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान।

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	मरुभूमि विकास कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.06	72.54	13.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	—	—
3.	असम	2.59	—	—
4.	बिहार	0.38	5.83	—
5.	गुजरात	13.45	21.84	47.12
6.	हरियाणा	2.46	—	18.59
7.	हिमाचल प्रदेश	11.84	2.12	4.35
8.	जम्मू व कश्मीर	3.36	3.72	12.96
9.	कर्नाटक	16.55	24.97	14.07
10.	केरल	1.19	—	—
11.	महाराष्ट्र	6.60	31.83	—
12.	मध्य प्रदेश	14.84	31.77	—

1	2	3	4	5
13.	मणिपुर	5.88	—	—
14.	मेघालय	0.65	—	—
15.	नागालैंड	8.50	—	—
16.	उड़ीसा	11.53	3.85	—
17.	पंजाब	0.14	—	—
18.	राजस्थान	11.96	9.78	124.29
19.	सिक्किम	6.32	—	—
20.	तमिलनाडु	9.43	18.07	—
21.	त्रिपुरा	0.70	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	37.90	27.74	—
23.	पश्चिम बंगाल	0.00	4.69	—
	योग	196.42	258.75	234.80

स्वायत्त कालेजों के लिए योजना

*38. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में स्वायत्त कालेजों की योजना लागू है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस योजना के संबंध में राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों से परामर्श/विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी राज्य योजना के बारे में सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सम्बन्धित राज्य किस-किस बात पर असहमत है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : जी, हां।

(ख) और (ग) स्वायत्त कॉलेज योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई थी ताकि कॉलेजों को शिक्षण, अनुसंधान एवं अधिगम की नई पद्धतियों से सम्बन्धित अपनी पाठ्यचर्या तैयार करने, प्रवेश हेतु अपने नियम बनाने, अपने अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षाओं का आयोजन करने में शैक्षिक स्वतन्त्रता प्रदान की जा सके और इस प्रकार तृतीयक शिक्षा में नवाचार और उच्चतर मानकों का संवर्धन हो सके। इस योजना पर विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।

(घ) और (ङ) स्वायत्त कॉलेज सिद्धान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) में शामिल है जो संसद द्वारा अनुमोदित है। देश में स्वायत्त कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अग्रिम जमानत का दुरुपयोग

*39. **श्री राम टहल चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत के प्रावधान का अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) बालचन्द जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 366 के मामले में, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दी गई शक्तियां असाधारण स्वरूप की हैं और इनका प्रयोग केवल यदा-कदा और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए। तथापि, यह मामला केवल न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में ही आता है।

[अनुवाद]

वीसा मानदण्डों का सरलीकरण

*40. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए वीसा मानदण्डों को सरलीकृत करने/उदार बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) पर्यटक वीजा प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार की पहले ही उदार नीति है। पर्यटक वीजा उदारतापूर्वक प्रदान करने हेतु विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। चार या इससे अधिक के ग्रुप में वायुयान अथवा पानी के जहाज से बगैर वीजा के पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों को भी, उनके पहुंचने के बन्दरगाह पर, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 60 दिन तक की अवधि के लिए लैंडिंग परमिट प्रदान किया जाता है।

(1) यात्रा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रेवल एजेंसी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ प्रायोजित की गई हो;

(2) आयोजन अधिकारी को सदस्यों के पूर्ण व्यक्तिगत और पासपोर्ट के ब्यौरों सहित लिखित रूप से अनुरोध किया गया हो; और

(3) ट्रेवल एजेंसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यात्रा का संचालन करने की जिम्मेदारी लें और यह आश्वासन दें कि ग्रुप में से किसी भी सदस्य को ग्रुप छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कुद्रेमुख दूसरा लोहा संयंत्र

231. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख 'पिन आयरन' संयंत्र शुरू करने हेतु कौन-सी लक्षित तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस संयंत्र को मंगलौर में स्थापित किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र स्थापित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) यह संयंत्र कब तक व्यापारिक उत्पादन शुरू कर देगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ङ) कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड तथा एम.एस.टी.सी. लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है, मंगलौर में एक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके दिसम्बर, 2000 में चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) जी, हां। संयंत्र को स्थापित कर दिया गया है तथा उपस्करों की प्रारंभिक जांच चल रही है। इस संयंत्र से लगभग 2,00,000 टन प्रतिवर्ष कच्चे लोहे का उत्पादन होने की आशा है।

अर्धसैनिक बलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

232. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में विभिन्न अर्धसैनिक बलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु लंबित मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अर्धसैनिक बलों में अनुकंपा के आधार पर प्रदान किए गए रोजगार का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) अर्धसैनिक बलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है–

बल का नाम	लंबित मामलों की संख्या
सीमा सुरक्षा बल	509
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	166
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	37
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	209
असम राइफल्स	161

(ख) अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है–

बल का नाम	1997	1998	1999	कुल
सीमा सुरक्षा बल	111	100	111	322
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	58	69	60	187
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	19	26	43	88
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	76	48	49	173
असम राइफल्स	5	3	4	12

दिल्ली अग्नि शमन सेवा

233. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अग्नि शमन सेवा के पास कार्य न कर रहे अग्नि शमन उपकरणों का पूर्ण ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार का दिल्ली अग्नि शमन सेवा को किस प्रकार प्रभावी बनाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। श्री बी.एल. वढेरा द्वारा दायर सिविल रिट याचिका सं. 2710/98 बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अग्नि शमन सेवा के पास उपलब्ध चुनिन्दा अग्नि शमन उपकरणों के ब्यौरे मांगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने माननीय न्यायालय को अपेक्षित सूचना अब प्रस्तुत कर दी है।

(ग) दिल्ली अग्नि शमन सेवा की कारगरता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 40 नए वाटर टेन्डरों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन नए वाटर टेन्डरों की चैसिसें खरीद ली गयी हैं और फैबिरिकेशन कार्य प्रगति पर है।

यूरिया का मूल्य

234. **श्री महबूब जहेदी** : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष यूरिया पर आंशिक रूप से नियंत्रण वापस लेकर इसका मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार 2004 तक राज सहायता वापस लेकर यूरिया पर पूरी तरह नियंत्रण समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार द्वारा यूरिया मूल्यों में आवधिक वृद्धि और यूरिया के अनियन्त्रण संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी सरकार की एक ओर तो अपनी राजकोषीय क्षमता एवं दूसरी ओर कृषकों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुए उर्वरक क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से विनियामक पद्धति की ओर अग्रेसित होने की मंशा है।

[हिन्दी]

खुले मुहाने वाली खानों के लिए समझौता

235. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ईस्ट कोल फील्ड्स ने खुले मुहाने वाली खानों के लिए निजी कंपनियों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० बालुगम) : (क) जी, हां।

(ख) नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने अत्यधिक भार को दूर करने के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी किराए पर लेने हेतु निम्नलिखित कंपनियों को ठेका दे दिया है।

(i) मैसर्स उज्जल ट्रांसपोर्ट एजेन्सी;

(ii) मैसर्स नातीनल ओनिंग कंपनी; और

(iii) मैसर्स सोमिया माइनिंग कंपनी।

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

236. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संगठनवार और राज्यवार दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संगठनवार, राज्यवार दिए गए अनुदान के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसंधान तथा विकास

जारी की गई राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	विगत तीन वर्षों में जारी की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	नेचूरल रिसोर्सिस डेवलपमेंट कार्पोरेटिव सोसाइटी लि. आनगोली	—	—	1.35	1.35
2.	आंध्र प्रदेश	पीपुल्स रिसर्च आर्गनाइजेशन फार ग्रास रूट इनवायरनमेंटल साइंटिफिक सर्विस (प्रोग्रेस) हैदराबाद	2.00	—	—	2.00
3.	आंध्र प्रदेश	पीपुल्स रिसर्च आर्गनाइजेशन फार ग्रास रूट इनवायरनमेंटल साइंटिफिक सर्विस (प्रोग्रेस) हैदराबाद	7.206	—	—	7.206
4.	आंध्र प्रदेश	नेचूरल रिसोर्सिस डेवलपमेंट कार्पोरेटिव सोसाइटी लि. आनगोली	—	—	0.40	0.40

1	2	3	4	5	6	7
5.	दिल्ली	सेंटर फार इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट, नई दिल्ली	—	0.2	—	0.2
6.	दिल्ली	राहुल मल्टी डिसिपिलिनरी रिसर्च सेंटर, दिल्ली	—	3.00	—	3.00
7.	गुजरात	सरदार पटेल रिन्यूइबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वल्लभ, विद्यानगर	—	2.00	—	2.00
8.	केरल	डा. एस. वासुदेव फाऊंडेशन त्रिवेंद्रम	5.472	—	—	5.472
9.	केरल	सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडी त्रिवेंद्रम	—	2.71	—	2.71
10.	केरल	सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडी त्रिवेंद्रम	3.00	—	—	3.00
11.	पांडिचेरी	सेंटर फार इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट, पांडिचेरी	—	0.80	—	0.80
12.	राजस्थान	सोसाइटी अफीलिएटेड टू रिसर्च एंड इम्परूवमेंट आफ ट्राइवल एरियाज, (सरिता) उदयपुर	2.00	—	5.585	2.585
13.	राजस्थान	वही	14.70	—	3.68	18.38
14.	उत्तर प्रदेश	दुर्गा सेवा सदन, बुलंदशहर	2.00	—	0.715	2.715
15.	पश्चिम बंगाल	सेंटर फार स्टडी आफ मैन एंड इनवायर-मेंट कलकत्ता	2.00	—	0.59630	2.59630

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

जारी की गई राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	विगत तीन वर्षों में जारी की गई कुल राशि
1.	गुजरात	इनवायरमेंटल सेनीटेशन इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	6.00	—	--	6.00
2.	पश्चिम बंगाल	रामाकृष्ण मिशन कलकत्ता	12.29	—	12.19	24.48

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) कार्यक्रम

जारी की गई राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	विगत तीन वर्षों में जारी की गई कुल राशि
1.	पश्चिम बंगाल	रामाकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद नरेन्द्रपुर	—	2.16	—	2.16

फलोरोसिस नियंत्रण संबंधी प्रयोगिक परियोजना

जारी की गई राशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	विगत तीन वर्षों में जारी की गई कुल राशि
1.	राजस्थान	सेनीटेशन वाटर एंड कम्यूनिटी हैल्थ प्रोजेक्ट, उदयपुर	250.00	—	—	250.00

[अनुवाद]

ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधी सम्मेलन

237. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित स्वजल परियोजना के सहयोग से ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय स्वच्छता विषय पर एक सम्मेलन को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन के क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ग) अनवरत शिक्षा केंद्र, रुड़की विश्वविद्यालय, ने 12-13 अक्तूबर, 2000 को रुड़की में ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित स्व-जल परियोजना (उत्तर प्रदेश), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली ने इस सम्मेलन को प्रयोजित किया था।

अनवरत शिक्षा केंद्र, रुड़की विश्वविद्यालय के निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सम्मेलन में लगभग 60 पेपर प्रस्तुत किए गए। लगभग 150 भारतीय प्रतिनिधियों और नाइजीरिया, कीनिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इन्डोनेशिया, बंगलादेश, यू.के. से 15 विदेशी प्रतिनिधियों तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दो दिनों के विचार-विमर्श तथा विभिन्न पेपरों को प्रस्तुत करने के बाद सम्मेलन की सलाहकार समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़े नीति, अभिनव प्रौद्योगिकियों, आधुनिक औजारों, संस्थागत एवं क्षमता निर्माण तथा प्रचालनात्मक पहलुओं से संबंधित सिफारिशें पेश कीं।

विश्वविद्यालयों को मान्यता देना/मूल्यांकन करना

238. **श्री आर०एस० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 2 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5704 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुसार संस्थाओं के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की पद्धति के सृजन की व्यवस्था है। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) की स्थापना की थी जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों का स्तर निर्धारित करना; शैक्षिक पर्यावरण एवं शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना; उच्चतर शिक्षा में नवाचार, स्वमूल्यांकन तथा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना; एवं इन संस्थाओं में आवश्यक परिवर्तनों और सुधारों को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् ने अब तक मैसूर विश्वविद्यालय तथा मंगलौर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करके उन्हें प्रत्यायित किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में संशोधन

239. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 में संशोधन करने का प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकली दवाओं की जब्ती

240. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली दवायें जब्त की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, औषध नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अननुज्ञप्त व्यक्तियों से भारी मात्रा में औषधियां बरामद की थीं।

(ग) दिल्ली पुलिस ने चार विदेशियों सहित आठ व्यक्ति गिरफ्तार किए और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों के अन्तर्गत सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गईं।

(घ) नकली औषधियों का उत्पादन और बिक्री रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में नेमी निरीक्षण किया जाना, उत्पादन परिसरों और बिक्री बाजारों का समय-समय पर विशेष निरीक्षण और छापे मारना, नकली खरीददारों के माध्यम से दवा विक्रेताओं से खरीदी गई औषधियों की जांच के नमूनों की स्क्रिनिंग, औषधियों की गुणवत्ता के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच, ऐसे मामलों में पहले संलिप्त अथवा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी, और औषधियों की बिक्री के प्रभावी प्रबोधन के लिए लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	मात्रा	औषधि का नाम और बैच संख्या
1	2	3
1.	42x20x10 कैपसूल	जेमेप्राजोल कैपसूल आई.पी. (ओमेज) बैच सं. सी-625
2.	28x10x10x10 गोलियां	साइप्रोफलोक्सासीन गोलियां यू.एस.पी. (साइप्रोलेट डी.एस.) बैच सं. आई. सी-500348
3.	18x10x10 गोलियां	साप्रोफलोक्सासीन गोलियां यू.एस.पी. (साइप्रोलेट-250) बैच संख्या 2 सी-204038
4.	200x4 कैपसूल	लिप्रासाईड हाइड्रोक्लोराईड कैपसूल यू.एस.पी. (इमोडियम) बैच सं. सी-017
5.	245x10x7 गोलियां	सिफलॉक्स 500 (सिप्रोफलोक्सासीन) (500 एम.जी.) गोलियां
6.	12x15x10x6	वेपमोक
7.	80x10x10	सिप्रोफलोक्सासीन गोलियां यू.एस.पी. (सिप्रोलेट-डी एस) बैच सं. आई. सी-500348
8.	18x10x10x20	ट्राइमेथोप्रीमम और सल्फेम थोक्साजोलम गोलियां
9.	372x6 टेबलेट	क्लोटरोमाईजोल वेजिनल टेबलेट यू.एस.पी. 100 ग्राम (गयानोसिड बी 6) बी.एन. जी बी टी 09901
10.	440x10 टेबलेट	रेन्टीडाईन हाईड्रोक्लोराईड टेबलेट आई.पी. (रनटोडेक) बी. नं. आर एन जी 18
11.	420x10 टेबलेट	फैस्टल डाईजोस्टिव इन्जाम टेबलेट बी. नं. 12
12.	1920x10 टेबलेट	मैट्रोनिडाजोल टेबलेट बी. नं. नहीं दिया गया है।
13.	1932x6 टेबलेट	मेबिन्डाजोल टेबलेट आई.पी. (यूरमिजन) बी. नं. 2001
14.	227x6 टेबलेट	क्लोटरोशाईजोल वैजिनल टेबलेट आई.पी. (गयानोसिड-बी. 6) बी.एन. जी.बी.टी.-9902
15.	920x10 टेबलेट	सिफरोफ्लोक्सीन टेबलेट यू.एस.पी. (सिपरोलेट-250) बी. सं. 2 सी-204038
16.	34000 टेबलेट (4 टैबलेट स्ट्रिप में)	टिनिडाजोलम 0.5 मि. ग्राम बी. नं. 110498
17.	25200 टेबलेट (6 टेबलेटों के स्ट्रिप में)	क्लोट्रीमाजोलम 100 मि. ग्राम बी. नं. डी-03014
18.	2,20,000 टेबलेट (20 टेबलेट के स्ट्रिप में)	स्पासमलगोन टेबलेट बी. नं. 030599
19.	40,000 टेबलेट (20 टेबलेट के स्ट्रिप में)	केनोट (विदेशी भण्डार में, स्पेन में निर्मित)
20.	26x12x15 ग्राम	मिकोनजोल नाईट्रेट क्रीम यू.एस.पी. बी. नं. 241
21.	108x24x5 एम एल	टिमोसूल आई ड्राप 05% बी. नं. टी एस 281

1	2	3
22.	84x24x5 मि. ग्राम	टिमोसूल आई ड्राप 25% बी. नं. टी एस 281
23.	164x24x3 मि. ग्राम	डेकासोन आई/ईयर ड्राप बी. नं. डी एस ई 288
24.	6x63x25x500 मि. ग्राम वायल्स	एम्पीसिलिन-500 बी. नं. ए-106
25.	60x10x10 टेबलेट	पिसाजिनमाईड टेबलेट आई पी बी नं. पी ज्यड 440
26.	130x10x10 टेबलेट	इथामबुटोल हाईड्रोक्लोराईड टेब. आई पी बी नं. ई बी 457
27.	140x100 टेबलेट	इगरबीट टेबलेट बी. नं. एन.आर. 80
28.	37x50x3 मी.लि.	नियोरोक्साईन इन्जेक्शन बी. नं. एन.टार. 80
29.	2x60x50x3 मी.एल.	नियोरोक्साईन इन्जेक्शन बी. नं. एन.टार. 82
30.	30x10x50	पैरासिरामोल टेबलेट आई पी 500 ग्राम, बी. नं. बी.एल. 241
31.	3x60x20x3 मी.एल.	डेक्सासिन बी. नं. पी.डी. 369
32.	60x20x15 ग्राम	सिलेक्ट्रोडूम वी क्रीम, बी. नं. 06
33.	100x20x10 कैपसूल	कोलडेक्ट बी. नं. एन. 50
34.	5x105x50x1 एम एल	ओक्सटोसिन इन्जेक्शन बी. नं. ओ टी-501 और अन्य बैच
35.	1x25 कि. ग्राम (लगभग)	सिफेसलोर
36.	800x10 टेबलेट	मैट्रोनाईडाजोल टेबलेट
37.	-तदैव-	-तदैव-
38.	1200x10 टेबलेट	-तदैव-
39.	1000x10 टेबलेट	-तदैव-

दवाइयों का अधिकतम फुटकर मूल्य

241. श्री किरीट सोमैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट तथा संसद सदस्यों ने मंत्रालय से इस बारे में सम्पर्क किया है कि पूरे देश में दवाइयों के एक समान अधिकतम फुटकर मूल्य के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाए;

(ख) क्या पूरे देश भर में 5 अक्तूबर, 2000 को कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के संघ ने विरोध स्वरूप बंद मनाया;

(ग) क्या सरकार ने एक समान अधिकतम फुटकर मूल्य को लागू करने के संबंध में निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामला वर्तमान में किस चरण में है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) यह विभाग समय-समय पर ए आई ओ सी डी तथा उद्योग संघों के परामर्श से इस मुद्दे की जांच करता रहा है। इस मुद्दे से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए फरवरी, 2000 में एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसमें उद्योग, उपभोक्ता संगठनों तथा ए आई ओ सी डी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

[हिन्दी]

भूमि-हदबन्दी कानूनों में संशोधन

242. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि-हदबन्दी कानूनों में संशोधन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो अभी तक किन-किन राज्यों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) भूमि-हदबन्दी कानूनों में कौन से मुख्य संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त संशोधनों को कब तक लागू किया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत अधिनियमित नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1970, सरकार द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेल्लोर आन्ध्र प्रदेश में यूरिया उर्वरक ब्लाक की स्थापना

243. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर में यूरिया उर्वरक ब्लाक स्थापित करने के इफको के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लिमिटेड (इफको) के आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 17.36 करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजी लागत पर 7.68 लाख मी. टन यूरिया के वार्षिक क्षमता की नये अमोनिया-यूरिया संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) द्वारा निवेश समीक्षा के शर्त्ताधीन, सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है। पी आई बी द्वारा इस परियोजना की निवेश समीक्षा 9-7-99 को आयोजित इसकी बैठक में की गयी है। परियोजना की व्यवहार्यकता से संबंधित पी आई बी की अभ्युक्तियों, सब्सिडी को घटाने के लिए, एल एन जी का फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग को प्रोत्साहित करने की वांछनीयता एवं सीमित मांग आपूर्ति खाई के अनुमानों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की हिचकिचाहट को ध्यान में रखते हुए परियोजना पर अन्तिम निवेश लेने के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जून, 2000 में विचार किया गया और आस्थगित कर दिया गया।

[अनुवाद]

सरकारी आवास किराए पर देना

244. **श्री राधैया मल्याला** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कतिपय दलालों द्वारा संपदा निदेशालय के कतिपय अधिकारियों से सांठ-गांठ करके सरकारी आवास के आबंटियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के बीच सौदेबाजी द्वारा आबंटित आवास किराये पर दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सांठ-गांठ को तोड़ने हेतु प्रत्येक सरकारी आवास का वास्तविक निरीक्षण करने के कार्य को किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपकिरायेदारी का पता सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करके लगाया जाता है।

डी०डी०ए० की भूमि पर झुग्गी-झोपड़ी

245. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने डी.डी.ए. को यह उत्तर देने के लिये कहा है कि उसकी भूमि पर किस प्रकार झुग्गी-झोपड़ियां बस गयी हैं और उन्हें हटाने के लिये क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. ने अपना उत्तर दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 888/1996-अस्मिन्ना एच पटेल एवं अन्य बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य में 24.8.2000 को अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिमत व्यक्त किया था कि दिल्ली में खाली पड़ी भूमि, अनेक वर्षों पूर्व सरकारी प्राधिकरणों, दिल्ली प्रशासन और डी.डी.ए. द्वारा अधिग्रहीत कर लिये जाने के बावजूद अतिक्रमणकर्त्ताओं के लिए खुला आमंत्रण था। इस भूमि का डी.डी.ए. की विकास योजनाओं के अनुसार उपयोग नहीं किया गया। तदनुसार डी.डी.ए. को निर्देश दिए गए कि वे एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें इस बाबत उनका स्पष्टीकरण हो तथा जहां कहीं डी.डी.ए. और अन्य प्राधिकरणों के पास खाली भूमि उपलब्ध है उसे इस तारीख से 6 माह के भीतर मास्टर प्लान और विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उपयोग में लाया जायेगा। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो डी.डी.ए. इस बाबत कारणों का उल्लेख करेगा जिसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि अप्रयुक्त भूमि कब अधिग्रहीत की गई थी।

(ख) और (ग) डी.डी.ए. को अभी भी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना है। मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

यूरिया घोटाला

246. **श्री राम चन्द्र बैंदा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यूरिया घोटाले में लिप्त दोषियों से 133 करोड़ रुपये की वसूली की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 1995 में यूरिया की आपूर्ति के लिए कर्सन लिमिटेड अंकारा (टर्की) को 133 करोड़ रुपये (37.62 मिलियन अमेरिकन डालर) का अग्रिम भुगतान किया था। कर्सन लि. द्वारा यूरिया आपूर्ति करने में असफल होने पर, एनएफएल ने आपूर्तिकर्ता के साथ करार में दिए गए मध्यस्थता खण्ड के अनुसरण में इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा दायर किया था। आई.सी.ए. ने कर्सन लि. के विरुद्ध वसूली के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पक्ष में लगभग 41 मिलियन अमेरिकन डालर का फैसला (अवार्ड) दिया। फैसले को लागू कराने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। तथापि मध्यस्तता फैसला कर्सन लिमिटेड द्वारा एमस्टर्डम स्थित डिस्ट्रिक कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त कार्रवाई निपटारे के लिए लम्बित है। कर्सन लिमिटेड द्वारा एनएफएल के विरुद्ध दायर किया गया दावा खारिज कर दिया गया है।

(घ) एनएफएल ने पहले ही मै. कर्सन लि. और उनके सहयोगियों/रिश्तेदारों के नाम विभिन्न स्थानों/देशों में पहचान की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी है। कुर्की कार्रवाई चल रही है। तथापि यह एमस्टर्डम स्थित डिस्ट्रिक कोर्ट में लम्बित मामले के परिणामें पर निर्भर करेगा। सरकार प्रयासों की मानीटरिंग कर रही है और जहां भी संभव हो सहायता प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

यूरिया उत्पादन में असंतुलन

247. **श्री गुनीपाटी रमैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया के उत्पादन में पूर्वी जोन गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में देश के चार क्षेत्रों में यूरिया उत्पादन और खपत क्या रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) निम्नलिखित तालिका में क्षेत्र-वार उत्पादन एवं खपत दी गई है–

(लाख टन में)

क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
दक्षिणी	27.63	38.69	29.32	39.87
पश्चिमी	80.52	52.45	85.67	52.05
पूर्वी (उत्तर-पूर्वी सहित)	4.32	28.43	4.28	30.41
उत्तरी	80.44	84.39	79.03	80.46

1999-2000 में देश ने यूरिया उत्पादन में लगभग 97.8% आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। 1990 के दशक में हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एच बी जे) पाइपलाइन के साथ गैस आधारित संयंत्र के आ जाने के परिणामस्वरूप यूरिया का उत्पादन पश्चिमी एवं उत्तरी राज्यों में केन्द्रित हो गया है। तथापि, इसने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों सहित अन्य राज्यों की यूरिया आपूर्ति को प्रभावित नहीं किया है। पूर्वी राज्यों की यूरिया मांग को स्वदेशी संयंत्रों के साथ-साथ आयातों द्वारा आपूर्ति से पूरा किया जाता है।

24 जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना हेतु किसी औद्योगिक लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समितियों के मामले में प्रदत्त अधिकारों से ज्यादा पूंजी व्यय के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में नामरूप, असम में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के नामरूप संयंत्र की एक पुनरुद्धार परियोजना 350 करोड़ रु. के अनुमानित लागत पर यूरिया की 3.28 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए क्रियान्वयनाधीन है।

'इंडियन रोड कांग्रेस' सम्मेलन

248. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 'इंडियन रोड कांग्रेस' का एक सम्मेलन हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क संयोजन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 1000 से अधिक आबादी वाले राज्यवार ऐसे कितने गांव और कस्बे हैं जिन्हें सड़क मार्ग से जोड़ा जाना अभी शेष है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) इंडियन रोड कांग्रेस का 61वां वार्षिक सत्र/सम्मेलन कलकत्ता में 4 से 7 नवम्बर तक सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार हुआ।

(i) राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें वर्ष 2000 के दौरान शुरू की गई आर एंड डी योजनाओं की स्थिति (राजमार्ग के क्षेत्र में) की समीक्षा की गई।

(ii) इंडियन रोड कांग्रेस के प्रकाशन संबंधी निम्नलिखित दस्तावेजों को काउंसिल ने प्रकाशनार्थ अनुमोदित किया–

– रोड ब्रिज सेक्शन-VII फाउंडेशन एण्ड सबस्ट्रक्चर के लिए आई आर सी:78 मानक विशिष्टयों और व्यवहार संहिता की समीक्षा।

– रोड ब्रिज सेक्शन-II लोड्स एण्ड स्ट्रेसेस के लिए आई आर सी:6 मानक विशिष्टयों और व्यवहार संहिता।

– सड़क तटबंधन में फ्लाईऐस के इस्तेमाल संबंधी दिशा-निर्देश।

– आई आर सी:डिजाइन और फ्लेक्सिबिल खंडजों के लिए दिशा-निर्देश (द्वितीय समीक्षा)।

– 2000-2001 की अवधि के लिए रोड डेवलपमेंट प्लान विजन।

(iii) रोड एसेट मैनेजमेंट संबंधी दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देने के लिए ग्रुप/समिति के गठन का सुझाव दिया गया।

(iv) सरकार द्वारा मान्य सड़कों के रखरखाव के लिए नए मानदंड जारी किए गए।

(ग) बुनियादी आवश्यकता सेवा (ग्रामीण सड़क) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के अंत तक लगभग 56.55% गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का अनुमान है। इस कार्यक्रम का स्थान अब 'प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना' ने ले लिया है। संघ के वित्त मंत्री ने दिनांक 29 फरवरी, 2000 को बजटीय भाषण में इस योजना को घोषित किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना था। वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई है ताकि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने और ग्रामीण सड़क सम्पर्क में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम शुरू किया जा सके।

(घ) सूचना दी गई थी कि (31.3.1997 तक) 1000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 39,251 गांव थे जिनको सड़क सम्पर्क मुहैया कराया जाना था। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	गांवों की कुल संख्या 1991 की जनगणना	1000 और इससे ऊपर की आबादी वाले गांवों की संख्या	31.3.97 तक जोड़े गए गांवों की अनुमानित संख्या	बकाया (कालम 4–5)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	26586	14422	12878	1544
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	116	100	16
3.	असम	23208	3872	3807	65
4.	बिहार	67546	17467	11925	5542
5.	गोवा	369	200	200	0
6.	गुजरात	18028	9507	9409	98
7.	हरियाणा	6759	3470	3469	1
8.	हिमाचल प्रदेश	16997	634	407	227
9.	जम्मू व कश्मीर	6241	1474	1217	257

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	27066	9953	9951	2
11.	केरल	1731	1719	1708	11
12.	मध्य प्रदेश	65526	8935	5980	2955
13.	महाराष्ट्र	39522	13275	12615	660
14.	मणिपुर	2180	346	282	64
15.	मेघालय	5484	144	109	35
16.	मिजोरम	785	102	102	0
17.	नागालैंड	1119	281	281	0
18.	उड़ीसा	50970	7173	5723	1450
19.	पंजाब	12428	4978	4978	0
20.	राजस्थान	37889	10766	9309	1457
21.	सिक्किम	453	112	108	4
22.	तमिलनाडु	50837	9705	9188	517
23.	त्रिपुरा	7412	400	400	0
24.	उत्तर प्रदेश	112803	37937	17105	20832
25.	पश्चिम बंगाल	38075	10429	6918	3511
	कुल राज्य	623663	167417	128169	39248
	संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान निकोबार	504	56	55	1
27.	चण्डीगढ़	22	22	22	0
28.	दादरा व नगर हवेली	71	38	38	0
29.	दमन व दीव	24	15	15	0
30.	दिल्ली	171	160	160	0
31.	लक्षद्वीप	4	2	0	2
32.	पांडिचेरी	264	93	93	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1060	386	383	3
	सम्पूर्ण योग (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	624723	167803	128552	39251

स्रोत : योजना आयोग

पनधारा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

249. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी पनधारा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु एक ही योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय से आज तक कुल कितने क्षेत्रफल की विस्तारित भूमि का पुनर्वासन किया गया;

(घ) क्या 'नाबार्ड' ने भी पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष कोष बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वित्त वर्ष में इस निधि का उपयोग करके कितनी प्रगति की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को तथा संस्थागत अवसंरचना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हाल ही में सृजित भूमि संसाधन विभाग के नियंत्रण के तहत लाने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के तहत मार्च, 2000 तक 15.62 मिलियन हैक्टेयर अवक्रमित भूमि क्षेत्र को विकसित किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की एक वाटरशेड विकास निधि स्थापित की गई है जिसमें 100 करोड़ रुपये का नाबार्ड का अंशदान और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया 100 करोड़ रुपये की समतुल्य राशि का अंशदान शामिल है। इसका उद्देश्य भागीदारी पद्धति के जरिए 100 प्राथमिकता प्राप्त जिलों में वाटरशेड का समेकित विकास करना है। इस कार्यक्रम के अनुसार दो चरणों में 14 राज्यों को शामिल किया जाएगा (चरण-I में 6 राज्य और चरण-II में 8 राज्य)। चरण-I के राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं और चरण-II के राज्यों में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वाटरशेड विकास निधि में से आबंटन का दो-तिहाई भाग वाटरशेड विकास के लिए 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर राज्य सरकारों को उधार दिया जाएगा और शेष एक-तिहाई भाग संवर्धनकारी उपायों तथा क्षमता निर्माण वाले कार्यकलापों के लिए अनुदान के रूप में होगा।

नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ वाटरशेड विकास निधि में उनकी भागीदारी के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नाबार्ड ने गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को सूचित किया है कि वाटरशेड विकास निधि के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए 20-20 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध है। नाबार्ड द्वारा अभी तक गुजरात में तीन क्षमता निर्माण परियोजनाएं और उड़ीसा में दो क्षमता निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उर्वरकों की खपत

250. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा अखिल भारतीय औसत के मुकाबले गुजरात में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फॉसफेट और पोटाश उर्वरकों की खपत कितनी है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात को उपलब्ध कराये गए यूरिया और अन्य उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उर्वरकों की आपूर्ति प्रत्येक राज्य को उसकी मांग के अनुसार की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 1999-2000 के लिए पंजाब एवं अखिल भारतीय औसत की तुलना में गुजरात में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी) एवं पोटाश (के) की अनुमानित खपत निम्नानुसार थी–

क्र.सं	राज्य	एन	पी	के	कुल
1.	गुजरात	57.46	24.06	6.25	87.77
2.	पंजाब	138.52	42.67	3.38	184.57
	अखिल भारतीय	61.16	25.31	8.86	95.33

(ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अधीन है। केवल यूरिया की मांग का आकलन एवं आबंटन किया जाता है। अन्य सभी उर्वरक विनियंत्रित हैं एवं उनकी उपलब्धता रियायत स्कीम के मानदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित मांग एवं आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात में प्रमुख उर्वरकों की मांग एवं उपलब्धता के विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं–

	खरीफ ''99			रबी ''99-2000		
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
मांग	600.44	300.00	40.00	540.00	240.00	55.00
उपलब्ध कराई गयी मात्रा	653.44	267.43	63.96	565.00	325.47	93.05
बिक्री	569.16	244.20	38.68	484.82	296.64	63.85

(ग) जी, हां। प्रत्येक राज्य को यूरिया की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में क्रोमाइट अयस्क के भंडार

251. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के उपमंडल में कामख्या नगर के कठपाल में और जाजपुर जिले के सुकिंदा में क्रोमाइट अयस्क के विशाल भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अयस्क का दोहन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा तथा मूल्य के अयस्क का दोहन किया गया था इनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय सुरक्षोपाय की योजना की गई है; और

(ङ) इन्हें क्रियान्वित करने तथा इन पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। दिनांक 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में क्रोमाइट अयस्क के प्राप्य भण्डारों का राज्य/जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(मात्रा : हजार टन में)

राज्य/जिला	प्रमाणित	संभावित	संभव	कुल
उड़ीसा राज्य (कुल)	25199	29926	28477	83602
ढेंकनाल जिला	81	165	289	535
जाजपुर जिला	15442	7911	19423	42777

(ख) जी, हां। इस क्षेत्र से क्रोम अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है।

(ग) ढेंकनाल, जाजपुर और क्योंझर जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान उत्खनन किए गए अयस्क की मात्रा और उसके मूल्य का वर्षवार ब्यौरा जो कुल मिलाकर उड़ीसा राज्य का कुल उत्पादन बनता है नीचे दिया गया है–

जिला	1997-98		1998-99		1999-2000 (अनन्तिम)	
	मात्रा मी. टन	मूल्य हजार रु.	मात्रा मी. टन	मूल्य हजार रु.	मात्रा मी. टन	मूल्य हजार रु.
उड़ीसा (कुल)	1476768	2996132	1402057	2787994	1682420	3324529
ढेंकनाल	30621	61592	34358	62747	39766	69114
जाजपुर	1311562	2632414	1222690	2440143	1566591	3092731
क्योंझर	134585	302126	145009	285104	76063	162684

(घ) जी, हां। खनन योजना, जिसमें उस क्षेत्र में कार्यरत खानों की पर्यावरणात्मक प्रबंधन योजना शामिल होती है, खान प्रबन्धन द्वारा तैयार की जाती है और भारतीय खान ब्यूरो, जो खान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, द्वारा अनुमोदित की जाती है ताकि खनन क्षेत्रों के पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।

(ङ) खनन योजना का कार्यान्वयन और पर्यावरणात्मक प्राचलों का नियमित प्रबोधन, खनन योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार खानों में खान प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो भी खनन योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन एम.एम. (डी एंड आर) अधिनियम, 1957 की धारा 24 और एम सी डी नियमावली, 1988 के अधीन खानों की आवधिक जांच द्वारा करता है। 1997-2000 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो ने बी.आर.जी.एम., फ्रांस के सहयोग से सुखिण्डा बेली क्रोमाइट माइन्स का अध्ययन किया था और खनन क्षेत्रों का 'क्षेत्रीय पर्यावरणात्मक प्रभाव आकलन' (आर ई ए) तैयार किया था। तदुपरान्त, अध्ययन की उपलब्धियों के आधार पर खान प्रबंधकों को सलाह दी गई थी कि वे पर्यावरणात्मक गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करें। उन्हें समय-सीमा के साथ कार्य योजना तैयार करने और पर्यावरण

विशेषकर जल प्रदूषण की सुरक्षा के लिए भी ऐसी ही कार्य योजना लागू करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

252. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व कोई समुदाय विकास कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने जिलों को लिए जाने का प्रस्ताव था;

(घ) क्या सरकार का इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना को कब से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(झ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा रोजगार सृजन हेतु पहली अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा पुनर्गठित सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की है।

(ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित करना तथा ग्रामीण लोगों की क्षमताओं का विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लोग स्वरोजगारी कहलायेंगे न कि लाभार्थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों सहित मांग के अनुरूप ग्रामीण आधारभूत ढांचा सृजित करना है ताकि ग्रामीण गरीबों के लिए सतत रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार सृजित हो सके। सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी सक्षम वयस्कों को गैर-कृषि मौसम के दौरान शारीरिक श्रमवाला लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है, जो जरूरतमंद हैं तथा ऐसा कार्य करना चाहते हैं।

(ग) ये कार्यक्रम दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(घ) से (ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) से (झ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना 1.4.99 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर रूप से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन					
		स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		जवाहर ग्राम समृद्धि योजना		सुनिश्चित रोजगार योजना	
		1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6219.55	3419.82	9319.52	8727.55	10288.76	6088.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.74	188.3	204.9	456.91	226.21	324.40
3.	असम	3553.09	4892.72	5324.02	11872.04	5877.72	8432.00
4.	बिहार	20374.656	11202.96	30529.68	28590.47	33704.77	19944.25
5.	गोवा	59.78	50	137.12	128.41	23.72	14.03

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	2341.15	1287.29	3508.04	3285.21	3872.86	2291.72
7.	हरियाणा	1377.36	757.33	2063.84	1932.75	2278.48	1348.26
8.	हिमाचल प्रदेश	580.06	318.94	869.16	813.95	959.56	567.80
9.	जम्मू व कश्मीर	717.90	394.74	1075.71	1007.38	1187.58	702.00
10.	कर्नाटक	4696.65	2582.44	7037.56	6590.54	7769.46	4596.00
11.	केरल	2107.37	1158.74	3157.73	2957.15	3486.13	2062.86
12.	मध्य प्रदेश	10327.33	5678.49	15474.69	14491.75	17084.06	10108.00
13.	महाराष्ट्र	9284.11	5104.88	13911.52	13027.87	15358.33	9088.04
14.	मणिपुर	238.19	328	356.92	795.9	394.04	565.00
15.	मेघालय	266.87	367.49	399.88	891.69	441.47	634.00
16.	मिजोरम	61.75	85.04	92.53	206.33	102.16	148.00
17.	नागालैंड	183.06	252.08	274.3	611.66	302.82	434.26
18.	उड़ीसा	7113.90	3911.58	10659.61	9982.52	11768.22	6963.64
19.	पंजाब	669.38	368.06	1003.01	939.3	1107.32	655.24
20.	राजस्थान	3566.34	1960.94	5343.85	5004.41	5899.6	3490.00
21.	सिक्किम	68.38	94.15	102.45	228.45	113.1	162.20
22.	तमिलनाडु	5499.44	3023.88	8240.5	7717.07	9097.5	5383.30
23.	त्रिपुरा	430.08	592.23	644.43	1437.02	711.47	1020.26
24.	उत्तर प्रदेश	22422.38	12328.96	33598.18	31464.06	37092.4	21948.82
25.	पश्चिम बंगाल	7905.68	4346.94	11846.03	11093.58	13078.02	7738.70
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	59.78	50	93.87	84.64	54.73	32.38
27.	दादरा व नगर हवेली	59.78	50	61.96	55.87	54.73	32.38
28.	दमन व दीव	59.78	50	30.02	27.07	1.82	1.08
29.	लक्षद्वीप	59.78	50	47.06	42.43	3.65	2.16
30.	पांडिचेरी	59.78	50	91.91	86	69.32	41.02
	अखिल भारत	110500.00	64946.00	165500.00	164549.98	182410.01	114820.00

[अनुवाद]

सुनिश्चित पदोन्नति योजना

253. श्री अनन्त गुडे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सुनिश्चित पदोन्नति योजना, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के सहायक अभियंता श्रेणी के अधिकारियों पर भी लागू होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारणा हैं;

(घ) इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि डी.डी.ए. के सहायता अभियंताओं को भारत सरकार में उनके समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों के समान लाभ मिल सके;

(ङ) क्या डी.डी.ए. में कार्यरत सहायक अभियंताओं को अब सुनिश्चित पदोन्नति योजना के अन्तर्गत द्वितीयक वित्तीय स्तरोन्नति प्रदान की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में आवश्यक आदेश कब तक जारी किए जाएंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ज) जी, हां। भारत सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यान्वित की जा रही है। सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत वित्तीय बढ़ोत्तरी केवल तभी मिलती है जब किसी कर्मचारी को निर्धारित अवधि (12 और 24 वर्ष) के दौरान कोई नियमित प्रोन्नति नहीं मिली हो। योजना के अन्तर्गत अगले उच्चतर ग्रेड में वित्तीय बढ़ोत्तरी, इस प्रयोजनार्थ नया पद सृजित किये बिना ही किसी संवर्ग/श्रेणी में पदानुक्रम के अनुसार दी जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहायक इंजीनियर इस योजना में शामिल हैं। जिन सहायक इंजीनियरों ने सेवा के प्रवेश ग्रेड में 24 वर्ष पूरे कर लिये हैं उन्हें सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत दूसरी बढ़ोत्तरी देने का मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभागीय प्रोन्नति समिति के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारी

254. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में केन्द्रीय विद्यालयों के बंद होने के कारण इनमें से कुछ विद्यालयों में कर्मचारी अतिरिक्त संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यालयों में वर्तमान में कितने अतिरिक्त कर्मचारी हैं; और

(ग) अतिरिक्त कर्मचारियों के विलय हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के बन्द किये जाने/विलयन के कारण करीब 970 कर्मचारी, जो अधिशेष हो गये थे उन्हें अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में पड़े रिक्त पदों पर पुन: तैनात कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

255. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव समिति को प्राप्त हुए हैं–

क्र.सं.	जिला
1.	लखीमपुर खेरी
2.	चित्रकूट
3.	देहरादून
4.	कौशांबी
5.	वाराणसी
6.	गाजियाबाद

प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना सरकार की नीति है बशर्ते कि बजट संसाधन उपलब्ध हों तथा स्कूल खोलने संबंधी शर्तें पूरी होती हों।

[अनुवाद]

गुजरात में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार

256. श्री हरिभाई चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) गुजरात सरकार के प्रस्ताव के आधार पर

6 अतिरिक्त जिलों—भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, साबरकांठा और सुरेन्द्र नगर में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के लिए उस राज्य को सिद्धांत रूप में पहले से ही अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने की सूचना दे दी गई है। इनमें से कच्छ, साबरकांठा और सुरेन्द्र नगर को बाह्य निधिकरण से कार्यान्वित किया जा रहा है। शेष जिलों में कार्यक्रम के लिए गुजरात सरकार से निधिकरण का प्रस्ताव है। परियोजना पूर्व कार्यकलापों के लिए निधियां पहले ही संस्वीकृत की जा चुकी हैं। परियोजना योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और औपचारिक संस्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

[हिन्दी]

बिहार को उर्वरकों की आपूर्ति

257. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत एक वर्ष के दौरान बिहार सरकार से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य में मिलावटी और नकली उर्वरकों के उत्पादन को रोकने में समर्थ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राज्य की उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क), (ख) और (ङ) यूरिया केवल उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य एवं वितरण (नियंत्रण) के तहत है और जिसकी मांग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत राज्यों और कम्पनियों को वितरण के माध्यम से पूरी की जाती है। गत वर्ष के दौरान बिहार में यूरिया की बिक्री के मुकाबले मांग एवं आपूर्ति इस प्रकार थी—

(000 मी. टन)

	खरीफ, 99	रबी 1999-2000
मांग/आकलित आवश्यकता	725.00	650.00
आपूर्ति	861.65	796.21
बिक्री	692.11	663.56

यूरिया के अलावा अन्य सभी उर्वरक नियंत्रण मुक्त हैं और उनका आबंटन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नहीं किया जाता है। नियन्त्रण मुक्त उर्वरक की उपलब्धता बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। तथापि, जरूरत पड़ने पर, राज्यों के अनुरोध पर, डीएपी एवं एमओपी जैसे नियंत्रण मुक्त प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति मै. इंडियन पोटाश लि. द्वारा संचालित किए जा रहे बफर स्टाक के माध्यम से बढ़ाई जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार सरकार से नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कोई भी विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) उर्वरकों की गुणवत्ता नियन्त्रण राज्य सरकार की चिन्ता है। उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत दिए गए गुणवत्ता मानकों के अनुसार मानक उर्वरकों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें गुणवत्ता परीक्षण के लिए रेन्डम आधार पर उर्वरक नमूने लेती है। सम्पूर्ण देश में 66 अधिसूचित उर्वरक परीक्षण, प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से, 2 प्रयोगशालाएं बिहार राज्य में और एक नवगठित झारखण्ड राज्य में स्थित है। निम्न मानक के नमूने पाए जाने की स्थित में चूक करने वाले विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

रीडरों को प्रोन्नति

258. **श्रीमती रेनु कुमारी** :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीडर से प्रोफेसर तक की प्रोन्नति के लिए कैरियर अनुकूलन योजना (कैरियर एडवांटेज स्कीम) का संशोधन कर लिया गया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय स्तर पर रीडर से प्रोफेसर तक की प्रोन्नति के लिए योजना को वापस ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो कैरियर अनुकूलन योजना (कैरियर एडवांटेज स्कीम) में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण समुदाय की कैरियर में प्रगतिरोधता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को इस आशय की सूचना दी है कि रीडर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति हेतु कैरियर उन्नयन योजना कालेजों पर लागू नहीं होगी। तथापि कैरियर उन्नयन योजना के अधीन रीडर से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति योजना विश्वविद्यालयों के विभागों में नियुक्त रीडरों के मामलों में लागू रहेगी।

(घ) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के लिए जुलाई, 1998 में एक संशोधित कैरियर उन्नयन योजना लागू की गई है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

259. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से आज तक की अवधि के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) अभी तक आयोग ने राज्य-वार कितने मामले निपटाए हैं और आयोग ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 1997, 1998, 1999 तथा 31 अक्तूबर, 2000 तक प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्राप्त 18559 शिकायतों में से 16564 पर कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये शिकायतें सम्बन्धित राज्यों के राज्य महिला आयोगों को भेजी गईं। उन राज्यों के मामले में, जहां महिला आयोगों की स्थापना नहीं की गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित विभागों को भेज दी गईं।

विवरण

क्र. सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें			
		1997	1998	1999	2000 (31 अक्तूबर, 2000 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	76	53	47
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	8	9	0
3.	असम	4	4	13	8
4.	बिहार	521	1008	943	525
5.	गोवा	3	4	4	7
6.	गुजरात	20	53	37	16
7.	हरियाणा	317	324	216	277
8.	हिमाचल प्रदेश	19	82	30	25
9.	जम्मू व कश्मीर	6	10	7	5
10.	कर्नाटक	22	146	87	30
11.	केरल	12	40	42	19
12.	मध्य प्रदेश	347	485	310	514
13.	महाराष्ट्र	46	95	86	112
14.	मणिपुर	4	4	5	2
15.	मेघालय	3	4	3	1
16.	मिजोरम	2	2	3	0
17.	नागालैंड	0	1	2	0
18.	उड़ीसा	32	65	62	33
19.	पंजाब	45	75	86	68
20.	राजस्थान	329	256	207	239
21.	सिक्किम	5	3	7	0
22.	तमिलनाडु	26	135	130	50
23.	त्रिपुरा	2	10	8	8
24.	उत्तर प्रदेश	1203	1723	1323	1789
25.	पश्चिम बंगाल	35	80	50	57
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	2
27.	चंडीगढ़	5	18	24	5
28.	दिल्ली	858	876	574	897
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
30.	दमन एवं दीव	0	0	1	0
31.	लक्षद्वीप	0	1	0	0
32.	पांडिचेरी	2	3	6	3
	कुल (पूरा भारत)	3900	5591	4329	4739

[अनुवाद]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

260. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नेपाल में सक्रिय पाकिस्तान के आई.एस.आई. एजेन्टों ने अपनी गतिविधियों और देश में

प्रवेश के लिए बिहार को सुरक्षित स्थान के रूप में चुना है जैसा कि 2 अक्तूबर, 2000 के 'पायनियर' में प्रकाशित समाचार से प्रतीत होता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल से सटी सीमाओं पर अपने सुरक्षा बलों को चुस्त-दुरस्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सरकार बिहार में आई.एस.आई. एजेन्टों के सक्रिय होने की रिपोर्टों से अवगत है और वह स्थिति पर निकट से नजर रख रही है। आई.एस.आई. एजेन्टों की गतिविधियों को विफल करने के लिए सरकार ने सुविचारित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, आई.एस.आई. एजेन्टों के विरुद्ध आसूचना आधारित सुविचारित कार्रवाई, सुरक्षा बलों की स्थापना और अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली आदि सहित पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है।

नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से, सीमा प्रबन्धन को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं। दोनों सरकारों की संबंधित एजेन्सियां नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखती हैं। सीमा प्रबन्धन पर संयुक्त कार्य ग्रुप तथा गृह सचिव स्तरीय वार्ता जैसे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र भी हैं जिन्हें सुरक्षा मसलों पर सहयोग विकसित करने और इन पर विचार करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इन बैठकों में लिए गए फैसलों के अनुसरण में, खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने और लक्षित गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत और नेपाल के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने समेत, दोनों पक्षों द्वारा सुसमन्वित उपाय करने पर सहमति हुई है। दोनों देशों के बीच इस सहयोग के फलस्वरूप, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अनेक आतंकवादी षड्यंत्र विफल किए गए हैं।

वर्ल्ड माइन्स मीटिंग (कांग्रेस)

261. **श्री अरुण कुमार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और खनिज मंत्रियों ने हाल में अमेरिका की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस दौरे के क्या परिणाम निकले?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) 18वीं विश्व खनन कांग्रेस का आयोजन लास-वेगास, यू.एस.ए. में 9 अक्तूबर से 12 अक्तूबर, 2000 तक किया गया था। विश्व खनन कांग्रेस में अनेक तकनीकी सत्रों, अवार्ड प्रस्तुति तथा प्रदर्शन समय में भाग लेने के अतिरिक्त शिष्टमंडल को दुनिया से आए हुए खनन उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा लगाए गए अनेक स्टालों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। शिष्टमंडल ने इन विनिर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम तथा पट्टे पर उपस्कर लेने/हायर करने की संभावनाओं का भी पता लगाया। विश्व खनन कांग्रेस में लगभग 23 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे, जिनमें खनन उद्योग के वर्तमान एवं भावी महत्व के मुद्दे प्रस्तुत किए गए थे और प्रतिनिधियों द्वारा उन पर चर्चा की गई थी। कोयला राज्य मंत्री के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने दो सबसे बड़ी खानों यथा जैकब रैंच माइन तथा नार्थ रोचेल माइन का भी दौरा किया। इस दौरे से ओपन कास्ट कोयला खान में हुई प्रगति से संबंधित प्रत्यक्ष सूचना का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसने बहुत बड़ी ओपन कास्ट खान के प्रबंध में अंत:दृष्टि प्रदान की।

खान मंत्रालय ने यह भी कहा है कि युवा मामले, खेलकूद तथा खान के तत्कालीन मंत्री ने अक्तूबर, 2000 में लास-वेगास, अमरीका में आयोजित की गई 18वीं विश्व खनन कांग्रेस में भाग लिया था। इस दौरे में नवंबर, 2003 में भारत में होने वाली 19वीं विश्व खनन कांग्रेस के आयोजन के निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में भी भाग लिया था।

बिहार में आई०सी०डी०एस० योजनाएं

262. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सभी प्रखंडों में आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में आई.सी.डी.एस की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और ऐसी कितनी मंजूर परियोजनाएं हैं जिन्होंने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है और इनके कारणों सहित स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये मंजूर परियोजनाएं कब तक काम करना शुरू कर देंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में कुल 171 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अन्य 32 परियोजनाएं वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू करने हेतु स्वीकृत की गई हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2001-2002 के दौरान चलाई जाने हेतु 30 और परियोजनाएं भी स्वीकृत की जाएंगी। शेष सामुदायिक विकास खण्डों में परियोजनाएं चालू करने के बारे में संस्वीकृति देना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

राज्य का नाम : बिहार—चलाई जा रही आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं

क्र.सं.	जिले का नाम	आई.सी.डी.एस. परियोजना का नाम
1	2	3
1.	पटना	पटना सदर
2.		फतुहा
3.		मसौढ़ी
4.		धनरूआ
5.		मनेर
6.		पुनपुन
7.		पटना ग्रामीण
8.		नौबतपुर
9.		फुलवारीशरीफ
10.		बाढ़
11.		बिक्रम
12.		बख्तियारपुर
13.		बिहटा
14.		पालीगंज
15.	नालंदा	राजगीर
16.		नूरसराय
17.		बिहारशरीफ ग्रामीण
18.		सरमेरा
19.		हरनौत
20.		अस्थावन
21.		इस्लामपुर
22.		एकंगड़सराय
23.	रोहतास	चेनारी
24.		डेहाथ
25.		सासाराम
26.		करकट
27.		नासिरीगंज
28.	कैमूर	भगवानपुर
29.		अधौरा
30.		रामगढ़
31.		मोहनिया
32.		दुर्गावती
33.		कुदरा
34.		चांद
35.	बक्सर	राजपुर
36.		बक्सर
37.		इटरही
38.	भोजपुर	बड़हारा
39.		बिहिया
40.		चारपोखरी
41.		तरारी
42.		उदवन्तनगर
43.		सहार
44.		जगदीशपुर
45.		पीरो
46.	गया	शेरघाटी
47.		इमामगंज
48.		बोध गया
49.		डुमरिया
50.		बाराचट्टी
51.		फतेहपुर
52.		अमस
53.		गया सदर
54.		मानपुर
55.		गया ग्रामीण
56.		मोहनपुर

1	2	3
57.		गुरूआ
58.		वजीरगंज
59.		अत्री
60.		परैया
61.	जहानाबाद	जहानाबाद ग्रामीण
62.	नवादा	सिरदाला
63.		नवादा सदर
64.		अकबरपुर
65.		रजौली
66.		गोविंदपुर
67.		वारिसली गंज
68.		हिसुआ
69.		नरहट
70.		कवाकोल
71.		पकड़ीवरावन
72.	औरंगाबाद	नवीनगर
73.		कुटुम्बा
74.		देव
75.		दाउदनगर
76.		मदनपुर
77.		बरूण
78.		हंसपुरा
79.		ओबरा
80.		रफीगंज
81.	सारण	मुसारख
82.	सिवान	बरहरिया
83.		रघुनाथ
84.		भैरवन
85.		गुठनी
86.	गोपालगंज	उचकागांव
87.		बरौली
88.		विजोयीपुर
89.		गोपालगंज
90.	मुजफ्फरपुर	मुसहरी सदर
91.		कुरहनी
92.		सकरा
93.		बोचहा
94.		ढोली
95.		कांटी
96.		मीनापुर
97.	सीतामढ़ी	बेलसंड
98.		बथनाहा
99.		मेजरगंज
100.	शिवहर	पिपड़ाही
101.	प. चम्पारण	गौनाहा
102.		मझौलिया
103.		रामनगर
104.		बगाह
105.		नरकटियागंज
106.	पू. चम्पारण	तरकौलिया
107.	वैशाली	पातेपुर
108.		हाजीपुर ग्रामीण
109.		महुआ
110.		लालगंज
111.		जंदाहा
112.		महनार
113.		गरौल
114.	दरभंगा	मणिगाछी
115.		दरभंगा सदर
116.		कुशेश्वरस्थान

1	2	3
117.		हायाघाट
118.		दरभंगा ग्रामीण
119.		बिरौल
120.		बहादुरपुर
121.		बहेड़ी
122.	मधुबनी	मधेपुर
123.	समस्तीपुर	विभूतिपुर
124.		वारिशनगर
125.		कल्याणपुर
126.		रोसड़ा
127.		समस्तीपुर ग्रामीण
128.		उजियारपुर
129.		ताजपुर
130.	सहरसा	महिषि
131.		नौहट्टा
132.		सोनबरसा
133.		सलखुआ
134.	सुपौल	त्रिवेणीगंज
135.		बसंतपुर
136.		राघोपुर
137.	मधेपुरा	मुरलीगंज
138.	पुर्णिया	बनमंखी
139.		कृत्यानंदनगर
140.		बरहराकोठी
141.	अररिया	रानीगंज
142.		जोकीहाट
143.		भरगामा
144.		सिकटी
145.	किशनगंज	ठाकुरगंज
146.		बहादुरगंज
147.	कटिहार	प्राणपुर
148.		बरसोई
149.		फल्का
150.		कोरहा
151.	भागलपुर	कहलगांव
152.		भागलपुर सदर
153.	बांका	धोरैया
154.		बांका
155.		रजौन
156.	मुंगेर	तारापुर
157.		संग्रामपुर
158.	शेखपुरा	अरियारी
159.		बरबीघा
160.		शेखपुरा
161.	लखीसराय	हलसी
162.	जमुई	सिकंदरा
163.		जमुई
164.		लक्ष्मीपुर
165.		खैरा
166.	बेगूसराय	बखरी
167.		बछवाड़ा
168.		चेरिया बरियारपुर
169.		भगवानपुर
170.	खगड़िया	अलौली
171.		बेलदौर

विवरण-II

राज्य का नाम : बिहार—वर्ष 2000-2001 के दौरान चलाए जाने की अनुमति प्राप्त आई०सी०डी०एस० परियोजनाएं

क्र.सं.	जिले का नाम	आई.सी.डी.एस परियोजना का नाम
1	2	3
1.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
2.	गया	खिजरसराय

1	2	3
3.	गया	कोच
4.	जहानाबाद	अरवल
5.	जहानाबाद	घोसी
6.	जहानाबाद	काको
7.	जहानाबाद	कर्पी
8.	जहानाबाद	कुर्था
9.	जहानाबाद	मखदुमपुर
10.	भोजपुर	आरा (सदर)
11.	भोजपुर	कोइलवर
12.	भोजपुर	शाहपुर
13.	नालंदा	चांदी
14.	नालंदा	हिलसा
15.	पटना	दानापुर
16.	पटना	पंडारक
17.	बक्सर	ब्रह्मपुर
18.	बक्सर	डुमरांव
19.	बक्सर	नवानगर
20.	बक्सर	सिमिरि
21.	रोहतास	बिक्रमगंज
22.	रोहतास	डेहरी
23.	रोहतास	दिनारा
24.	रोहतास	करगहर
25.	रोहतास	नोखा
26.	कैमूर	भभुआ
27.	कैमूर	चैनपुर
28.	गोपालगंज	बैकुठपुर
29.	गोपालगंज	भोरे
30.	गोपालगंज	हथुआ
31.	गोपालगंज	कचइकोट
32.	गोपालगंज	मंझा

[हिन्दी]

चीन द्वारा घुसपैठ

263. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को चीन के सामने उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न का समाधान बाकी है। दोनों पक्षों के बीच भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) की समझ के संबंध में मतभेद है। नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की ज्ञात घटनाओं को नियमित रूप से चीन के साथ राजनयिक और सीमा कार्मिकों की बैठकों/ध्वज बैठकों दोनों के माध्यम से उठाया जाता है।

भारत और चीन बातचीत के माध्यम से सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, यथोचित और आपसी स्वीकार्य समझौता चाहते हैं। सीमा प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए 1989 से एक संयुक्त कार्यग्रुप गठित किया गया है। दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में (सितम्बर, 1993) वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और शान्ति और अमन चैन बनाए रखने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं और भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में (नवम्बर, 1996) में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सेना क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर एक समझौता किया है जिससे भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शान्ति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए एक संस्थागत आधारभूत ढांचा उपलब्ध हुआ है।

सरकार भारतवर्ष की सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता और सुरक्षा के प्रति सतर्क है और उसके लिए सभी आवश्यक और समुचित कदम उठाती है।

[अनुवाद]

नागरिक सुविधाओं के लिए धनराशि का आबंटन

264. **श्री राम मोहन गाद्दे** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश के वारंगल शहर में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आबंटन की स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : केन्द्र प्रवर्तित छोटे और मझौले कस्बों के समेकित

विकास की स्कीम (आई डी एस एम टी) के अधीन आन्ध्र प्रदेश के वारंगल कस्बे हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान 797 लाख रुपये की लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है। परियोजना में 13 स्कीमें शामिल हैं जिनमें से आठ वाणिज्यिक स्कीम हैं, दो सड़क स्कीम हैं और एक-एक स्कीम पथ प्रकाश पार्किंग और बरसाती पानी के निकास की है। 270.00 लाख रुपये की अधिकतम ग्राह्य केन्द्रीय सहायता में से अब तक कस्बे को 180 लाख रुपये दो किस्तों में दिए गए हैं। केन्द्रीय सहायता की किस्त पर विचार राज्य सरकार से इस आशय का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद विचार किया जाएगा कि केन्द्रीय सहायता और समान राज्य अंश के कम-से-कम 70 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है।

वृहत रासायनिक और औद्योगिक संपदा

265. **डा० वी० सरोजा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रसायन और भेषज उद्योग के विकास के लिए वृहत रासायनिक और औद्योगिक संपदा अधिष्ठापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) वृहत (मेगा) रासायनिक और औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने की आवश्यकता की पहचान कर ली गई है। ऐसी सम्पदाओं के विकास तथा उनके स्थान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोयला खानों के आस-पास विकास

266. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के चारों ओर परिसरीय विकास से संबंधित प्रक्रिया और सिद्धान्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पालन महानदी कोलफील्ड लि., उड़ीसा में किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन पर खान-वार कितना धन खर्च किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान उस पर हुए खर्च की राशि का खानवार विवरण नीचे दिया गया है--

(लाख रु. में)

कोयला खान क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 आबंटन
बसुन्धरा	97.16	127.60	46.67	60.00
तलचर	231.61	165.705	116.52	229.05
ईब घाटी	135.60	110.10	24.60	117.24
एमसीएल मुख्या.	81.00	95.09	17.21	166.94
कुल	545.37	498.495	205.00	548.23

वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित किया गया संपूर्ण कार्य विधान सभा और संसद चुनाव तथा दो चक्रवातों के कारण भी पूरा नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि० में कोयले की सीधी लिंकेज

267. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को कोयले की सीधी लिंकेज देने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धोवन-उत्पादों की सीधी लिंकेज उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कोयला कंपनियों को कोयले का सीधे संयोजन करने का अधिकार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

268. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चालू शैक्षणिक सत्र से नौवीं और दसवीं कक्षा से सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रारम्भ करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के सभी स्कूलों के लिए इस प्रयोजनार्थ शिक्षण कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी विषय शुरू किया है। यह चालू शैक्षिक सत्र से कक्षा IX में वैकल्पिक/अतिरिक्त विषय के रूप में शुरू किया गया है।

(ख) इसके लिए शिक्षण स्टाफ और आवश्यक उपस्कर अपेक्षित होंगे और इनकी केवल उन स्कूलों द्वारा व्यवस्था की जाएगी जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नए राज्यों का गठन

269. **श्री उत्तमराव पाटील :**
श्री जय प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदर्भ, दीव-दमन, दादर हवेली, पूर्वांचल, तेलंगाना आदि नए राज्यों का गठन करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों/जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को नए छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड राज्यों के गठन से पूर्व कुछ विधान सभाओं द्वारा पारित नए राज्यों के गठन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) कुछ नए राज्यों के गठन के बारे में अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उन संगठनों/प्रतिनिधियों के नाम दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है, जिनसे नए राज्यों के गठन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार इस समय राज्यों के सामान्य पुनर्गठन पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) और (ङ) विन्ध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश विधान मण्डल से एक संकल्प प्राप्त हुआ था लेकिन इस संकल्प में इसमें शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(च) उपर्युक्त (ग) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

जिनके बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए	जिनसे प्रस्ताव प्राप्त हुए
1. तेलंगाना, विदर्भ, पूर्वांचल, गोरखालैण्ड, पंचाल प्रदेश, बोडोलैंड, बुन्देलखण्ड, सौराष्ट्र, मालवा	छोटे राज्यों के लिए नेशनल फ्रंट
2. विदर्भ	कृषि उत्पन्न बाजार समिति, चन्द्रपुर विदर्भ मुक्ति महामोर्चा, अकोला
3. तेलंगाना राज्य	तेलंगाना स्टडी फोरम हैदराबाद
4. पश्चिम प्रदेश	पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली
5. उत्तर प्रदेश में से 3-4 राज्य	राष्ट्रीय लोक दल, दिल्ली

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना

270. **प्रो० दुर्गा भगत :**
श्री के०पी० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण कार्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए अब तक राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किया गया और कितने आवासों का आबंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने गरीबों के लिए आवासों की आवश्यक संख्या के बारे में मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन आवासों का निर्माण कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(च) उक्त आवासों के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है; और

(छ) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 के दौरान आवासों के निर्माण हेतु राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण का निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 718326, 987466 तथा 1271618 था।

(ख) नवीनतम सूचना के अनुसार शुरू होने से लेकर अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिए निर्मित मकानों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मकान की कमी के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार 137.2 लाख ग्रामीण आवासों की कमी थी। 1991 की जनगणना के अनुसार आवासों की राज्यवार कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सरकार ग्यारहवीं योजना के अंत तक आवासों की कमी को दूर करने तथा सभी प्रकार के कच्चे मकानों को पक्का/अर्धपक्का बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। सभी को आवास उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य के अनुसरण में ग्रामीण आवास हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण आवास हेतु 1710 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(छ) निधियों के आबंटन के आधार पर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण/सुधार हेतु निर्धारित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह वर्ष 2001-2002 के लिए बजट आबंटन पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार शुरू होने से लेकर अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या

राज्य का नाम	निर्मित आवास (संख्या में)
1	2
आंध्र प्रदेश	576686
अरुणाचल प्रदेश	7400
असम	140055
बिहार एवं झारखंड	1037000
गोवा	4321
गुजरात	201895
हरियाणा	57345
हिमाचल प्रदेश	19717
जम्मू व कश्मीर	39782
कर्नाटक	287144
केरल	218914
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	741913
महाराष्ट्र	455024
मणिपुर	5731
मेघालय	4889
मिजोरम	7664
नागालैंड	28178
उड़ीसा	369366
पंजाब	32760
राजस्थान	302880
सिक्किम	5478
तमिलनाडु	311160
त्रिपुरा	24340
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	1041823
पश्चिम बंगाल	337975
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	379
दादरा व नगर हवेली	722
दमन व दीव	368
लक्षद्वीप	300
पांडिचेरी	1877
कुल	6563086

विवरण-II

ग्रामीण आवासों की कमी का राज्यवार ब्यौरा (1991 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	आवासों की कमी (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1118355

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	112170
3.	असम	2243965
4.	बिहार एवं झारखंड	4095740
5.	गोवा	9910
6.	गुजरात	264805
7.	हरियाणा	29510
8.	हिमाचल प्रदेश	16111
9.	कर्नाटक	426915
10.	केरल	346780
11.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	289770
12.	महाराष्ट्र	659900
13.	मणिपुर	89198
14.	मेघालय	147918
15.	मिजोरम	36897
16.	नागालैंड	88881
17.	उड़ीसा	684655
18.	पंजाब	44370
19.	राजस्थान	110965
20.	सिक्किम	12446
21.	तमिलनाडु	318095
22.	त्रिपुरा	192133
23.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	1251095
24.	पश्चिम बंगाल	1084675
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17948
26.	चंडीगढ़	454
27.	दादरा व नगर हवेली	7857
28.	दमन व दीव	4483
29.	दिल्ली	9125
30.	लक्षद्वीप	165
31.	पांडिचेरी	6247
	कुल	13721538

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	नया निर्माण/सुधार (संख्या में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	88288
2.	अरुणाचल प्रदेश	4246
3.	असम	98856
4.	बिहार	238660
5.	छत्तीसगढ़	16364
6.	गोआ	544
7.	गुजरात	25944
8.	हरियाणा	9368
9.	हिमाचल प्रदेश	3870
10.	जम्मू व कश्मीर	4644
11.	झारखंड	70124
12.	कर्नाटक	47184
13.	केरल	28416
14.	मध्य प्रदेश	57100
15.	महाराष्ट्र	84680
16.	मणिपुर	5062
17.	मेघालय	6726
18.	मिजोरम	1615
19.	नागालैंड	4342
20.	उड़ीसा	73232
21.	पंजाब	5960
22.	राजस्थान	25884
23.	सिक्किम	1164
24.	तमिलनाडु	46768
25.	त्रिपुरा	9821
26.	उत्तर प्रदेश	170781
27.	उत्तरांचल	16848
28.	पश्चिम बंगाल	96127

1	2	3
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	727
30.	दादरा व नगर हवेली	414
31.	दमन व दीव	162
32.	लक्षद्वीप	17
33.	पांडिचेरी	402
	कुल	1244320

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम

271. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गयी सहायता/अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहायता हेतु कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस समय 12 प्रस्ताव नोराड स्कीम के अंतर्गत और 14 प्रस्ताव कल्पावास गृह स्कीम के अंतर्गत लम्बित हैं। सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। जैसे ही स्पष्टीकरण प्राप्त हो जायेंगे, पूर्ण प्रस्तावों को परियोजना संस्वीकृति समितियों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	गैर-सरकारी संगठनों की सं.	राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादक एककों की स्थापना	1998-99	2	94,81,874
		1999-2000	4	7,20,344
2.	कामकाजी महिला होस्टल	1998-99	2	16,64,883
		1999-2000	2	3,34,919
3.	अल्पावास गृह	1998-99	200	1,33,64,000
		1999-2000	216	182,48,000

दिल्ली में वारंट जारी किये जाने के बाद गिरफ्तारी

272. **श्री मान सिंह पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोग गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किये जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के फरार हो जाने अथवा मर जाने आदि जैसे कारणों की वजह से गिरफ्तारी वारन्ट तामील नहीं हो सके।

(ग) वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 (31.10.2000 तक) के दौरान जारी किए गए वारन्टों की संख्या और तामील किए गए और तामील नहीं किए गए वारंटों की संख्या नीचे दी गई है–

वर्ष	जारी किए गए वारंटों की संख्या	तामील किए गए	तामील नहीं किए गए
1997	136625	93819	42806
1998	136248	91377	44871
1999	149816	100234	49492
2000 (31.10.2000 तक)	121298	78801	42297

ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन में वृद्धि

273. **श्री सिमरनजीत सिंह मान :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर से गांव की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक शौचालयों और उचित विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संसाधनों को एकत्र करने के लिए किन स्रोतों की पहचान की गई है और प्रत्येक स्रोत से कितनी मात्रा में संसाधन एकत्र किए जाएंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। कुल प्रवासियों में से (जिनमें ग्रामीण से शहरी, ग्रामीण से ग्रामीण, शहरी से ग्रामीण और शहरी से शहरी क्षेत्र में प्रवास शामिल है) वर्ष 1971, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास क्रमशः 15.3%, 17.6% और 18.4% है।

सरकार ऐसे प्रवास को जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण, इन्दिरा आवास योजना और छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास जैसी योजनाओं के जरिये रोकने के कदम उठा रही है।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार योजना के पांच वर्षों की अवधि हेतु शहरी जल आपूर्ति और सफाई के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान है। इसकी तुलना में योजना निधियों और संस्थागत वित्त से लगभग 5000 करोड़ रुपये वार्षिक मिलने का अनुमान है जिसमें से 3793.40 करोड़ रुपये योजना आबंटनों से प्राप्त होने की आशा है।

केन्द्र सरकार शहरी अवस्थापना हेतु संसाधन जुटाने की बहुआयामी कार्यनीति अपना रही है। इस कार्यनीति से वित्तीय रियायतें जैसे करमुक्त नगरपालिका बाण्ड, आयकर अधिनियम की धारा 81-ए के अधीन अवस्थापना की परिभाषा को व्यापक बनाना, टैरिफ सुधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेन्सियों से विदेशी सहायता में वृद्धि के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

रसायनों का उत्पादन

274. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री मोहसिना किदवई :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित भारत वाणिज्यिक वार्तालाप में किए गए समझौते के अनुसार सरकार कुछ चुने हुए रसायनिक उत्पादों के उत्पादन को बंद करने के अनुदेश जारी करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे रसायन कौन-कौन से हैं और उनमें से जीवन रक्षक रसायन कितने हैं;

(ग) क्या इस उत्पादन के बंद होने से देश को लाभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्तालाप में ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एअरलाइंस विमान का अपहरण

275. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइंस के विमान का अपहरण करके इसे कांधार ले जाए जाने के संबंध में अमरीका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक अमरीकी नागरिक, जो अपहृत विमान के यात्रियों में से एक था, द्वारा की गयी शिकायत पर एफ.बी.आई. द्वारा दर्ज मामले की जांच करने में एफ.बी.आई. ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता मांगी थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एफ.बी.आई. के अधिकारियों को अपेक्षित सहायता प्रदान की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी, एफ.बी.आई. दल से अपहरणकर्ताओं का पता लगाने और गिरफ्तार करने में सहायता करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

276. **श्री राजेश वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के चालीस प्रतिशत पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 22 प्रतिशत शिक्षण पद और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में लगभग 7 प्रतिशत शिक्षण पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिक्त पदों को भरने के लिए 2000-2001 के दौरान पहले ही निधियों का पर्याप्त प्रावधान कर दिया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने यह भी सूचित किया है कि वे इस समय कुल रिक्त 1667 शिक्षण पदों में से 2000-2001 के दौरान लगभग 1053 शिक्षण पदों को भरना चाहते हैं।

[अनुवाद]

एन०पी०पी०ए० में कदाचार

277. **श्री दिनशा पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राईसिंग अथारिटी (एन.पी.पी.ए.) के कार्यकरण में व्याप्त कदाचार और बल्क औषधियों के भेषज मिश्रणों के अधिमूल्यन के संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) मूल्य निर्धारण के संबंध में एन पी पी ए के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस विभागन ने जांच करने पर यह पाया कि इन आरोपों में कोई वास्तविकता नहीं थी।

रेलवे के साथ एच०पी०एल० का विलय

278. **श्री रिजवान जहीर** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान प्रेफेब लिमिटेड का विनिवेश न कर इसे रेलवे के साथ विलय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को रेलवे को सौंपने, कम्पनी के विनिवेश इत्यादि सहित सरकार के पास विभिन्न विकल्प हैं। इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।

परती भूमि

279. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान परती भूमि के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) बंजर भूमि के विकास हेतु केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (घ) भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं पर तब वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों और वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केवल परती भूमि के विकास के लिए कोई भी परियोजना प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं पड़ा है।

विवरण

(वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक) विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों के नाम	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15	185739	7426.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1500	60.00
3.	असम	4	34279	1371.16
4.	बिहार	1	6273	250.00
5.	गुजरात	13	138807	5551.60
6.	हिमाचल प्रदेश	9	99921	3991.12
7.	हरियाणा	1	11792	478.88
8.	जम्मू और कश्मीर	3	26880	1076.00
9.	कर्नाटक	14	172004	6874.28

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र	9	101654	4066.65
11.	मेघालय	2	11011	440.44
12.	मणिपुर	7	66468	2658.72
13.	मध्य प्रदेश	18	151027	6018.30
14.	नागालैंड	5	61500	2460.00
15.	उड़ीसा	13	105559	4206.07
16.	राजस्थान	11	89786	3590.96
17.	सिक्किम	5	49829	1989.16
18.	तलिमनाडु	10	66955	2674.60
19.	उत्तर प्रदेश	24	278394	11143.64
	योग	165	1659559	66328.06

आतंकवाद/नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

280. **श्रीमती रमामा सिंह :**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रितानी गृह सचिव ने हाल के भारत के दौरे के दौरान आतंकवाद/नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ब्रिटेन ने इस संबंध में भारत को किस सीमा तक सहायता करने का विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) यू.के. सरकार के गृह मामलों के राज्य सचिव, श्री जैक स्ट्रा की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल ने 4.9.2000 को केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। अन्य मामलों के साथ-साथ, आतंकवाद का मुकाबला करने और नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार को रोकने की जरूरत से संबंधित विषयों पर बातचीत हुई।

(ग) से (ङ) यू.के. की सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपसी-सहयोग के लिए संस्थागत प्रबन्ध करने के हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा पर राजसहायता में कटौती

281. **डा० अशोक पटेल :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा पर राजसहायता को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरोध में कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में व्यापक विरोध को देखते हुए इस मामले की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का विकास

282. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए सरकार के कोई विशेष कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित तथा व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहायता लेकर देश में शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रम में नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास प्रारंभ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो चल रही तथा भविष्य में प्रारंभ करने की विचारित ऐसी परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) व्यावहारिक संस्थागत ढांचे के सृजन, प्रबोधन हेतु शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन आधार बनाने, स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके कौशल तथा शैक्षिक दक्षताओं के स्तरोन्नयन के लिए शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को संचालित किया जा रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), शिक्षक शिक्षा कालेज तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना, संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षक शिक्षा कालेजों तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना, राज्यों के राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों, स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा की पारस्परिक क्रिया पद्धति का सुदृढ़ीकरण आदि इस योजना के मुख्य घटक हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आबंटित की गई निधियों का राज्यवार तथा संघ राज्यवार विवरण संलग्न है। आबंटित की गई निधियों में से खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष में जारी की गई निधियों में समायोजित किया जाता है।

(ग) और (घ) कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरस्थशिक्षा की पारस्परिक कार्य-प्रणाली के प्रभाव की जांच करने के लिए एक पायलट परियोजना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कार्यान्वयन एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के अनुभव तथा फीडबैड से गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में दूर-संचार विभाग, यूनेस्को तथा अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (आई टी यू) के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में इन्टरएक्टिव टेलीविजन के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्य परियोजना तैयार की गई है। पूर्व-परियोजना कार्यकलाप जारी है तथा इनको शीघ्र ही संचालित किए जाने की सम्भावना है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जयपुर, बंगलूर, भुवनेश्वर तथा भोपाल में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए चार क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं। ये क्षेत्रीय समितियां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता/स्वीकृति के लिए शिक्षक शिक्षा संस्थानों के आवेदन पर विचार करती है।

विवरण

I. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की गई निधि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत की गई राशि		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	1080.35	698.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	450.00	—	167.34
3.	असम	—	1598.17	482.17
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	28.56	62.91	49.48
6.	गुजरात	418.55	681.83	704.99
7.	हरियाणा	—	30.25	—
8.	हिमाचल प्रदेश	640.57	520.95	526.75
9.	जम्मू और कश्मीर	—	30.25	—
10.	कर्नाटक	1139.73	857.19	1097.79
11.	केरल	340.60	461.13	505.78
12.	मध्य प्रदेश	—	2557.27	1954.90
13.	महाराष्ट्र	78.10	—	1177.04
14.	मणिपुर	—	65.57	123.76
15.	मेघालय	—	25.00	—
16.	मिजोरम	84.72	23.00	—
17.	नागालैंड	140.05	86.50	108.00
18.	उड़ीसा	352.00	475.80	487.39
19.	पंजाब	330.42	559.93	652.53
20.	राजस्थान	1379.42	1624.77	2204.92
21.	सिक्किम	—	96.72	98.93
22.	तमिलनाडु	869.43	2468.68	9.00
23.	त्रिपुरा	136.85	35.25	—
24.	उत्तर प्रदेश	461.00	1288.82	1184.66
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	424.83
26.	अंडमान व नि. द्वीप समूह	—	—	—
27.	दिल्ली	298.00	488.27	318.55
28.	लक्षद्वीप	—	50.00	—
29.	पांडिचेरी	—	20.00	31.42

II. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल शिक्षकों के वास्ते विशेष प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को स्वीकृत की गई धनराशि निम्नवत है

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
1997-98	1800.00
1998-99	1500.00
1999-2000	500.00

महाविद्यालयों को अनुदान

283. श्री सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1999-2000 के दौरान किन-किन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान/सहायता मिली;

(ख) क्या अनुदान/सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की राजसहायता में कटौती

284. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने उर्वरकों के लिए दी जा रही राजसहायता में और कटौती करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां तो विभिन्न उर्वरकों के लिए सिफारिश की गई कटौती का ब्यौरा क्या है और उसका औचित्य क्या है; और

(ग) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए लक्षित राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के वितरण को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इससे किसानों विशेषरूप से छोटे और सीमांत किसानों पर कितना असर पड़ने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यूरिया एककों के लिए मौजूदा प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम को रियायत स्कीम से प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की है जो कि गैस आधारित एककों के संबंध में संयंत्रों के पुरानेपन एवं फीडस्टॉक पर आधारित है। इन सिफारिशों को यदि लागू किया जाता है तो इससे राजसहायता खर्च में बचत होगी। रियायत स्कीम में एकक विशेष और आर.पी.एस. के तहत लागत सहित राजसहायता को यूरिया एककों के लिए रियायत की निश्चित दर से प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना की गई है जो कि पांच श्रेणियों में समूहीकृत की गई हैं अर्थात् (i) 1992 से पूर्व गैस आधारित एकक, (ii) 1992 के बाद गैस आधारित एकक, (iii) नैप्था आधारित एकक, (iv) एफओ/एलएसएचएस आधारित एकक, (v) मिश्रित ऊर्जा एकक/फीडस्टॉक और गैस आधारित संयंत्रों का पुरानापन, इन्हें समूहीकृत करने का कारण है। इस रिपोर्ट में छोटे और सीमान्त कृषकों के संरक्षण के लिए अनिवार्य उपायों की जांच की है और दो सम्भावित विकल्प जो कि (क) दोहरी मूल्यस्कीम का आरम्भ और (ख) ग्रामीण कार्यक्रमों का माध्यम है।

प्रो. सी. एन. हनुमन्था राव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण समिति द्वारा पहले की गई सिफारिशों के साथ आयोग की रिपोर्ट मौजूदा आरपीएस के विकल्प के रूप में नयी मूल्य नीति तैयार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवायेगी।

शहरी विकास हेतु योजना आवंटन

285. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास हेतु योजना आवंटन इन वर्षों के दौरान कुल योजना परिव्यय के आठ प्रतिशत से घटकर 2.6 हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अकेले शहरी अवसंरचना में कमियों को पूरा करने के लिए अगले दस वर्षों के दौरान योजना संसाधनों से एक वर्ष में बीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी विकास हेतु वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक के लिए वार्षिक केन्द्रीय योजना नियतन विवरण के रूप में संलग्न है।

मंत्रालय/विभागों को बजट सहायता का नियतन, योजना के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता, प्रतियोगी मंत्रालयों/विभागों से इसी प्रकार की मांग और योजना कार्यक्रमों के बारे में संबंधित मंत्रालय/विभाग के निष्पादन तथा साथ ही क्षेत्र के लिए पंचवर्षीय योजना परिव्यय पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) इंडिया इंफ्रास्टक्चर रिपोर्ट (नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च) 1996 के अनुसार 1996-2000 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान शहरी अवस्थापना (जल आपूर्ति, सफाई, कचरा प्रबंध और सड़कों) के लिए अनुमानित कुल वार्षिक आवश्यकता 28,297 करोड़ रुपये (पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 1,41,485 करोड़ रुपये) का अनुमान लगाया गया था। बाद की 2000-2005 पांच वर्ष की अवधि के दौरान अनुमानित वार्षिक निवेश 27,273 करोड़ (पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 1,38,865 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार दस वर्ष की कुल अवधि के लिए 280,350 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है। शहरी अवस्थापना में इस अपेक्षित निवेश की तुलना में धन की अनुमानित उपलब्धता 5000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी। इस प्रकार उपर्युक्त धन के बाद हर वर्ष लगभग 23,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

शहरी अवस्थापना हेतु संसाधन जुटाने के लिए केन्द्र सरकार एक बहुआयामी कार्यनीति अपना रही है। इस कार्यनीति में करमुक्त नगरपालिका बाण्ड जैसी वित्तीय रियायतें, आयकर की धारा 81-ए के अन्तर्गत अवस्थापना की परिभाषा को व्यापक बनाना, कर सुधार निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से विदेशी सहायता के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश आदि का समावेश है।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 के लिए वार्षिक केन्द्रीय योजना नियतन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल योजना परिव्यय	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय हेतु परिव्यय	कुल परिव्यय में शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन परिव्यय का प्रतिशत
2000-2001			
ब.अ.	117333.78	2567.40	2.19
1999-2000			
सं.अ.	96309.94	1506.30	1.56
1998-1999			
सं.अ.	88481.75	2116.88	2.49
1997-1998			
सं.अ.	42464.27	1931.89	4.55

अत्यधिक पिछड़े/निर्धनतम जिलों की पहचान

286. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अत्यधिक पिछड़े और निर्धनतम 100 जिलों की पहचान करने हेतु वर्ष 1997 में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) ऐसे जिलों के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) इन जिलों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या इन जिलों के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार।

(घ) से (च) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को सहायता देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ढांचागत विकास, वाटरशेड विकास, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों की समय-समय पर ध्यानपूर्वक निगरानी और समीक्षा की जाती है। इन कार्यक्रमों को दिए गए 100 अत्यधिक पिछड़े और अति गरीब जिलों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

1. नालंदा
2. भोजपुर
3. रांची
4. औरंगाबाद
5. जहानाबाद
6. गया
7. नावादा
8. सारन
9. सिवान
10. गोपालगंज
11. प. चम्पारण
12. पू. चम्पारण
13. सीतामढ़ी
14. मुजफ्फरपुर
15. वैशाली
16. बेगूसराय
17. समस्तीपुर
18. दरभंगा
19. मधुबनी
20. सहरसा

21. मधेपुरा
22. पुरनिया
23. कटिहार
24. खागडिया
25. मुंगेर
26. भागलपुर
27. गोड्डा
28. साहेबगंज
29. दुमका
30. देवगढ़
31. गिरिडीह
32. हजारीबाग
33. पलामू
34. लोहारडग्गा
35. गुमला
36. प. सिंहभूम
37. अररिया
38. किशनगंज
39. दादरा व नगर हेवली
40. कैथल
41. हमीरपुर
42. बीदर
43. टीकमगढ़
44. चत्तरपुर
45. पन्ना
46. सागर
47. दमोह
48. खरगोन
49. खंडवा
50. विदिशा
51. सिहोर
52. रायसेन
53. बेतूल
54. होशंगाबाद
55. नरसिंहपुर
56. मांडला
57. छिंदवाड़ा
58. सिओनी
59. बालाघाट
60. राजनंदगांव
61. सरगुजा
62. औरंगाबाद
63. जलना
64. पारभनी
65. बीड
66. नांदेड़
67. ओस्मानाबाद
68. लातूर
69. बुलदाना
70. गढचिरोली
71. यवतमाल
72. फूलबनी
73. कालाहांडी
74. कोरापुट
75. कियोंझार
76. डुंगरपुर
77. बांसवाड़ा
78. प. सिक्किम
79. द. सिक्किम
80. सीतापुर
81. हरदोई
82. उन्नाव
83. रायबरेली
84. जालौन
85. ललितपुर
86. हमीरपुर

87. बांदा

88. फतेहपुर

89. प्रतापगढ़

90. बहराईच

91. बाराबंकी

92. सिद्धार्थ नगर

93. महाराजगंज

94. झांसी

95. मऊ

96. कानुपर देहात

97. कूच बिहार

98. जलपाईगुड़ी

99. मालदा

100. दार्जीलिंग

'हडको' द्वारा सहायता

287. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी निगम (हडको) ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ और चक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पुनर्वास करने हेतु ऋण सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में राज्यवार कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किए जाने की योजना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

राज्य का नाम	स्वीकृत ऋण सहायता (करोड़ रुपये)	स्वीकृत मकान
ओडिसा	1287.50	3,25,000
आंध्र प्रदेश	300	2,27,107
प. बंगाल	480	23,25,000

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

288. **श्री बृजलाल खाबरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक भारत के भ्रमण पर आए विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा दें;

(ख) वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद देश में रुके रहने वाले कितने विदेशी पर्यटक हैं;

(ग) ऐसे पर्यटकों को उनके देश भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ऐसे पर्यटकों को कब तक उनके देश भेज दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सौएच० विद्यासागर राव) : (क) विदेशों में स्थित विभिन्न मिशनों और पोस्टों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विदेशी पर्यटकों को वीसा प्रदान करने संबंधी पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं–

1997	1998	1999
9,21,512	9,16,130	9,66,565

(ख) से (घ) विदेशियों को निर्वासित करने सहित उनके निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने के मामलों से निपटने के लिए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्राप्त शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। अत: वीसा समाप्ति के बाद भारत में रह रहे विदेशियों के बारे में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस प्रकार के विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

शहरी विकास के लिए विश्व बैंक ऋण

289. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शहरी विकास और जलापूर्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी ने शहरी विकास और जलापूर्ति के लिए भारतीय राज्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की थी और योजनाएं स्वीकृत की थीं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने इस उद्देश्य के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु कुछ शर्तें रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) विश्व बैंक द्वारा शहरी विकास और शहरी जल आपूर्ति कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श करने और इन

क्षेत्रों में परियोजनाएं तैयार करने/बनाने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं व अन्य ऋण दाता एजेंसियों जैसी अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ 31.10.2000 को एक कार्यशाला की गई थी।

राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा से पी०एच०डी० उपाधि धारकों को छूट

290. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (नेट) से पी.एच.डी. डिग्री धारकों को छूट दिये जाने से विचारों में मतभेद हो गए हैं;

(ख) क्या फैडरेशन ऑफ आल इंडिया रिसर्चर्स एसोसिएशन ने रस्तोगी आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.एच.डी. उपाधि धारकों को छूट वापस लेने की मांग करते हुए संघ सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञापन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) आयोग को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस निर्णय के प्रति समर्थन तथा आपत्तियां व्यक्त की गई हैं कि पीएचडी डिग्री धारकों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट नहीं दी जाए। निर्णय गुणावगुणों के आधार पर तथा शिक्षा के स्तर में एकरूपता बनाये रखने के हित में लिया गया है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति

291. श्री अनन्त गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों द्वारा अपनी भूमि पर मलिन बस्तियों के लिए अलग-अलग रवैया और नीतियां अपनाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो समन्वित नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) स्लम राज्य का विषय है और स्लम दशाएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं और यहां तक कि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग हैं इसलिए एकसमान और ठोस राष्ट्रीय स्लम नीति संभवतः ज्यादा सार्थक और कारगर नहीं हो सकती। भारत सरकार देश के विभिन्न शहरों में स्लमों की समस्याओं से अवगत है और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन एस डी पी) के जरिए इसमें सुधार का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत योजना आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के जरिए राशि जारी की जाती है। स्लम दशाओं में सुधार के लिए व्यापक दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों को मान्यता

292. श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के संबंध में शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे कई मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में आवश्यक उपकरणों, भवन, व्याख्याताओं आदि की भारी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विधिवत् निर्धारित विनियमों के आधार पर प्रस्तावों पर विचार करती है और यह वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारित मानकों और स्तरों के अनुसार भूमि, भवन, कक्षा, कक्ष, संकाय इत्यादि जैसी आधारभूत सुविधा की उपलब्धता को भी ध्यान में रख रही है।

(ख) और (ग) न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर अनुमोदन दिया जाता है। यदि किसी मूल आवश्यकता को पूरा न किया गया पाया जाता है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद चेतावनी देती है अथवा 'कोई दाखिला नहीं' या 'दाखिला कम करने' के अन्तर्गत संस्था पर दण्डात्मक उपाय करती है ताकि कमियों को शीघ्र ही दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

नये राज्यों को परिसंपत्तियों और देयताओं का आबंटन

293. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये गठित राज्यों को परिसंपत्तियों और देयताओं के नियत करने के मामले में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : मूल राज्यों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विभाजन, संगत राज्य पुनर्गठन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना है। उत्तराधिकारी राज्यों को कई परिसम्पत्तियां और देनदारियां का हस्तांतरण उनके स्थान/अंतबंधन के आधार पर होगा। कुछ परिसम्पत्तियां/देनदारियां जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विभाजित

होगी। उत्तराधिकारी राज्य द्वारा अन्य परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विभाजन, एक-दूसरे के साथ समझौता करके की जानी है। केन्द्र सरकार केवल, कोई विवाद उत्पन्न होने और ऐसे लिखे जाने पर ही हस्तक्षेप करेगी और उपयुक्त निर्देश जारी करेगी।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण

294. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण करने हेतु सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों और वित्तीय संस्थानों को कोई भूमिका सौंप रखी है या सौंप रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों तथा वित्तीय संस्थानों को कोई भूमिका नहीं सौंपी है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामले

295. **श्री होलखोमांग हौकिप** :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्गों पर किए गए अत्याचार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्यवार गिरफ्तार और आरोपित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्यवार कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(घ) देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना विवरण-I से VII तक संलग्न है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और उसकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध के संबंध में निवारक, दंडात्मक तथा पुनर्वास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखती रही है।

विवरण-I

वर्ष 1997 के दौरान अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	303	59	12	0	0	14	266	635	558	1880
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	33	225	20	8	3	3	5	0	208	205	710
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6.	गुजरात	18	215	21	13	2	13	21	116	602	810	1831
7.	हरियाणा	5	42	12	1	0	0	1	0	9	23	93

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश	1	5	3	0	0	0	0	16	28	8	61
जम्मू व कश्मीर	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	8
कर्नाटक	10	55	5	1	0	0	2	207	923	24	1227
केरल	4	192	76	1	0	1	3	6	352	120	755
मध्य प्रदेश	66	635	315	23	3	10	30	44	394	2749	4269
महाराष्ट्र	8	79	35	7	6	3	4	262	176	251	831
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	10	215	15	7	0	4	2	3	222	200	678
पंजाब	0	0	3	2	0	0	0	1	2	3	11
राजस्थान	53	197	158	16	1	1	63	4	781	4350	5624
सिक्किम	0	8	2	1	0	0	1	0	1	5	18
तमिलनाडु	11	983	9	2	1	1	0	193	93	110	1403
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	261	706	302	149	42	126	243	72	3627	2972	8500
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (राज्य)	513	3860	1037	243	58	162	389	1190	8054	12395	27901
अं. नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	2	16	1	19
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23
कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	26	16	1	43
कुल (अखिल भारत)	513	3860	1037	243	58	162	389	1216	8070	12396	27944

: मासिक अपराध आंकड़े।

विवरण-II

वर्ष 1998 के दौरान अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	35	364	46	6	0	0	5	158	536	455	1605
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	12	253	23	3	3	1	12	12	269	197	785
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
6.	गुजरात	21	243	20	18	4	32	11	27	595	913	1884
7.	हरियाणा	6	51	24	12	2	13	0	0	18	33	159
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3	7	1	0	0	0	2	19	26	59
9.	जम्मू व कश्मीर	0	7	0	0	0	0	0	0	0	10	17
10.	कर्नाटक	11	31	10	1	1	0	24	128	902	40	1148
11.	केरल	4	248	80	3	0	1	11	2	297	122	768
12.	मध्य प्रदेश	67	680	269	41	1	25	32	15	401	2520	4051
13.	महाराष्ट्र	7	86	37	7	6	5	11	191	141	192	683
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	7	191	22	6	2	5	4	7	254	274	772
19.	पंजाब	7	1	4	2	0	0	0	1	6	2	23
20.	राजस्थान	49	218	138	9	0	2	63	0	958	4149	5586
21.	सिक्किम	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
22.	तमिलनाडु	30	650	4	5	0	0	23	165	300	385	1562
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	259	782	238	139	30	66	150	6	2737	2104	6511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	516	3809	923	253	49	150	346	714	7435	11422	25617
26.	अं. नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	11
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	10
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	10	8	3	21
	कुल (अखिल भारत)	516	3809	923	253	49	150	346	724	7443	11425	25638

नोत : मासिक अपराध आंकड़े।

विवरण-III

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	437	61	2	3	6	8	266	522	418	1749
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	7
4.	बिहार	5	230	22	1	2	0	13	0	276	271	820
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	26	363	28	15	8	23	17	9	415	877	1781
7.	हरियाणा	5	33	26	8	1	0	1	0	18	29	121
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	4	0	0	0	0	6	21	19	54
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	1	0	9	13
10.	कर्नाटक	11	27	6	0	0	0	8	85	1131	9	1277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	केरल	5	177	54	0	0	0	4	3	194	77	514
12.	मध्य प्रदेश	55	751	305	36	2	16	56	26	433	2987	4667
13.	महाराष्ट्र	7	67	40	6	1	4	10	135	160	175	605
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	10	145	8	4	0	3	3	3	263	333	772
19.	पंजाब	5	9	7	2	0	0	0	1	6	9	39
20.	राजस्थान	49	154	146	10	0	3	67	19	887	4288	5623
21.	सिक्किम	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	12
22.	तमिलनाडु	20	165	12	11	0	3	1	109	366	196	883
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	279	672	276	133	19	50	145	1	2597	1950	6122
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	506	3241	1000	228	36	109	337	665	7289	11651	25062
26.	अं. नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	3	10	5	18
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	13
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	13	12	6	31
	कुल (अखिल भारत)	506	3241	1000	228	36	109	337	678	7301	11657	25093

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-IV

वर्ष 1997 के दौरान अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	99	15	4	0	0	0	6	58	43	236
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	6	21	4	4	0	0	1	0	98	24	158
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	9	57	19	9	0	2	1	0	49	238	384
7.	हरियाणा	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	5
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9.	जम्मू व कश्मीर	0	4	2	0	0	0	0	0	0	5	11
10.	कर्नाटक	5	34	1	0	0	0	0	3	11	24	78
11.	केरल	6	34	22	1	0	1	2	3	46	24	139
12.	मध्य प्रदेश	27	161	180	11	0	1	15	5	64	936	1400
13.	महाराष्ट्र	3	13	16	5	1	0	0	11	44	96	189
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	4	0	0	1	0	0	0	0	7	13
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	4	64	10	3	0	2	1	6	76	72	238
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	9	55	41	1	0	1	7	0	146	1185	1445
21.	सिक्किम	0	7	0	0	1	0	0	0	0	23	31
22.	तमिलनाडु	8	134	2	3	0	0	0	54	18	8	227
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	उत्तर प्रदेश	6	17	1	0	0	1	1	0	31	29	86
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	95	706	314	41	3	8	28	88	642	2716	4641
26.	अं. नि. द्वीप समूह	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
	कुल (अखिल भारत)	95	706	315	41	3	8	29	88	643	2716	4644

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-V

वर्ष 1998 के दौरान अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	171	33	8	3	6	3	9	55	56	345
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	21	4	1	0	0	1	0	73	42	144
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6.	गुजरात	9	54	28	7	1	0	0	0	55	252	406
7.	हरियाणा	0	16	0	2	0	5	0	0	2	3	28
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	4	9	1	0	0	0	0	0	35	22	71
11.	केरल	1	52	21	1	0	0	1	0	25	37	138
12.	मध्य प्रदेश	23	129	194	28	1	2	13	5	78	921	1394
13.	महाराष्ट्र	4	12	11	3	0	0	1	17	31	74	153
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	1	83	6	2	0	1	0	2	91	96	282
19.	पंजाब	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
20.	राजस्थान	15	53	28	2	0	1	12	0	213	808	1132
21.	सिक्किम	2	10	0	1	0	0	2	0	1	17	33
22.	तमिलनाडु	2	7	1	0	0	0	0	14	7	0	31
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	2	20	4	1	0	0	5	0	40	38	110
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	66	638	331	56	5	15	38	47	708	2367	4271
26.	अं. नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5
	कुल (अखिल भारत)	66	638	331	56	5	15	38	50	709	2368	4276

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-VI

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	चोट पहुंचाना	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	आगजनी	पी.सी.आर. एक्ट	अनु. जाति/अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	अन्य अपराध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	48	22	7	0	0	1	7	39	50	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	असम	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
4.	बिहार	1	15	6	1	1	0	0	0	14	29	67
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	11	55	23	6	1	1	8	1	45	216	367
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	19
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
10.	कर्नाटक	3	0	1	0	0	0	0	4	49	3	60
11.	केरल	0	23	10	0	0	1	2	0	14	31	81
12.	मध्य प्रदेश	38	216	233	28	0	3	16	3	105	1114	1756
13.	महाराष्ट्र	4	13	34	9	1	1	1	13	18	77	171
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	3	105	10	1	0	1	0	7	94	114	335
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5
20.	राजस्थान	14	61	40	4	0	1	13	0	175	913	1221
21.	सिक्किम	0	8	2	1	0	0	0	0	0	7	18
22.	तमिलनाडु	1	70	0	0	0	0	0	10	11	13	105
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	1	0	0	0	0	0	6	36	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	80	646	383	59	3	8	43	45	574	2608	4449
26.	अं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डोगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	कुल (अखिल भारत)	80	646	384	59	3	8	43	45	574	2608	4450

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-VII

वर्ष 1997 और 1998 के दौरान गिरफ्तार, आरोपित किए गए व्यक्ति और मामले जिनमें पी सी आर एक्ट तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विचारण पूरा हो गया है

क्र.स.	राज्य	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम						अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम					
		1997			1998			1997			1998		
		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	मामले जिन पर विचारण पूरा हो गया है	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	मामले जिन पर विचारण पूरा हो गया है	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	मामले जिन पर विचारण पूरा हो गया है	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	आरोपित व्यक्ति	मामले जिन पर विचारण पूरा हो गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	678	664	408	377	436	234	1394	1381	422	1116	926	487
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	79	149	17	147	174	28	1376	1284	93	1736	1518	229
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	106	110	39	76	74	253	1610	1561	432	1285	1222	520
7.	हरियाणा	2	2	0	5	5	2	14	2	0	38	47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	45	36	6	2	11	7	79	69	9	14	25	9
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	22
10.	कर्नाटक	728	755	717	250	223	300	3245	3095	593	3012	2741	313
11.	केरल	10	8	8	1	3	7	554	481	86	541	393	109
12.	मध्य प्रदेश	227	232	175	124	124	316	1795	1808	578	2121	2129	897
13.	महाराष्ट्र	536	554	212	442	428	86	383	421	114	433	422	118
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	11	11	21	0	0	10	1193	1286	176	1149	1181	540
19.	पंजाब	14	0	0	1	11	0	10	5	0	30	12	3
20.	राजस्थान	6	6	24	1	1	37	3406	3458	1034	3982	3821	1174
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	262	180	220	536	470	106	972	614	152	1515	1170	152
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	287	291	628	257	245	532	10572	10547	3819	8107	7763	2887
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	2991	2999	2477	2222	2205	1919	26603	26012	7511	25079	23370	7461
26.	अं.नि.द्वि. समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.	प्रा.न.
30.	दिल्ली (सं.शा.क्षे.)	12	13	0	4	4	0	3	2	1	4	4	3
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	48	43	11	14	15	14	0	0	0	0	0	0
	कुल (सं.शा.क्षे.)	61	57	11	18	19	14	5	4	2	5	5	4
	कुल (अखिल भारत)	3052	3056	2488	2240	2224	1933	26608	26016	7513	25084	23375	7465

स्रोत : भारत में अपराध।

नोट : प्रा.न. का अर्थ है आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

आतंकवादियों का आत्मसमर्पण

296. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में गत तीन वर्षों में **प्रत्येक वर्ष के दौरान** कितने आतंकवादियों ने राज्यवार **आत्मसमर्पण किया;**

(ख) क्या आतंकवादी गतिविधियों **में कमी आई है** या वृद्धि हुई है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों गतिविधियां चलाने वाले आतंकवादी समूहों के राजनीतिज्ञों के साथ सांठ गांठ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में आत्मसमर्पण कर चुके विद्रोहियों की संख्या निम्न प्रकार है–

राज्य	1997	1998	1999
असम	–	251	676
नागालैंड	15	36	06
मणिपुर	13	01	01
त्रिपुरा	437	03	57
मेघालय	–	–	–
मिजोरम	–	–	44
अरुणाचल प्रदेश	–	05	03

(ख) हालांकि, हाल ही में मणिपुर और त्रिपुरा में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, लेकिन असम और नागालैंड में समग्र रूप से स्थिति में सुधार हुआ है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मिलाकर शांति है।

(ग) और (घ) राजनीतिज्ञों की आतंकवादी ग्रुपों के साथ संबंधों के संकेत की रिपोर्टें हैं। इन रिपोर्ट की जांच पड़ताल की जा रही है।

राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी निवास

297. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सेवारत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समाहर्ता जैसे उच्च अधिकारियों को छोड़कर सरकारी निवास प्रदान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकारी निवास का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित बजट कितना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल रिहायशी वास दिया जाता है, जहां ऐसा वास सुलभ होता है।

(ग) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सामान्य पूल वास के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) सामान्य पूल वासों के निर्माण हेतु चालू वर्ष में 74.50 करोड़ रुपये की बजट ग्रांट रखी गई है।

विवरण

निर्माणाधीन सामान्य पूल वास

क्र.सं.	शहर	टाइप						
		I	II	III	IV	V	VI	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली	–	–	–	442	494	–	936
2.	श्रीनगर	–	120	88	18	–	–	226
3.	शिमला	–	30	42	–	–	–	72
4.	लखनऊ	160	194	–	42	32	–	428
5.	इलाहाबाद	–	24	102	18	4	2	150
6.	वाराणसी	24	60	102	12	–	–	198
7.	आगरा	16	32	64	8	–	–	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	जयपुर	64	88	176	56	20	6	410
9.	गंगटोक	24	24	40	12	6	—	106
10.	कलकत्ता	—	—	—	28	72	—	100
11.	गुवाहाटी	24	16	72	24	—	—	136
12.	मुम्बई	—	60	20	—	—	—	80
	कुल	312	648	706	660	628	8	2962

भेषज-क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

298. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज-क्षेत्र की कार्य-निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की तर्ज पर उत्पादन तथा अनुसंधान और विकास गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा विश्व-बाजार में प्रभावी भूमिका निभाने के उद्देश्य से अमरीका के साथ संयुक्त-उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए नई पहलें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेषज-क्षेत्र के शिक्षा-संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए, अमरीका के सहयोग से उन्हें स्तरोन्नत करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2000-2001 के दौरान इस क्षेत्र में नये नीतिगत सुधारों के लिए समयबद्ध कार्य-सूची क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) औषध और भेषज क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए विदेशी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने एटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश की सीमा प्रपुंज औषधों, उनके मध्यवर्तियों और सूत्रयोगों के मामले में 51% से 74% तक बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) स्थापित किया है जो भेषज विज्ञान में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम संस्थान है जिसका घोषित लक्ष्य भेषज विज्ञानों में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए उच्च कोटि का केन्द्र बनाना है। नाइपर औषध खोज एवं विकास पर जोर देकर अन्तर विषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए एस.एस. (फार्मा), एम.फार्मा एण्ड एम-टेक (फार्मा.) एवं पी एच डी कार्यक्रम जैसे विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है।

फर्जी मानव अधिकार संगठन

299. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में फर्जी मानव अधिकार संगठनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी न्यायालयों में फर्जी मानव अधिकार वकीलों की संख्या भी बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये वकील भोले-भाले भुक्तभोगियों से न केवल भारी फीस वसूल रहे हैं अपितु दंगों अथवा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के रूप में आने वाले सरकारी धन के अधिकांश भाग को भी हड़प लेते हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे वकीलों और गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) फर्जी मानव अधिकार संगठन होने का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

डी०ए०एन०आई०सी०एस०/ डी०ए०एन०आई०पी०एस० के वेतनमान

300. **श्री भीम दाह्याल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डी.ए.एन.आई.एस./डी.ए.एन.आई.पी.एस. के नाम से जानी जाने वाली सिविल और पुलिस सेवाओं हेतु नए वेतनमान को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सेवाओं के वेतनमान में संशोधन किए जाने के परिणाम-स्वरूप कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 8000-275-13500 रु. और 14,300-400-18,300 रु. के दो नए वेतनमानों को प्रारम्भ करने से पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे और इससे यथासमय दोनों सेवाओं के सभी सदस्यों के कैरियर प्रोगेशन में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

सामान्यत: दानिक्स/दानिप्स के नाम से ज्ञात सिविल और पुलिस सेवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित नए वेतनमान और ग्रेड ढांचे के ब्यौरे

(क) दानिक्स/दानिप्स सेवाओं के ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने 2000-60-2300-75-3200-100-3500/- रुपए के वेतनमान में, लागू पूर्व-संशोधित आरंभिक प्रविष्टि वेतनमान में चार वर्ष की सेवा कर ली है, को पहली जनवरी, 1996 से 8000-275-13500/- रुपए के संशोधित वेतनमान में रखा जाएगा।

(ख) दानिक्स/दानिप्स के अन्य अधिकारियों जो आरंभिक प्रविष्टि वेतनमान में नियुक्त किए गए हैं किन्तु जिन्होंने पहली जनवरी, 1996 को 4 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, को 6500-200-10500/- रु. के सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान में तब तक रखा जाएगा जब तक कि वे 2000-60-2300-75-3200-100-3500/-6500-200-10500/- रुपए के वेतनमान में 4 वर्ष की निर्धारित कुल सेवा पूरी नहीं कर लेते। तथापि, चार वर्ष पूरे कर लेने पर, उन्हें उस तारीख से, जिसको वे रेजीडेंसी शर्त पूरी करते हैं, 8000-275-13500/- रु. का उच्चतर संशोधित वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

(ग) 8000-275-13500/- रुपए के शुरू किए गए नए वेतनमान को समूह 'ख' वेतनमान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(घ) इन सेवाओं में 14300-400-18300/- रु. के वेतनमान में नया नान-फंक्शनल ग्रेड शुरू किया जाएगा। दानिक्स/दानिप्स के लिए स्वीकृत ड्यूटी पदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (12000-375-16500 रु.) में स्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगा, इस ग्रेड में लागू होगा। उक्त ग्रेड को संबंधित सेवाओं के उन अधिकारियों की नियुक्ति से भरा जाएगा जिन्होंने 18 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी कर ली है और जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पद धारण किए हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को, जो पहली जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार इन शर्तों को पूरा करते हैं, इस तारीख से नान-फंक्शनल ग्रेड में रखा जाएगा।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कानून और व्यवस्था की स्थिति

301. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दक्षिण एशिया में अनधिकृत शिकारियों, नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यक्तियों और सशस्त्र डाकुओं तथा अपराधियों से गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कुछ विदेशों के अनधिकृत शिकारी अपधिकृत शिकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे और हाल ही के एक मामले में विदेशी राष्ट्रिकों के एक ग्रुप को लैंड फाल आईलैंड के समीप पकड़ा गया था और उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ था।

(ग) अनधिकृत शिकार के खतरे की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं।

(i) तटरक्षक पोतों और वायुयानों द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ लगे समुद्र में निरन्तर निगरानी;

(ii) नौसेना, तटरक्षक और अण्डमान और निकोबार पुलिस द्वारा अनधिकृत शिकार विरोधी संयुक्त अभियान चलाना;

(iii) अण्डमान और निकोबार पुलिस द्वारा चार एंटी पोचिंग दस्तों का गठन और उनकी कैम्पबैल बे, नानकौरी हट बे और डिगलीपुर में तैनाती;

(iv) अतिरिक्त पदों के सृजन और तेज गति की नावों और पोतों की खरीद द्वारा पुलिस के समुद्री बल का सुदृढ़ीकरण; और

(v) अनधिकृत शिकारियों और आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों से निपटने के लिए किए गए उपायों की पुनरीक्षा के लिए प्रति माह राज्य स्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठकों का आयोजन।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

302. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लागू किए जाने के बाद से प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना पर राज्यवार कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ङ) क्या राज्यों ने प्रदत्त राशि का पूरा उपयोग किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) ग्राम स्तर पर मानव के विकास को स्थायी बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2000-2001 में एक नई पहल के रूप मे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) शुरू की गई है। पी.एम.जी.वाई. में चयनित न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के आबंटन की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना 2000-2001 में पी.एम.जी.वाई. के लिए आबंटन 5000 करोड़ रुपए है।

(ख) पी.एम.जी.वाई. के दो घटक हैं अर्थात् 2500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ ग्रामीण सड़कें तथा अन्य 2500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषणाहार अर्थात् पी.एम.जी.वाई. के अन्य कार्यक्रम।

(ग) ग्रामीण सड़क-सम्पर्क कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पी.एम.जी.वाई. के अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आबंटन विवरण के रूप में संलग्न है। दिशा-निर्देशों के अनुसार पी.एम.जी.वाई. के अन्य कार्यक्रमों के प्रत्येक पांच क्षेत्रों को एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत आबंटित किया जाए।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत आबंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की समस्त राशि का उपयोग करना होता है।

(ङ) और (च) जुलाई-अगस्त 2000 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की निधियों की प्रथम छमाही किस्त जारी कर दी गई है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की किस्त की अगली रिलीज पहले स्वीकृत की गई निधियों के उपयोग की मात्रा पर निर्भर करेगी।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 2000-01
1	2	3
	गैर-विशेष वर्ग के राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	14206.00
2.	बिहार	28725
3.	गोवा	78
4.	गुजरात	6479
5.	हरियाणा	1678
6.	कर्नाटक	7513
7.	केरल	6908
8.	मध्य प्रदेश	11377
9.	महाराष्ट्र	9913
10.	उड़ीसा	9855
11.	पंजाब	4040
12.	राजस्थान	9640
13.	तमिलनाडु	10479
14.	उत्तर प्रदेश	34891
15.	पश्चिम बंगाल	16782
	उप योग	172564
	विशेष वर्ग	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817
2.	असम	17957
3.	हिमाचल प्रदेश	7061
4.	जम्मू व कश्मीर	17158
5.	मणिपुर	4856
6.	मेघालय	4059
7.	मिजोरम	4041
8.	नागालैंड	4113
9.	सिक्किम	2811
10.	त्रिपुरा	5083
	उप योग	73956
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	दिल्ली	1105
2.	पांडिचेरी	477
3.	अंडमान निकोबार	1027
4.	चण्डीगढ़	456
5.	दादरा व नगर हवेली	132

1	2	3
6.	लक्षद्वीप	177
7.	दमन व दीव	106
	उप योग	3480
	कुल योग	250000

[अनुवाद]

परती भूमि विकास कार्यक्रमों की प्रभाव कारिता

303. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित 'वेस्ट लैंड एटलस ऑफ इंडिया' के अनुसार 20.17 प्रतिशत भूमि बंजर पाई गई;

(ख) क्या परती भूमि विकास कार्यक्रम ने देश में अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने भविष्य में खाद्य सुरक्षा की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए बंजर भूमि में वृद्धि को रोकने पर जोर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बंजरभूमि वह अवक्रमित भूमि है जिसे आमतौर पर उपयोग में नहीं लाया गया है अथवा जिसका कम उपयोग किया गया है और जिसकी उर्वरता उचित जल और मृदा प्रबंधन के न होने के कारण अथवा प्राकृतिक कारणों से ह्रासित हो रही है। भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का आशय उपयुक्त बायो-मास का उत्पादन करने के लिए बंजरभूमि की उत्पादकता को बढ़ाने और भूमि को आगे और अवक्रमित होने से रोकना है। इस प्रकार ऐसी भूमि पर विकास की प्रथम अवस्था में कृषि कार्य किया जाना सामान्यत: संभव नहीं है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र मूलयांकनकर्त्ताओं के जरिए परियोजना-दर-परियोजना आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, वाटरशेड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने, समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समीक्षा समिति और जिला स्तर पर वाटरशेड विकास परामर्शदात्री समिति जैसी संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	1
5.	गुजरात	13
6.	हिमाचल प्रदेश	9
7.	हरियाणा	2
8.	जम्मू और कश्मीर	3
9.	कर्नाटक	14
10.	महाराष्ट्र	9
11.	मेघालय	2
12.	मणिपुर	7
13.	मध्य प्रदेश	18
14.	नागालैंड	5
15.	उड़ीसा	13
16.	राजस्थान	11
17.	सिक्किम	5
18.	तमिलनाडु	10
19.	उत्तर प्रदेश	24
	योग	166

सीएसआईआर के परिव्यय में कमी

304. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वर्तमान परिव्यय कितना है;

(ख) क्या इस परिव्यय में कमी करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इनमें से किसी प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में वाणिज्यिक रूप से लाभकारी कोई उपयोगी अनुसंधान पूरा किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ङ) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्वयं ही राजस्व जुटाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का परिव्यय 940.14 करोड़ रुपए है।

(ख) वर्तमान वर्ष के लिए परिशोधित प्राक्कलन अवस्था में 43.84 करोड़ रुपए की कमी करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान हैं।

(घ) सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएं वाणिज्यिक रूप से लाभकारी अनुसंधान व विकास कार्य में रत हैं। वर्ष 1999-2000 में सीएसआईआर की जानकारी के आधार पर अनुमानतः 4400 करोड़ रुपए का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन हुआ है।

(ङ) और (च) सीएसआईआर स्वयं बाह्य स्रोतों से अपने बजट का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा जुटाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1995 से सरकार भी सीएसआईआर को इसके द्वारा अर्जित वाणिज्यिक रुपए के बराबर सहायता धनराशि के आबंटन द्वारा प्रोत्साहन दे रही है।

आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज

305. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में खोले गए नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की जांच करने के लिए एक नया क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में कितनी अतिरिक्त सीटें दिए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दाखिले में वृद्धि करना इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमों एवं मानदंडों के पूरा करने पर निर्भर होता है।

प्रयोगशाला के लिए आरक्षित निधि का दुरुपयोग

306. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला हेतु आरक्षित निधि का दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के ध्यान में लाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि सन्निहित है और कितने अधिकारी लिप्त हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने प्रयोगशाला हेतु आरक्षित निधि (एलआरएफ) से व्यय की जांच से संबंधित वर्ष 2000 की पांचवीं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कुछ अनियमित व्यय का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट की प्राथमिक जांच से पता चला है कि 10,000 लाख रुपए के कुल व्यय में से लगभग 38 लाख रुपये का अनियमित व्यय हुआ है। इन अल्प अनियमित व्ययों से भी बचने के लिए सीएसआईआर ने कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए अपनी सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को कुछ नए कड़े अनुदेश जारी किए हैं। तथापि, सीएसआईआर ने अनियमित व्यय के विशिष्ट मामलों की जांच करने और शामिल अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोलफील्ड्स का आधुनिकीकरण

307. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोलफील्ड्स के आधुनिकीकरण हेतु विश्व बैंक से 700 करोड़ रु. ऋण के प्रस्ताव स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोलफील्ड्स के आधुनिकीकरण की मांग को पूरा करने में घरेलू संसाधन पर्याप्त हैं;

(घ) क्या सरकार अब यह महसूस करती है कि ऐसे आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. ने, कोल इंडिया लि. की 24 लाभकारी खानों के कोयला उत्पादन में वृद्धि करने तथा वाणिज्यिक सक्षमता को बनाए रखने के लिए कोल सेक्टर पुनर्वास परियोजना के वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक (आईबीआरडी) तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) के साथ ऋण करार निष्पादित किए थे। कुल ऋण की राशि 1030 मिलियन अमरीकी डालर थी जिसमें से 522.60 मिलियन अमरीकी डालर का उपयोग किया जा रहा है तथा शेष अमरीकी डालर 507.40 मिलियन की राशि का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है।

कोल इंडिया लि. ने अनेक प्रचालनात्मक कारणों के आधार पर ऋण के अप्रतिबद्ध शेष भाग को निरस्त करने के लिए विश्व बैंक तथा जेबीआईसी से स्वयं अनुरोध किया था। घरेलू ब्याज दरों को कम किए जाने तथा तुलनपत्र के आधार पर घरेलू ऋण का मार्ग अपनाने के कारण उपलब्ध अधिक लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए को.इं.लि. का यह विचार था कि ऋण के अप्रयुक्त भाग के लिए विश्व बैंक जेबीआईसी परियोजना वित्त का जारी रखना उसके सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं था।

चूंकि सुविधा के विचार से विश्व बैंक तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) ऋण की शेष अप्रतिबद्ध सुविधा के सहमत के निरसन में था। अत: को.इं.लि. ने कोयला मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से रद्द करने के संबंध में उचित कदम उठाए थे। को.इं.लि. को विश्वास है कि वह अपने संसाधनों से ऋण से संबंधित परियोजनाओं को पूरा कर देगी।

(ग) अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से सीएसआरपी के उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि को.इं.लि. वैकल्पिक स्रोतों से निधियों की आवश्यक व्यवस्था कर रही है।

(घ) और (ङ) नए ग्राहक के विकास विद्यमान ग्राहक की क्षमता में वृद्धि पर निर्भर करते हुए आधुनिकीकरण तथा नई कोयला परियोजनाएं हाथ में लेना एक सतत प्रक्रिया है। हरित क्षेत्रों के लिए को.इं.लि. संयुक्त उद्यम/या अन्य माध्यमों की संभावना का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

नेफ्था आधारित उर्वरक

308. **श्री धर्म राम सिंह पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेफ्था आधारित कितने उर्वरक संयंत्र हैं;

(ख) क्या सरकार को नेफ्था के अधिक मूल्य के कारण उर्वरक संयंत्रों के बंद होने के कगार पर होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संयंत्रों विशेषकर इफको की फूलपुर इकाई को बचाने के लिए कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्तमान में, देश में नेफ्था पर आधारित 11 यूरिया संयंत्र हैं। ये हैं–

1. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचिन-1
2. डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कानपुर
3. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, फूलपुर-1
4. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, फूलपुर-2
5. मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मंगलौर
6. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई
7. श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोटा
8. साउथ पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तूतीकोरिन
9. नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
10. चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
11. जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोवा

देश में यूरिया के उत्पादन पर नवम्बर, 1977 में लागू की गई प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत राजसहायता प्रदान की जाती है। आर.पी.एस. विनिर्माताओं को शुद्ध मूल्य पर मुनासिब लाभ सहित उत्पादन की उनकी मानकीय लागत वसूली करने का अधिकार प्रदान करती है। इसीलिए, नेफ्था के उच्च मूल्य के कारण संयंत्रों को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

फ्लाइओवर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा संबंधी मानदंड

309. **श्री रामजी मांझी** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 2000 के 'दा टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'आयरन पाइप्स फ्रोम फ्लाइओवर साइट कम क्रेसिंग आन बस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा फ्लाइओवर से गुजरने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सुरक्षा संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले इन फ्लाइओवरों के निर्माताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह घटना राजागार्डन फ्लाइओवर निर्माण स्थल पर हुई थी, जो दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड के लिए उत्तर प्रदेश पुल निगम द्वारा बनाया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि यद्यपि निर्माण क्षेत्र पर रोक बाड़ (बैरिकेड) लगी हुई थी, परन्तु निर्माण कार्य के दौरान क्रेन बूम में अचानक यांत्रिक खराबी के कारण, क्रेन का एक हिस्सा रोक बाड़ क्षेत्र से बाहर बस पर गिर गया।

(ग) फ्लाइओवर से गुजरने वालों की सुरक्षा के लिए निर्माण स्थल पर रोक बाड़ लगाने, सुरक्षा संकेत लगाने, ट्रैफिक के मार्ग परिवर्तन, बिल्डर द्वारा प्रयुक्त यंत्रों की नियमित जांच-पड़ताल और रखरखाव आदि जैसे सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) ऐसी घटनाएं दुबारा न हों, इसकी रोकथाम के लिए बिल्डर को और अधिक कड़े एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया गया था। यांत्रिक खराबी के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुल निगम द्वारा जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार से भी दुर्घटना की जांच करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

संशोधित निवेश संवर्धन योजनाएं

310. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधित निवेश संवर्धन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यों से राज्यवार कितने परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन योजनाओं से राज्य-वार कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई.पी.एस.) केन्द्र तथा राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्रामीण समुदायों, निजी किसानों आदि की बंजरभूमि को विकसित करने हेतु वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने के लिए पहले वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। लाभार्थियों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्त्तकों के अंशदान की परिकल्पना भी की गई है। योजना की पुनर्संरचना की गई थी। संशोधित योजना को अगस्त, 1998 में लागू किया गया था और इसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को प्रमुखता देते हुए अधिक व्यापक आधार वाली योजना बनाया गया था। आर्थिक सहायता और प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) निवेश संवर्धन योजना के अंतर्गत मार्च, 2000 तक 16 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अभी तक इस योजना के तहत 73 किसान लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, दी गई आर्थिक सहायता और लाभान्वित हुए किसानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की निवेश संवर्धन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय संवर्धन अनुदान/आर्थिक सहायता और प्रवर्त्तकों के अंशदान का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क. आर्थिक सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) सामान्य श्रेणी के लिए (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(ii) छोटे किसानों के लिए (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 30 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।

(iii) (क) सीमान्त किसानों के लिए (अलग-अलग/समूह में)	फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	-वही- जैसा कि उपरोक्त क (iii) (क) के उत्तर में दिया गया है।

(ख) प्रवर्तकों का अंशदान का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) (क) सामान्य श्रेणी के लिए (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत।
(ii) छोटे किसानों के लिए (अलग-अलग/समूह में)	परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत।
(iii) सीमान्त किसानों के लिए (अलग-अलग/समूह में)	शून्य, तथापि स्व-रोजगार देने और भागीदारी की सुनिश्चितता के लिए परियोजना कार्यान्वित करते समय इसमें परिवार के लोगों के श्रम को शामिल किया जाना चाहिए।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत क्षेत्र की किसी सीमा के बिना (अलग-अलग/समूह में)	-वही- जैसा कि उपरोक्त ख (iii) (क) में दिया गया है।

•आर्थिक सहायता के प्रयोजन के लिए फार्म पर किए जाने वाले विकास कार्यकलापों के संबंध में परियोजना की औसत लागत 20,000 प्रति हैक्टेयर तक सीमित है।

विवरण-II

निवेश संवर्धन योजना के अन्तर्गत मार्च, 2000 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं, दी गई आर्थिक सहायता और लाभान्वित किसानों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता (लाख रुपये में)	दी गई आर्थिक सहायता (लाख रुपये में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	11,00,000.00	6,60,000.00	1
2.	महाराष्ट्र	3	3,01,400.00	1,80,840.00	7
3.	तमिलनाडु	12	46,98,205.00	36,88,750.00	65
	योग	16	60,99,650.00	45,29,590.00	73

[हिन्दी]

कम्प्यूटर शिक्षा

311. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है और इसके लिए धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पहले के प्रस्तावों में से कुछ को स्थगित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) राज्य के उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए अपेक्षित राशि जारी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने 400 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 1997 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि, यह विभाग क्लास योजना को संशोधित कर रहा है; इसलिए वर्ष 1997-98 से भारत सरकार द्वारा किसी भी नए प्रस्ताव को राशि प्रदान नहीं की गई है। तथापि, स्कूलों में पहले से लगे कम्प्यूटर हार्डवेयर के रख-रखाव के लिए 5,95,53,600/- रु. का रख-रखाव अनुदान मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान किया गया।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा

312. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा के विस्तृत प्रसार हेतु कोई कदम उठाए हैं जैसा कि आस्ट्रेलिया में किया जा रहा है ताकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके, जहां शैक्षणिक संस्थानों की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) शैक्षिक प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए छह राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों को देखना सुकर बनाने के लिए स्कूलों में रंगीन टेलीविजन और रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों को खरीदने तथा लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान की गई है। 26.01.2000 को ज्ञान दर्शन नाम का पूर्ण समर्पित शैक्षिक चैनल शुरू किया गया है जो इस समय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रतिदिन 16 घंटे के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम केबल नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में देखे जा सकते हैं।

ग्रामीण विकास योजना

313. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत विकास हेतु कितने गांवों को शामिल किया गया या किए जाने का विचार है;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के गांवों को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू और कश्मीर सहित देश के सभी गांवों में विकास कार्य करता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं हैं। मंत्रालय के पास ग्राम-वार आंकड़े नहीं हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान जम्मू और कश्मीर को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 20,921.94 लाख रुपए (केंद्र और राज्य दोनों) आबंटित किए गए हैं।

कोयला खानें

314. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार और कंपनीवार कितनी कोयला खानें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नयी कोयला खानें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खानों के निजीकरण का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० वणमुगम) : (क) वर्तमान में देश में राज्य-वार और कंपनी-वार चालू कोयला खानों की संख्या का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है--

राज्य-वार

राज्य	विद्यमान कोयला खानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	69
असम	6
बिहार	169
जम्मू और कश्मीर	3
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	53
उड़ीसा	22
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	108
कुल	561

कंपनी-वार

कंपनी	विद्यमान कोयला खानों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	122
भारत कोकिंग कोल लि.	87
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	55
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	9
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	87
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	87
महानदी कोलफील्ड्स लि.	22
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सीआईएल द्वारा सीधे नियंत्रित)	6
कोल इंडिया लि.	475
सिंगरेनी कोलयरिज कंपनी लि.	69
बिहार राज्य खनिज विकास कारपोरेशन लि.	1
दामोदर वैली कारपोरेशन	1
इंडियन ऑयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	3
जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लि.	3
बंगाल एम्टा कोल माइन्स लि.	1
जिंदल स्टील एण्ड पावर लि.	1
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	7
कोयला खानों की कुल संख्या	561

(ख) और (ग) नई कोयला खानों को खोलने का निर्णय कोयला कंपनियां वाणिज्यिक विचार से करती हैं। नौवीं और दसवीं योजना के दौरान राज्य-वार और कंपनी-वार संभावित रूप से खोली जाने वाली नई खानों की संख्या का ब्यौरा निम्न है–

राज्य-वार

राज्य	विद्यमान कोयला खानों की संख्या
बिहार	12
मध्य प्रदेश	20
महाराष्ट्र	28
उड़ीसा	13
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	4
कुल	79

कंपनी-वार

कंपनी	विद्यमान कोयला खानों की संख्या
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	4
भारत कोकिंग लि.	4
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	8
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	30
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	17
महानदी कोलफील्ड्स लि.	13
कोल इंडिया लि.	79

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट

315. श्री विनय कुमार सोराके : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'एमनेस्टी इन्टरनेशनल' की हाल की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में व्याप्त स्थिति के संबंध में इसके द्वारा की गई टिप्पणियों का अध्ययन किया है;

(ख) भारत के प्रति एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में विचाराधीन कैदियों और राजनीतिक बंदियों की हिरासत में मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) सरकार को एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट 2000 की जानकारी है, जो विश्वभर में अनेक देशों से संबंधित है। उक्त रिपोर्ट में भारत से संबंधित अध्याय में लगाए गए सामान्य किस्म के आरोपों में कहा गया है कि सभी राज्यों में हिरासत में मौतें सभी राज्यों में व्यापक रूप से होती रहती हैं, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार सहित विभिन्न प्रकार की यातनाएं देना जारी है, धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों पर हमलों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाएं मानवाधिकार हनन का शिकार होती रहीं, मानवाधिकार संरक्षकों पर राज्य और अन्य शक्तिशाली हितबद्धों आदि दोनों से हमले होते रहे। एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी पहली रिपोर्टों में भी इसी प्रकार के व्यापक

और आम स्वरूप के अन्धाधुन्ध और आधारहीन आरोप लगाती रही है।

(ग) और (घ) गत वर्ष की तुलना में 1999-2000 के दौरान हिरासत में मौतों की संख्या में कमी आई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1999-2000 के दौरान पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौतों की संख्या क्रमश: 177 और 916 थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में मौतों को कम करने के संबंध में कदम उठाने के लिए समय-समय पर संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

316. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीबीआई को दिल्ली में अनधिकृत निर्माण की जांच-पड़ताल हेतु अपेक्षित विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कितने समय के भीतर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे जांच समय-सीमा के अन्दर पूरी की जा सके; और

(घ) सीबीआई द्वारा अब तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) दक्षिण दिल्ली की कुछ संभ्रान्त (पॉश) कालोनियों के कतिपय मकानों का मौके पर निरीक्षण के समय प्रथम दृष्टया अवैध/अनधिकृत निर्माण होने का पता चला है। सरकार ने विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए 31 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे हैं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्राप्त 31 मामलों में से, 6 मामलों में विस्तृत जांच-पड़ताल की है और 5 मामले दर्ज किए हैं एक मामला मुकदमाग्रस्त है।

दिल्ली नगर निगम के जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर/जोनल इंजीनियर पद के 22 अधिकारियों/5 ठेकेदारों/बिल्डरों, चार वास्तुकारों और 10 मकान मालिकों को अभियुक्त बनाया गया है।

जांच-पड़ताल के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली नगर निगम के चार अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले भी दर्ज किए हैं।

[हिन्दी]

यूरिया डाइ-अमोनियम-फास्फेट पर अनुदान

317. **श्री राम पाल सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 के दौरान देश में उत्पादित यूरिया और डाइ-अमोनियम फॉस्फेट पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रति टन कितना अनुदान किया गया; और

(ख) 1999-2000 के दौरान आयातित यूरिया और डाइ-अमोनियम फास्फेट के प्रतिटन के लिए कितना मूल्य दिया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सरकार उर्वरक उत्पादन के लिए कोई अनुदान नहीं देती है, तथापि, यह प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत यूरिया को सब्सिडी एवं विनियंत्रित उर्वरकों जैसे डीएपी के लिए रियायतें मुहैया कराती हैं। 1999-2000 के दौरान सरकार ने अनेक यूरिया विनिर्माता एककों से भेजे गए 196.05 लाख मी. टन स्वदेशी यूरिया पर कुल 8,659 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान सब्सिडी के रूप में किया है। तथापि, इस सब्सिडी रकम में पिछले वर्ष की कुछ अग्रेनीत देयताएं शामिल हैं जबकि 1999-2000 से संबंधित कुछ देयताएं शायद मद इस रकम में दर्शाई न गई हो। इस आधार पर वर्ष 1999-2000 के लिए स्वदेशी यूरिया के वास्ते प्रति टन सब्सिडी 4417 रुपये प्रति मी. टन मोटे तौर पर आंकी गई है, स्वदेशी डीएपी के लिए वर्ष 1999-2000 के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गयी रियायतें नीचे दी गई हैं–

अवधि	स्वदेशी डीएपी
1.4.1999-30.6.1999	4150 रुपये
1.7.1999-30.9.1999	4250 रुपये
1.10.1999-31.12.1999	4300 रुपये
1.1.2000-28.2.2000	4550 रुपये
29.2.2000-31.3.2000	3900 रुपये

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान आयातित यूरिया का भारित औसत मूल्य लागत एवं भाड़ा के आधार पर 86 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन था जो लगभग 3698 रुपये प्रति मी. टन के बराबर है। आयातित डीएपी के लिए 1999-2000 के दौरान सरकार द्वारा प्रति टन भुगतान की गयी रियायतों की रकम नीचे दी गयी है–

अवधि	आयातित डीएपी
1.4.1999-30.6.1999	3050 रुपये
1.7.1999-30.9.1999	3200 रुपये
1.10.1999-31.12.1999	3200 रुपये
1.1.2000-28.2.2000	3250 रुपये
29.2.2000-31.3.2000	1050 रुपये

[अनुवाद]

कर्नाटक में नए जिला कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण

318. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सात नए जिला कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु हुडको से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऋण राशि मांगी गई है;

(ग) नए जिला कार्यालय परिसरों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हुडको ने ऋण की मंजूरी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ऋण स्वीकृत किया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। हुडको ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे हैं।

(ग) नए बने जिलों यथा दावानगिरी, हवेरी, गदाग, कोप्पल, उडुपी, बगलकोट और चामराजनगर में नए जिला कार्यालय परिसरों का निर्माण किया जाना है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं ऋण की मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

त्रावणकोर उर्वरक और रसायन लिमिटेड

319. श्री जार्ज ईडन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावणकोर उर्वरक रसायन लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) केरल के विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि एफ.ए.सी.टी. को अमोनिया उत्पादन के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने 1999-2000 के दौरान फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (फैक्ट) को 35 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की है तथा 2000-2001 में इसके संयंत्रों के आवश्यक नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं हालत को सुधारने के लिए प्रोन्नयन स्कीमों और सम्पूर्ण निष्पादन को लागू करने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

(ग) से (ङ) एफ ए सी टी की हानियों के लिए मुख्य कारणों में से एक पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च उत्पादन लागत से होने वाली अमोनिया की उच्च लागत और नये अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र की ऋण सेवा बोझ है। फैक्ट से अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र के लिए भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज को समाप्त करने, शेष ऋण को साम्य में परिवर्तित करने और नई स्कीमों पर नव पूंजी निवेश इत्यादि के साथ-साथ राहत एवं रियायत वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

औषध निर्माण कंपनियां

320. श्री माणिकराव झेडल्या गावित : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में किन-किन कंपनियों को औषध निर्माण हेतु मिथाइलयुक्त स्प्रिट और अल्कोहल का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त कंपनियां इन सामग्रियों का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) औषध उत्पादक कंपनियों को मिथाइलेटेड स्प्रिट तथा अल्कोहल आबंटित करने का मामला राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित नियमों के अंतर्गत किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कॉलेजों की सम्बद्धता

321. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 के दौरान केरल में सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है;

(ख) इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) ने इन कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के बारे में कोई आपत्ति उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने केरल में 8 तकनीकी संस्थानों को अनुमोदित किया है जिनकी कुल दाखिला क्षमता 1365 छात्र है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा परियोजना हेतु वित्तीय सहायता

322. **श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउन्ड टेबल, नीदरलैंड्स भारत में बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत की राउन्ड टेबल शिक्षा परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में कितने विद्यालयों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को शिक्षित करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे किसी करार की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

पोलिटेकनिकों का आधुनिकीकरण

323. **श्री राजो सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से आधुनिक कोटि के उन्नत किए गए सरकारी पोलिटेकनिकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है और इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से कितने शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) तकनीशियन शिक्षा के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से किसी राज्य में कोई शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम जिन्होंने तकनीशियन शिक्षा के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की थी	विश्व बैंक से सहायता के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी पोली-टैक्निकों की संख्या	किए गए वास्तविक व्यय की तुलना में प्रतिपूर्ति के रूप में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	59	109.00
2.	असम	09	44.00
3.	बिहार	25	54.00
4.	गोवा	4	21.00
5.	गुजरात	22	80.00
6.	हरियाणा	16	137.00
7.	हिमाचल प्रदेश	05	33.00
8.	कर्नाटक	39	75.00
9.	केरल	30	46.00
10.	मध्य प्रदेश	40	135.00
11.	महाराष्ट्र	50	221.00
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	09	44.00
13.	उड़ीसा	13	63.00
14.	पांडिचेरी	03	17.00
15.	पंजाब	17	92.00
16.	राजस्थान	21	64.00
17.	तमिलनाडु	52	80.00
18.	उत्तर प्रदेश	86	215.00
19.	पश्चिम बंगाल	32	115.00

[अनुवाद]

अतिविशेषज्ञता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रम

324. **श्री सुरेश रामराव चाचव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार विश्वविद्यालयों में कर्मकांड और वैदिक ज्योतिष विज्ञान जैसे विषयों में अति-विशेषज्ञता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रमों को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पाठ्यक्रमों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय बाजार पर नजर रखते हुए और इसके साथ-साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) इस बात को देखते हुए कि गुणवत्ता तथा परिमाण दोनों ही रूपों में कर्मकाण्ड में विशेषज्ञता तत्काल उपलब्ध नहीं है और वैदिक ज्योतिष विज्ञान को प्रोत्साहित करने की तत्काल आवश्यकता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में कर्मकाण्ड तथा वैदिक ज्योतिष विभागों की स्थापना की योजना को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन देने का निर्णय किया था। ये विभाग इन विषयों में प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा, अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीएचडी डिग्रियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण देंगे। आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसका कार्य प्रस्तावित योजना के ब्यौरों की जांच करके आयोग के विचारार्थ अपनी रिपोर्ट देना है।

लौह द्वारों का अनधिकृत निर्माण

325. **श्री रघुनाथ झा** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित दिल्ली की नगर एजेंसियों को सार्वजनिक सड़कों पर लौह द्वारों के अनधिकृत निर्माण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून को लागू करने में उनकी विफलता तथा उनमें से कुछ को पार्किंग लौट में परिवर्तित करने के लिए भर्त्सना की है; और

(ख) यदि हां, तो नगर पालिका कानून का उल्लंघन करते हुए बनाये गये सभी द्वारों या खड़े किये गये अवरोधकों को हटाने तथा द्वार बनाने के संबंध में कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

326. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले**
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने और आदिवासी क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि यह प्रस्ताव की परीक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ और ब्यौरे भेजें।

आई०डी०एस०एम०टी० योजनाएं

327. **श्री जी०एस० बसवराज**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने वर्ष 1999 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत चार परियोजनाओं को अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को याद दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है और इसकी स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1999 के दौरान निम्नलिखित 9 कस्बों की आई.डी.एस.एम.टी. परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं—(1) अलंद, (2) बिरूर, (3) देवनहाली, (4) चेन्नारायपटना, (5) मंदारगी, (6) केरूर, (7) टंगल, (8) खानापुर, (9) मुलगुंड।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा 7 कस्बों, नामत: (1) अलंद, (2) बिरूर, (3) देवनहाली, (4) चामराजनगर, (5) मंदारगी, (6) केरूर, (7) हंगल की परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की गई थीं और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा 28.2.2000 को हुई बैठक में संस्तुति की गई थी। खानापुर और मुलगुंड कस्बों की शेष दो परियोजनाएं पूर्ण नहीं थीं और राज्य सरकार से परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें से केवल मुलगुंड कस्बे की संशोधित परियोजना रिपोर्ट हाल ही में मिली है। तथापि, उल्लेखनीय है कि मुलगुंड कस्बे को प्राथमिकता सं. 43 दी गई है, जबकि राज्य सरकार ने प्राथमिकता सं. 30 से 42 के कस्बों की परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है। इससे इन कस्बों की अनदेखी होगी। मुलगुंड कस्बे (प्राथमिकता सं. 43) पर विचार करने से पहले प्राथमिकता सं. 30 से 42 वाले

कस्बों की परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य सरकार को अनुस्मारक भेजे गए हैं।

वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य को चार नए कस्बे, नामत: (1) नावलगुंड, (2) मानवी, (3) देवनागरी और (4) गुलबर्गा आबंटित किए गए थे, जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

[अनुवाद]

ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण

328. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 1.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब्जा अधिपत्र की प्राप्ति/कार्यान्वयन के बिना ग्राम सभा भूमि से कितने अतिक्रमण को हटाया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) कुछ एजेंसियों से पूर्ण सूचना अभी आनी बाकी है इसमें तत्परता के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

एल्युमिना संयंत्र की स्थापना

329. **श्री के० येरननायडू** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की जनजातीय सलाहकार समिति ने चिंतापल्ली के एजेंसी एरिया और विशाखापत्तनम के पडेरू क्षेत्र में प्रस्तावित एल्युमिना संयंत्र की स्थापना का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षित जनजातीय क्षेत्रों में बाक्साइट के खनन और अयस्क के परिशोधन के बदले आदिवासियों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जुलूसों के संबंध में न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन

330. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी जुलूस में सड़क और सड़क चौराहे का एक-चौथाई से अधिक भाग पर कब्जा नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप 13 अक्तूबर, 2000 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जुलूस की वजह से कई यात्रियों की रेलगाड़ियां छूट गईं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं श्रीमान् ! तथापि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली में जुलूसों को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं।

(ख) और (ग) 13 अक्तूबर, 2000 को वाल्मिकी जयन्ती के अवसर पर एक धार्मिक जुलूस निकाला गया था जिसके लिए पर्याप्त यातायात व्यवस्था की गयी थी और वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था दिखाते हुए उचित प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। चेम्सफोर्ड रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते को खुला रखा गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में परती भूमि का विकास

331. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री दिनांक 8.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शुरू किए गए समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम आई.डब्ल्यू.डी.पी. का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली के लिए आई.डब्ल्यू.डी.पी. की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में स्थानवार परती भूमि का क्षेत्रफल कितना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी) के तहत 500 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए 55.75 लाख रुपये की कुल लागत पर एक परियोजना वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत की गई थी और प्रथम किस्त के रूप में 15.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) स्वीकृत परियोजना की मुख्य विशेषताएं परियोजना क्षेत्र, जिसमें दिल्ली के बवाना, घोगा, भलसुआ, घुमनहेड़ा, जैनपुर और शिकारपुर गांव शामिल हैं, में बंजरभूमि पर वनरोपण करना तथा मृदा और नमी संरक्षण के लिए उपायों को कार्यान्वित करना है।

(ग) वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000 के अनुसार दिल्ली में बंजरभूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्र.सं.	श्रेणी	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	खड्डयुक्त/बीहड़ी भूमि	1200
2.	झाड़ी युक्त/झाड़ी विहीन भूमि	760
3.	जलाक्रांत/दलदली भूमि	260
4.	लवणीय/क्षारीय क्षेत्र	1940
5.	अधिसूचित अवक्रमित वन भूमि	2100
6.	ऊसर चट्टानी क्षेत्र	7900
	योग	14160

[अनुवाद]

आवासीय कालेज/स्कूल

332. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275(झ) के अंतर्गत आवासीय जूनियर कालेज/आवासीय स्कूल खोलने के लिए वार्षिक आधार या प्रस्ताव आधार पर राज्य सरकारों को धनराशि देती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक आंध्र प्रदेश द्वारा इस योजनार्थ कितनी राशि मांगी गई तथा कितनी प्रदान की गई; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत यह राशि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। आदिवासी मामले मंत्रालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(झ) के तहत अनुदान में से राज्य सरकारों को कक्षा VI से XII तक आदिवासी बच्चों को नामांकित करने हेतु आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए निधियां जारी कर रहा है।

(ख) अब तक आंध्र प्रदेश सरकार के 1.00 करोड़ रु. प्रति स्कूल की दर से नौवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में 6 मॉडल आवासीय स्कूलों के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में 6.00 करोड़ रु. जारी किया गया है।

(ग) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इनमें से प्रत्येक स्कूल को अनावर्ती अनुदान के रूप में 2.50 करोड़ रु. प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके बाद जब ये स्कूल काम करना शुरू कर देंगे तथा अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाएंगे तब आदिवासी मामले मंत्रालय इन स्कूलों को चलाने के लिए प्रति वर्ष 30.00 लाख रु. तक इनके आवर्ती खर्च को वहन करेगा। आवर्ती अनुदान तब जारी किये जाएंगे जब ये स्कूल काम करने लगेंगे। पहले वर्ष में अनुदान की सीमा 10.00 लाख होगी जिसे 30.00 लाख रु. तक पहुंचने तक प्रत्येक वर्ष 5.00 लाख रु. बढ़ाया जाएगा। नौवीं योजना के दौरान योजना के तहत इस राशि में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम विंग में स्थानांतरण नीति

333. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम-विंग में जनता का काम-काज देख रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम विंग में इसकी अवहेलना की जाती है;

(ग) यदि हां, तो उन प्रशासनिक और तकनीकी कार्मिकों के नाम क्या हैं जो एक कार्यालय में एक ही सीट पर तीन वर्षों से अधिक की अवधि से काम कर रहे हैं तथा पांच वर्षों से अधिक की अवधि से जिनका एक ही जोन/सर्किल कार्यालय से बाहर स्थानांतरण नहीं हुआ है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानांतरित कर्मचारी उच्चधिकारियों से मिलीभगत करके अपना स्थानांतरण टाले रखते हैं अथवा एक ही वर्ष के भीतर पुनः उसी सीट पर आ जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो स्थानांतरण नीति के मानदंडों के अंतर्गत उन कार्मिकों का स्थानांतरण न करने में जिम्मेवार हैं जिन्होंने एक ही स्थान पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया हो; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम-विंग में स्थानांतरण नीति को लागू करने के लिए सरकार ने कौन से प्रभावी कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सामान्य नीति के अनुसार संवेदनशील सीटों पर कार्यरत कर्मचारियों को अदल-बदल स्थानांतरण स्कीम के तहत 2-3 वर्षों की अवधि के बाद, गैर-संवेदनशील सीटों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सतर्कता विभाग की सिफारिश होने पर, इस अवधि से पहले भी स्थानांतरण किया जा सकता है। जहां तक तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ का संबंध है, निदेशक/उप निदेशक/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) व (विद्युत)/अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) व (विद्युत) स्तर के कतिपय अधिकारी, कार्य अपेक्षाओं के कारण तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही सीट पर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के स्लम व झुग्गी-झोपड़ी विभाग ने सूचित किया है कि कर्मचारियों का स्थानांतरण

नीति/दिशानिर्देशों तथा सेवाओं की अपेक्षा के अनुसार किया जाता है। कुछेक मामलों में, लोक हित में कुछ कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के बाद भी उसी पद पर स्थापित रखा जाता है। इसलिए सहायक इंजीनियर और उच्च स्तर के कुछ अधिकारियों को निर्धारित समय में स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम विंग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के स्लम व जे जे विभाग ने सूचित किया है कि यों तो सामान्यतया स्थानांतरण नीति के अनुसार ही तबादले किए जाते हैं। तथापि, इसमें शिकायतों, सतर्कता विभाग की सिफारिशों तथा कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर कुछ अपवाद हो सकते हैं।

गैस और नेफ्था पर आधारित यूरिया संयंत्र

334. श्री गुनीपाती रामैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैस और नेफ्था पर आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए ऊर्जा की वर्षवार औसत खपत कितनी रही; और

(ख) इस संबंध में विश्व स्तर पर सर्वाधिक सक्षम इकाइयों के वर्षवार आंकड़े क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गैस आधारित और नेफ्था आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए औसत ऊर्जा खपत इस प्रकार है–

फीडस्टॉक	ऊर्जा खपत (यूरिया की मिलियन किलो कैलोरी प्रति टन)		
	1997-98	1998-99	1999-2000
गैस	6.39	6.35	6.31
नाफ्था	7.97	7.56	7.34

स्रोत : भारतीय उर्वरक संघ

(ख) अत्यधिक दक्ष यूरिया एककों से संबंधित ऊर्जा खपत के विश्वव्यापी विश्वसनीय प्रकाशित आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

एन०एम०डी०सी० द्वारा लौह अयस्कों का उत्पादन और निर्यात

335. श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के (एन.एम.डी.सी.) के अंतर्गत लौह अयस्क खानों की स्थलवार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के माध्यम से कुल कितना उत्पादन और निर्यात किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) आज की स्थिति के अनुसार, एन.एम.डी.सी. की निम्नलिखित लौह अयस्क खानें प्रचालनरत हैं–

(1) बैलाडिला लौह अयस्क खान–निक्षेप-14/11-सी, किरन्दुल, जिला–दान्तेवाड़ा, छत्तीगढ़ राज्य

(2) बैलाडिला लौह अयस्क खानें–निक्षेप-5 बचेली, जिला–दान्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य

(3) दौणिमलै लौह अयस्क खान, दोणिमलै, जिला–बेल्लारी, कर्नाटक

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन.एम.डी.सी. द्वारा किया गया कुल उत्पादन तथा लौह अयस्क के निर्यात से अर्जित राशि निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादित मात्रा (मिलियन टन)	निर्यात से अर्जित राशि (लगभग) (करोड़ रुपये)
1.	1997-98	14.7	527.2
2.	1998-99	11.6	529.8
3.	1999-2000	13.6	488.6

दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करना

336. डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री एस०डी०एन०आर० चाडिचार :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करने के कार्य पर निगरानी रखने हेतु एक प्रकोष्ठ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकोष्ठ की संरचना क्या है;

(ग) उक्त प्रकोष्ठ के क्या-क्या निर्देश पद हैं;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कितने उद्योगों को अन्यत्र, विशेषकर राजस्थान में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इन उद्योगों को कब तक अन्यत्र स्थापित किये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को अन्यत्र जगह देने हेतु दिल्ली के मास्टर प्लान में परिवर्तन करने का है;

(छ) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में क्या-क्या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ज) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 4677/1985 में आई ए नं. 1206 के साथ सिविल रिट याचिका सं. 4677 में आई ए नं. 22 में अपने दिनांक 12.9.2000 के फैसले द्वारा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को नोडल ऐजेंसी नियुक्त किया था तथा इस मंत्रालय को उद्योगों के विस्थापन और पुनर्वास के पूरे मामले पर विचार करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले व दिल्ली मास्टर प्लान का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में इस मंत्रालय ने एक प्रकोष्ठ बनाया है जिसका गठन विवरण के रूप में संलग्न है। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली सरकार है, नोडल एजेंसी का आगे बने रहना माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) दिल्ली के वर्जित/रिहायशी क्षेत्रों में उत्पादनरत प्रदूषणकारी और अन्य उद्योगों को राजस्थान सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतरित करने के लिए उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने एक मध्यस्थता बैठक की थी, जिसमें उन्हें इन राज्यों में खाली भूखंडों की संख्या, आकार, प्रतिवर्गमीटर मूल्य तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं/सेवाओं के बारे में बताया गया था। मंत्रालय ने पुनर्स्थापन के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि चाहने वाले उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरण का परामर्श दिया है। उद्योगों के स्थानांतरण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रिहायशी क्षेत्र से उद्योगों का स्थनांतरण--भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुदसार मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ के गठन के बारे में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) के दिनांक 22.9.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. जे-13036/41/2000-डीडी1ए की प्रति

मुझे उपर्युक्त विषय में माननीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री द्वारा जारी दिनांक 20.9.2000 के डायरी संख्या 36/यूडीएम/नोट्स/2000 और डायरी संख्या 37/यूडीएम/नोट्स/2000 का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान सचिव (उद्योग), दिल्ली सरकार और डीडीए के उपाध्यक्ष को भी प्रकोष्ठ में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब प्रकोष्ठ की संरचना इस प्रकार है--

1. शहरी विकास मंत्री, दिल्ली सरकार
2. उद्योग मंत्री, दिल्ली सरकार
3. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार
4. संयुक्त सचिव (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
5. प्रधान सचिव (उद्योग), दिल्ली सरकार
6. प्रबंध निदेशक, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डीएसआईडीसी)
7. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
8. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ प्रतिनिधि
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
10. उपाध्यक्ष, डीडीए, नई दिल्ली
11. इंजीनियर सदस्य, डीडीए, नई दिल्ली
12. सदस्य, दिल्ली विद्युत बोर्ड (श्री वाई.पी. सिंह)
13. मुख्य इंजीनियर (सिविल-I) दिल्ली जल बोर्ड (श्री जी. सी. नंदवानी)
14. संयुक्त सचिव (डी एंड एल) शहरी विकास मंत्रालय-सदस्य संयोजक

हस्ता/-

(वी.के. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी संबंधित।

विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन

337. **मोहम्मद अनवारूल हक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम में उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किये जाने की जानकारी है और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई योजना अथवा दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण, विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं तथा शैक्षिक स्तरों को बनाए रखने के अन्य उपायों के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई दिनांक 24 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि संस्थाओं को खासकर छोटी संस्थाओं, स्नातकोत्तर विभागों, व्यावसायिक कालेजों और स्वायत्त कालेजों में शिक्षकों के मूल्यांकन पद्धति के तौर पर छात्रों द्वारा मूल्यांकन पद्धति को लागू करने पर विचार करना ऐच्छिक होगा। उपर्युक्त अनुबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा अलग-अलग संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जानी है।

[हिन्दी]

पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों का निर्धारण

338. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा, साक्षरता अभियान चलाने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापति करने और निरक्षरता मिटाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) अब तक इस संबंध में कितने प्रतिशत सफलता मिली है;

(ग) लक्ष्य को हासिल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संशोधित नीति कार्यढांचा के अनुसार 1995 तक 10% उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों को और 2000 तक 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 6728 स्कूलों में दस लाख से अधिक दाखिला की क्षमता सृजित की गई है। विस्तार कार्यक्रम द्वारा और अधिक क्षमता का सृजन एक सतत प्रक्रिया है।

वर्ष 2005 में 75% साक्षरता का प्रारम्भिक चिरस्थाई स्तर प्राप्त करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। अभी तक साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 559 जिलों को शामिल किया गया है और मार्च, 1999 तक 84.00 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित 94 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों में से 42 विद्यालयों को पहले ही संस्वीकृत किया जा चुका है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराधी और पुलिस की सांठ-गांठ

339. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री होलखोमांग हौकिप :
श्री भीम दाहाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के दौरान आज की तिथि तक दिल्ली में विभिन्न अपराधों के कितने मामले दर्ज कराये गये;

(ख) पुलिस द्वारा कितने मामले सुलझाए गए और कितने मामले अभी सुलझाए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लोगों में कानून के प्रति पुनः भरोसा उत्पन्न करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई मामलों में दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की सांठ-गांठ की पुष्टि हुई है और क्या कुछ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार दिल्ली पुलिस के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी प्रकार से नियंत्रण में है और 1999 से अपराध दर में कमी का रुख देखने में आ रहा है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी में अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बीट, गश्त गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती; आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना; अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध ठिकानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना; आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना; पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें

करना; आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना; हरेक पुलिस जिले में आतंकवादी-निरोधक प्रकोष्ठ बनाना; और चलती बसों, बाजारों, व्यवसायिक स्थानों और अन्य अपराध-बहुल स्थानों में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना शामिल है।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 2000 (31.10.2000 तक) के दौरान विभिन्न अपराध के सूचित किए गए, हल किए गए और जांच-पड़ताल के लिए लंबित मामलों की संख्या

जघन्य अपराध

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	जांच-पड़ताल के लिए लंबित	पता न चले (अनसुलझे के रूप में बंद किए गए)
1	2	3	4	5	6	7
डकैती	54	–	54	44	10	–
हत्या	503	8	495	315	173	7
हत्या का प्रयास	502	2	500	418	78	4
लूटपाट	631	7	624	435	172	17
दंगे	155	–	155	127	26	2
बलात्कार	387	4	383	356	23	4
फिरौती के लिए अपहरण और व्यपहरण	35	4	31	29	2	–
कुल	2267	25	2242	1724	484	34
जघन्य-इतर अपराध						
छीनाझपटी	716	–	716	431	161	124
चोट पहुंचाना	1911	9	1902	1641	222	39
सेंधमारी	2841	2	2839	931	964	944
घर में चोरी	1611	5	1606	360	572	674
नौकर द्वारा चोरी	327	7	320	117	144	59
एम.वी. थैफ्ट	6557	108	6449	1205	1957	3287
अपहरण	793	199	594	122	379	23
व्यपहरण	318	79	239	70	165	4
धोखेबाजी/जालसाजी	1594	16	1578	883	615	80
दहेज हत्या	101	–	101	90	11	–
महिला का उत्पीड़न	492	1	491	453	35	3
406 भारतीय दंड संहिता	5	–	5	2	3	–

1	2	3	4	5	6	7
498क भारतीय दंड संहिता	826	6	820	395	425	—
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	619	3	616	602	14	—
विविध भारतीय दंड संहिता	25819	523	25296	15597	4464	5235
कुल	44530	958	43572	22969	10131	10472
जघन्य और जघन्य-इतर अपराध का जोड़						
कुल भारतीय दंड संहिता	46797	983	45814	24693	10615	10506

विवरण-II

क्र.सं. अपराध की प्रकृति	1997		1998		1999		2000 (31.10.2000 तक)	
	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या
1. हत्या/हत्या का प्रयास	6	20	6	6	3	3	11	18
2. धन ऐंठना/लूटपाट	9	12	7	11	7	10	12	16
3. धोखेबाजी/चोरी	8	9	9	13	13	13	5	6
4. बलात्कार/उत्पीड़न	8	9	4	4	8	8	5	3
5. अपहरण	2	2	3	3	—	—	3	3
6. चोट पहुंचाना	16	18	18	21	26	30	16	17
7. भ्रष्टाचार	21	34	20	27	14	20	20	21
8. विविध	41	47	35	39	55	63	46	50

इस्पात का उत्पादन

340. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, दोनों द्वारा देश में विभिन्न किस्म और ग्रेड के उत्पादित इस्पात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अच्छी किस्म के इस्पात, जिसका वाहन उद्योग में उपयोग किया जा सकता है, का उत्पादन करने के लिए कोई जोर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के भारतीय इस्पात संयंत्र उपभोक्ता उद्योग की आवश्यकतानुसार अमिश्र, मिश्र, बेदाग इस्पात, टोल और डाई इस्पात आदि की अधिकांश श्रेणियों का उत्पादन करते रहे हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं–

- न्यून कार्बन इस्पात जैसे साधारण/डी डी/ई डी डी श्रेणी और मृदु इस्पात
- मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात
- माइक्रो-मिश्रित इस्पात
- मिश्र इस्पात जैसे टूल एंड डाई इस्पात, बाल बेयरिंग इस्पात, हाई स्पीड इस्पात, कॉपर बेयरिंग कार्बन इस्पात, फ्री कटिंग इस्पात, स्प्रिंग इस्पात आदि
- बेदाग इस्पात
- सिलिकॉन इस्पात (इलैक्ट्रीकल इस्पात) आदि।

(ख) और (ग) जी, हां। इस्पात उत्पादक वाहन उद्योग के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले इस्पात सहित उच्च गुणवत्ता वाले मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने लोहा और इस्पात क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए 20 लाख अमरीकी डालर की सीमा तक की प्रौद्योगिकी का आयात करने तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के माध्यम से ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। नवीनतम प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को समाहित करने के लिए सेल और टिस्को के नियंत्रणाधीन मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है जबकि पहले से चालू नए इस्पात संयंत्र और कार्यान्वयनाधीन संयंत्रों ने इस्पात के उत्पादन में और साथ ही बेल्लन/प्रक्रमण क्षेत्रों में नवीनतम, स्टेट ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी को अपना लिया है/अपना रहे हैं, ताकि वे आटोमोबाइल क्षेत्र सहित सभी प्रकार के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन कर सकें।

इसके अलावा, सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि आटोमोबाइल क्षेत्र की इस्पात की विशिष्ट आवश्यकता कितनी है और घरेलू उद्योग इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकता है, इस्पात उत्पादकों, आटोमोबाइल क्षेत्र, और अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की भूमि का आन्ध्र प्रदेश सरकार को आबंटित किया जाना

341. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम की भूमि लघु पत्तन परियोजना के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को आबंटित करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार आबंटित भूमि के लिए लागत मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार को मुफ्त में भूमि आबंटित किये जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) गंगावरम लघु पत्तन के विकास के लिए 1100 एकड़ भूमि राज्य सरकार को पुनः हस्तांतरित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कतिपय शर्तों पर आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) को आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ करार करने की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) आर.आई.एन.एल. तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच हुए करार के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) को 1100 एकड़ विल्लंगम रहित भूमि, भूमि के बदले भूमि के आधार पर उपलब्ध कराएगी तथा साथ-ही-साथ भूमि का पारस्परिक हस्तांतरण हो जाएगा।

सीमावर्ती राज्यों में आपराधिक गतिविधियां

342. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान समाज विरोधी तत्वों द्वारा पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती राज्यों में लूटपाट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 1998-2000 के दौरान पाकिस्तान के साथ लगे सीमावर्ती राज्यों में डकैती और लूट-पाट के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

1998-2000 के दौरान डकैती और लूटपाट की घटनाएं

क्र. सं.	राज्य	डकैती			लूट-पाट			नीचे लिखे मास तक उपलब्ध
		1998	1999	2000	1998	1999	2000	
1.	गुजरात	381	334	140	1334	1238	459	
2.	जम्मू एवं कश्मीर	34	40	32	134	126	69	मई
3.	पंजाब	15	29	17	61	56	39	अगस्त
4.	राजस्थान	140	109	65	1354	1209	608	अगस्त

स्रोत : 1. 1998—भारत में अपराध आंकड़े।
2. 1999-2000—मासिक अपराध सांख्यिकी।
3. वर्ष 1999-2000 के लिए आंकड़े अस्थायी हैं।

[हिन्दी]

छोटे और माझोले शहरों का विकास

343. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान छोटे और मंझोले शहरों के समेकित विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने 1996 के दौरान राजगीर, गोड्डा, गया, सुपौल, शिवहर, फारबिसगंज, लोहरदग्गा, मधेपुरा, रक्सौल, अररिया और खगड़िया नाम के 11 कस्बों के संबंध में परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई और अनुमोदित की गई निम्नलिखित नौ कस्बों को केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं–

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता
1.	राजगीर	1995-96	20.00
2.	गोड्डा	1995-96	20.00
3.	गया	1996-97	20.00
4.	सुपौल	1996-97	15.00
5.	शिवहर	1996-97	10.00
6.	फारबिसगंज	1996-97	15.00
7.	लोहरदग्गा	1996-97	15.00
8.	मधेपुरा	1998-99	10.00
9.	रक्सौल	1998-99	10.00

बिहार सरकार ने उपर्युक्त सभी कस्बों को दी गई स्वीकृति के पुन:मान्यकरण का अनुरोध किया। अनुरोध को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि जब तक राज्य सरकार से शेष बची राशि के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होंगे तब तक और कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की जाएगी। चूंकि राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अररिया और खगड़िया कस्बों की केन्द्रीय सहायता रोक दी गई है।

[अनुवाद]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

344. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री शिवाजी माने :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 सितम्बर, 2000 के 'पायनियर' में 'आई.एस.आई. सैन्डिंग अफगान गुरिलाज टु जे. एण्ड के.' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान की आई.एस.आई. भारत में अफगानी गुरिल्लाओं को भेज रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों से भारत में कितने अफगानी अवैध रूप से रह रहे हैं और कितने विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए हैं; और

(ङ) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। पाकिस्तान उग्रवाद फैलाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में भाड़े के विदेशी सैनिकों को भेजता रहा है जिनमें कुछ अफगान राष्ट्रिक भी शामिल हैं।

जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 1990 से 31 अक्तूबर, 2000 तक अफगान मूल के 14 भाड़े के सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं और 1990 से 31 अक्तूबर, 2000 तक अफगान मूल के 173 भाड़े के सैनिक मारे गए हैं। सरकार जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों (भाड़े के विदेशी सैनिकों समेत) का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर सीमा प्रबंधन द्वारा घुसपैठ रोकना और जम्मू एवं कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाना शामिल है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में ठहरे हुए अफगान राष्ट्रिकों की संख्या इस प्रकार है–

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1997	7015
1998	6764
1999	12154

पुलिस हिरासत में मौतें

345. **श्री अरुण कुमार :**
श्री रिजवान जहीर :
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में हिरासत में मरने वाले लोगों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इस ग्राफ में बहुत अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों और 31 अक्तूबर, 2000 तक के दौरान दिल्ली में सूचित की गई पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या निम्नानुसार है–

वर्ष	मौतों की संख्या
1997	7
1998	2
1999	2
2000 (31.10.2000 तक)	2

(ग) से (ङ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में मौत के प्रत्येक मामले में कानूनी मृत्यु समीक्षा की जाती है और जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के पश्चात् समुचित कानूनी कार्रवाई की जाती है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

क्र.सं.	की गई कार्रवाई	कार्मियों/मामलों की संख्या
1.	निलम्बनाधीन रखे गए कार्मिक	16*
2.	विभागीय जांच के पश्चात् दण्डित कार्मिक	2
3.	जांच-पड़ताल के पश्चात् दोषी न पाए गए कार्मिक	2
4.	लापरवाही के कारण जिन कर्मिकों के विरुद्ध जांच आदेश दिए गए	3
5.	मामले जिनमें मृत्यु समीक्षा अथवा जांच-पड़ताल/विचारण लम्बित है	8

*6 कार्मिकों को बहाल किया जा चुका है।

हडको के ऋण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में परिवर्तित करना

346. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ से पीड़ितों के लिए 2.27 लाख स्थायी घरों का निर्माण करने के लिए संस्वीकृत किए गए 300 करोड़ रुपये के हडको के ऋण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध विचाराधीन है।

पेट्रो रसायन उद्योग

347. डा० वी० सरोजा :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रो-केमिकल विजन 2010 एडवाइजरी ग्रुप नाम से एक कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतक बल के विचारणीय विषय क्या-क्या हैं, और

(ग) भविष्य में हमारे उद्योगों पर उक्त सलाहकार दल का क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पेट्रोरसायनों के लिए कृतक बल गठित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है। कृतक बल अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का बंद किया जाना

348. श्रीमती हेमा गमांग :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के राज्यवार और इकाई-वार कितने उर्वरक संयंत्रों को बन्द किया गया है;

(ख) इनको बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने और कार्य को सुधारने हेतु कोई प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) इस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन

निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों (पी एस यू) में उत्पादन/फीडस्टॉक सीमाबद्धता या अव्यवहार्यता के कारण बन्द करना पड़ा था—

1. फर्टिलाइज कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफ सी आई) की गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) एवं तालचर (उड़ीसा) की अमोनिया-यूरिया इकाइयां।

2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एस एफ सी) की दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), बरौनी (बिहार) एवं नामरूप-I एवं II (असम) की अमोनिया यूरिया इकाइयां।

3. पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एल) की देहरादून (मसूरी फॉस) (उत्तर प्रदेश), अमझौर (बिहार एवं सलादीपुरा) (एस एस पी) (राजस्थान) की इकाइयां।

4. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) की, ट्राम्बे (महाराष्ट्र) स्थित यूरिया-I इकाई।

(ग) एफ सी आई के गोरखपुर संयंत्र का पुनरुद्धार प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। प्रक्रिया जारी है ताकि कृभको मौजूदा स्थल पर नया उर्वरक संयंत्र लगा सके।

रामगुण्डम और तालचर एककों (एफ सी आई) दुर्गापुर एवं बरौनी एककों (एच एफ सी) के लिए एकक-वार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव एवं पी पी सी एल के देहरादून अमझौर एवं सलादीपुरा के पुनर्गठन प्रस्ताव सरकार के सक्षम पदाधिकारी एवं तत्पश्चात अन्तिम स्वीकृति के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हैं।

सरकार ने 350 करोड़ रुपये के अनुमानित नए निवेश पर एच एफ सी की नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है। इन एककों को प्राकृतिक गैस आपूर्ति बढ़ाने की भी व्यवस्था की गयी है। नामरूप-I के अमोनियम सल्फेट संयंत्र को बन्द किया जाना है क्योंकि इसे प्रचालित करना अलाभप्रद एवं असुरक्षित पाया गया है।

आर सी एफ के ट्राम्बे-I यूरिया संयंत्र के पुनः प्रारम्भण में बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता होने के कारण, इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया एवं कम्पनी ने इस संयंत्र को प्रचालित नहीं करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी०सी०एल०) के रजरप्पा क्षेत्र में आग

349. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के रजरप्पा क्षेत्र के सेक्शन-एक में लगभग 50 करोड़ रु. के मूल्य की अस्वीकृत कोयला भंडार में आग लग गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग दस वर्ष पूर्व उसी स्थान के नजदीक इरकसेन यार्ड कोयला भंडार के अस्वीकृत कोयला भंडार में पहले भी आग लग गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है/किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) कोल इंडिया लि. ने यह सूचित किया है कि अस्वीकृत कोयला स्टॉक यार्ड में स्वतः तापन शुरू हो गया है। अस्वीकृत कोयले की सर्वोपरि बेंच को वास्तविक रूप से घटाया जाना शुरू कर दिया गया है तथा आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक रु. 50 करोड़ के मूल्य का संबंध है इसे कंपनी की लेखाकरण पद्धति के अनुसार बताया नहीं जा सकता है। वाशरी रद्दी स्टॉक को स्टॉक मूल्यांकन के उद्देश्य से मूल्यांकित नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां। वर्ष 1986 के दौरान इरकसेन यार्ड में अस्वीकृत कोयला भंडार में आग लग गई थी।

(ग) और (घ) कोयला स्टॉक में आग लगने से संबंधित समस्या पर विचार करने के लिए तथा अस्वीकृत कोयला भंडार के लिए सीसीएल द्वारा तकनीकी समितियों का गठन किया गया था।

पहली समिति का गठन निदेशक (टैक) प्रभाग-II द्वारा 19.6.86 को दिया गया था। इस समिति की अध्यक्षता महाप्रबंधक (उत्पादन) ने की थी। इस समिति ने कोयला भेजने स्वतः तापन पर कोयले की आग बुझाने तथा कोयले के उचित श्रेणीकरण के लिए सुझाव दिया था।

दूसरी समिति का गठन मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन) ने किया था और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन) स्वर्गीय श्री ए.एन. सिन्हा ने की थी। उन्होंने कोयले की संभावित हानि का आंकलन किया है। जांच रिपोर्ट पर सीआईएल बोर्ड की मीटिंग में विचार-विमर्श किया था। (116वीं बैठक 13.5.1991 को हुई थी) बोर्ड जांच रिपोर्ट से संतुष्ट था। रिपोर्ट नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही है।

"विभिन्न मामलों में की गई पूछताछों से यह पता चला था कि भरसक प्रयत्न करने के बावजूद कोयला भंडार में आग लगने से रोका नहीं जा सका क्योंकि कोयला भंडार स्वतः तापन के प्रति अतिसंवेदनशील होता है। अतः इस कारण से हुई स्टॉक की हानि के विरुद्ध किसी प्रबन्ध अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

(ङ) इस मामले में किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि उपर्युक्त निर्दिष्ट स्पष्टीकरण के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया था।

ग्रामीण सड़कें

350. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री खारवेल स्वाईं :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए०पी० चितेन्द्र रेड्डी :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री मानसिंह पटेल :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को विस्तारित उन्नयन करने तथा उनको सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का चयन करने के क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का, राष्ट्रीय राजमार्गों से 10 कि.मी. तक की दूरी पर स्थित सभी गांवों को सड़कों के जरिए जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रयोजन के लिए राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई और 2000-2001 के दौरान कितनी राशि जारी किए जाने की संभावना है;

(छ) कितने प्रतिशत गांवों को अभी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना बाकी है;

(ज) क्या सरकार को ग्रामीण सड़कों के सुधार के संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ट) क्या ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का चयन करने में संसद सदस्यों की भी कोई भूमिका है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वेंकय्या नायडू) : (क) से (ग) सरकार अगले सात वर्षों में 500 लोगों तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों के जरिए ग्रामीण सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ग्रामीण सड़क कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगी हुई है। योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्यों को जारी चालू वर्ष के लिए निधियों (अनंतिम) के आबंटन का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान (न्यूनतम बुनियादी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को आबंटित राशि के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न है। 2000-2001 के दौरान आबंटित राशि का प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में उत्तर दिया गया है।

(छ) से (ञ) 31.3.1997 तक, 43.45% गांवों/बसावटों को अभी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना था। ग्रामीण सड़कों के निर्माण/सुधारने के लिए अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। (ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है) जिन पर इस विषय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही की जाएगी।

(ट) और (ठ) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	190
2.	बिहार	260
3.	गोवा	5
4.	गुजरात	50
5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	60
7.	जम्मू व कश्मीर	20
8.	कर्नाटक	95
9.	केरल	20
10.	मध्य प्रदेश	300
11.	महाराष्ट्र	130
12.	उड़ीसा	175

1	2	3
13.	पंजाब	25
14.	राजस्थान	130
15.	तमिलनाडु	80
16.	उत्त रप्रदेश	375
17.	पश्चिम बंगाल	135
18.	अंडमान निकोबार	10
19.	दादरा व नगर हवेली	5
20.	दमन व दीव	5
21.	लक्षद्वीप	5
22.	पांडिचेरी	5
	उत्तर-पूर्वी राज्य	
23.	अरुणाचल प्रदेश	35
24.	असम	75
25.	मणिपुर	20
26.	मेघालय	35
27.	मिजोरम	20
28.	नागालैंड	20
29.	सिक्किम	20
30.	त्रिपुरा	25

विवरण-II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 संशोधित अनुमान	1998-99 संशोधित अनुमान	1999-2000 परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	99.40	88.28	153.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.91	58.24	46.42
3.	असम	28.60	30.00	30.00
4.	बिहार	76.76	30.00	170.00
5.	गोवा	8.00	5.00	6.06
6.	गुजरात	12.00	15.00	10.00
7.	हरियाणा	2.60	2.60	2.60
8.	हिमाचल प्रदेश	44.74	80.95	92.74
9.	जम्मू व कश्मीर	122.64	91.14	72.35
10.	कर्नाटक	58.35	37.92	44.73
11.	केरल	31.00	35.00	37.00
12.	मध्य प्रदेश	31.75	48.61	61.26
13.	महाराष्ट्र	29.89	43.39	58.28
14.	मणिपुर	41.67	42.50	42.50
15.	मेघालय	15.90	29.40	33.40
16.	मिजोरम	17.40	20.01	24.08
17.	नागालैंड	13.78	15.00	15.00
18.	उड़ीसा	54.50	112.36	65.52
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	200.00	200.00	275.00
21.	सिक्किम	10.78	11.57	15.68
22.	तमिलनाडु	94.43	82.92	64.59
23.	त्रिपुरा	16.20	21.30	14.00
24.	उत्तर प्रदेश	686.05	746.56	1015.00
25.	पश्चिम बंगाल	76.11	99.50	81.30
	कुल (राज्य)	1818.46	1947.25	2430.56
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.10	15.00	16.50
2.	चण्डीगढ़	0.40	0.40	0.60
3.	दादरा व नगर हवेली	2.55	1.89	1.32
4.	दमन व दीव	1.04	1.50	2.10
5.	दिल्ली	0	0	0
6.	लक्षद्वीप	1.56	1.23	7.50
7.	पांडिचेरी	5.31	3.58	7.50
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	22.96	23.60	29.37
	कुल (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	1841.42	1970.85	2459.93

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	असम	179.48
2.	बिहार	82.57
3.	गुजरात	167.78
4.	मध्य प्रदेश	989.42
5.	मिजोरम	431.39
6.	मणिपुर	198.66
7.	पंजाब	417.76
8.	राजस्थान	779.22
9.	तमिलनाडु	339.04
10.	उत्तर प्रदेश	90.81
11.	पांडिचेरी	52.26
12.	कर्नाटक	196.36
13.	पश्चिम बंगाल	49.58
14.	जम्मू व कश्मीर	878.92
15.	उड़ीसा	348.52

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण

351. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैय्द शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार देश में स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को निधियां जारी करती है। उक्त परिषद विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को आगे निधियां जारी करती है। परिषद ने वर्ष 2000-2001 के दौरान अब तक इस कार्यक्रम के लिए कर्नाटक सरकार को 3.63 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर की है।

तिहाड़ जेल में महिला शिष्टमंडल का दौरा

352. श्री बसुदेव आचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला अधिकारिता संबंधी संसदीय शिष्टमंडल ने 5 अक्तूबर, 2000 को तिहाड़ जेल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा तत्संबंधी क्या परिणाम रहे; और

(ग) उक्त शिष्टमंडल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) श्रीमती मारग्रेट आल्वा की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल जिसमें सोलह अन्य सदस्य थे, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

समिति के निष्कर्ष अभी तक जेल प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

विवरण

1. श्री एम. रिबेलो
2. प्रोफेसर ए.के. प्रेमाजन
3. डा. एन. सरोजा, संसद सदस्य
4. डा. एम. विजयनकूरा
5. श्रीमती शीला गुलानी
6. डा. ए.डी.के. जयसीला
7. श्रीमती पी.डी. एलानगोवन, संसद सदस्य
8. श्री गहलौत
9. श्री एस.जी. जोहर
10. श्रीमती वीणा शर्मा
11. श्रीमती रश्मि चौधरी
12. श्रीमती एच.आर. करबाज
13. श्री एस.सी. गुलाटी
14. श्री अनिल कुमार
15. श्री एस.एम. वर्मा
16. श्री डी. नागप्पा

महिलाओं और बच्चों का शोषण

353. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक देह शोषण का मुकाबला करने के लिए कोई नई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य-वार अब तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वेश्याओं, बाल वेश्याओं तथा वेश्याओं के बच्चों पर 21 अगस्त, 1997 को एक समिति का गठन किया। इस समिति ने महिलाओं तथा बच्चों एवं पीड़ित महिलाओं के बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण एवं विपणन की समस्याओं का गहन अध्ययन किया तथा महिलाओं एवं बच्चों के विपणन एवं व्यावसायिक यौन शोषण की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1998 में एक रिपोर्ट तथा कार्य योजना प्रस्तुत की। योजना में जिन कार्य बिन्दुओं पर विशेष बल दिया गया वे इस प्रकार हैं—(क) रोकथाम, (ख) विपणन, (ग) जागरूकता विकास तथा सामाजिक संघटन, (घ) स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, (ङ) शिक्षा तथा बाल देखभाल, (च) आवास संबंधी आश्रय तथा नागरिक सुविधाएं, (छ) आर्थिक शक्ति-सम्पन्नता, (ज) कानूनी सुधार तथा कानून प्रवर्तन, (झ) बचाव तथा पुनर्वास, (ञ) संस्थागत तन्त्र, (ट) कार्यविधि। कार्य योजना को कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने महिलाओं तथा बच्चों के विपणन की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं/कर रहे हैं—

(i) वेश्यावृत्ति का उन्मूलन करने के लिए अपेक्षित प्रयासों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए राज्य सलाहकार समितियों की स्थापना करना तथा मुक्त कराए गए पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास तथा पुनर्वास के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम चलाना।

(ii) अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 13 (i) के अन्तर्गत वेश्याओं की अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारी अधिसूचित करना।

(iii) अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत प्रमुख क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारियों को सलाह देने हेतु गैर-सरकारी सलाहकार बोर्डों को अधिसूचित करना।

(iv) अधिक आपूर्ति वाले अभिनिर्धारित क्षेत्रों में नियमित रूप से छापे मारना।

(v) राज्य सरकार अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित करना।

(vi) व्यावसायिक यौन शोषण तथा एच आई वी/एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं वाले किशोर गृहों/विशेष गृहों को किशोर अपराध न्याय अधिनियम के तहत स्थापित करना।

(vii) देवदासियों/जोगिनों आदि के सामाजिक उत्थान तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए स्कीमें चलाना।

ऐसी महिलाओं तथा लड़कियों को, जो नैतिक खतरों अथवा पारिवारिक कलह की शिकार हैं, अथवा भावनात्मक रूप से परेशान हैं, आवास उपलब्ध कराने तथा वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पावास गृह नामक एक स्कीम चलाई जा रही है। इस समय 250 अल्पावास गृह हैं तथा प्रत्येक अल्पावास गृह में 30 संवासिनों को आश्रय प्रदान किया जा सकता है।

उड़ीसा में खुली तटवर्ती खान परियोजना

354. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में चेंदीपाड़ा खुली तटवर्ती खान परियोजना संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना में रोजगार की संभाव्यता की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) से (घ) महानदी कोलीफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने, अपने को प्रदत्त शक्तियों के अधीन, रु. 19.75 करोड़ की पूंजीगत लागत पर उड़ीसा में चन्दीपाड़ा ओपेन कास्ट खान परियोजना के लिए स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, 220 व्यक्तियों की आवश्यकता है। परियोजना को मार्च, 2002 तक पूरा किया जाना है।

औषधि और भेषज के उत्पादन संबंधी आंकड़े

355. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में औषधि एवं भेषज के उत्पादन के संबंध में आंकड़े तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मात्रा एवं मूल्य सहित उनके प्रमुख उत्पादों के साथ देश में भेषज कम्पनियों की राज्यवार सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में औषधि एवं भेषज उत्पादन पर कोई कठोर प्रतिबंध लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) औषध तथा भेषज के आयात-निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु में भेषज उद्योगों का स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा मात्रावार तथा मूल्यवार उनका देश के उत्पादन में क्या योगदान है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क), (ख) और (च) राज्यवार और कंपनीवार औषधों के उत्पादन संबंधी व्यापक डाटा बेस का व्यापक रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत सभी प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस कुछेक मामलों को छोड़कर समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी के अनुसार 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान भारत के औषधों और दवाइयों के कुल आयात एवं निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है–

मद	1998-99	1999-2000
औषधीय भेषज उत्पादों का अयात	161519.91	150230.30
औषधों, भेषजों एवं परिष्कृत रसायनों का निर्यात	625606.68	663145.07

औषधों एवं भेषजों का आयात मुख्यत: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यू.के., फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बैल्जियम, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, इटली, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, रूस और आयरलैंड से किया जा रहा है। भारत से निर्यात मुख्यत: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, हांगकांग, यू.के., नाइजीरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इरान, ब्राजील, वियतनाम और चीन को किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

356. **श्री रामचन्द्र बैंदा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की सहायता करने हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस ढंग से प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) जर्मन सरकार की सहायता कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत और जर्मन के बीच द्विपक्षीय सहयोग सुकर बनाने के लिए एक भारत-जर्मन संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। भारत-जर्मन संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक में दोनों पक्षों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पूर्ण सहयोग देने और समुचित उपाय करने पर सहमति हुई। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संदिग्ध उग्रवादियों की गतिविधियों के संबंध में नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान करना, ऐसी गतिविधियों का गहन प्रबोधन करना और आतंकवाद से संबंधित मामलों आदि की जांच-पड़ताल और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। सहयोग एक सतत् प्रक्रिया होने की परिकल्पना की गई।

दिल्ली में पकड़ा गया आर०डी०एक्स०

357. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आज तक दिल्ली में भारी मात्रा में घातक आर.डी.एक्स. और अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह बरामदी किन परिस्थितियों में हुई है तथा कौन-कौन से व्यक्ति पकड़े गए हैं;

(ग) क्या तबाही और आतंकवाद की किसी बड़ी योजना का पर्दाफाश किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। जब्त की गई वस्तुओं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ये घटनाएं आतंकवादी हिंसा के जरिए राजधानी और देश के अन्य भागों में तोड़-फोड़ करने को पाक आई.एस.आई. समर्थित समग्र योजना का एक हिस्सा हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में बीट गश्त को गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार-बार छापे मारना, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले बाजारों, मनोरंजन के स्थानों में व्यक्तियों और समाज की चैकिंग, गेस्ट हाउसों और धार्मिक स्थानों की चैकिंग करना, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी-विरोधी एकक का गठन करना शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	प्र.सू. रिपोर्ट, तारीख, धारा और थाना	मामले के संक्षिप्त तथ्य	मारे गए और जख्मी हुए व्यक्ति						गिरफ्तार व्यक्ति	वांछित/ फरार व्यक्ति	संगठन	क्षतिग्रस्त संपत्ति	बरामदगी	सी.एस. एफ.एल. परिणाम
			मारी गई जनता	जख्मी हुई जनता	मारी गई पुलिस	जख्मी हुई पुलिस	मारे गए आतंक-वादी	जख्मी हुए आतंक-वादी						
बम का पता लगाना														
1.	34, ता. 23.1.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 3/4 के अन्तर्गत, थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली	23.1.2000 को 8.30 बजे पूर्वाह्न को चिल्ड्रनपार्क के सामने शाहजहां रोड के नजदीक इंडिया गेट मैदान में लकड़ी के खम्बे के नज़दीक एक टाईम बम मिला।	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 हथगोला 1 लीवर 1 स्टीकर एक स्प्रिंग 1 सेफ्टी पिन 1 ए.बी.सी.डी. टाईमर एक 9 वोल्ट बैटरी	
2.	45, ता. 26.1.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना-कोतवाली दिल्ली	26.1.2000 को लाल किले के इर्द-गिर्द तोड़फोड़ विरोधी जांच के दौरान लाल किले के दक्षिण दिशा के प्रांगण के ग्राउण्ड के नजदीक के पास एक बम का पता लगा।	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	छोटे आकार के सेल कास्ट आईरन बिजली के तारों के छोटे टुकड़े	

1.1.2000 से 31.10.2000 तक दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकवादी

क्र.सं.	प्र.सू.रि., ता., धारा और थाना	मामले के संक्षिप्त तथ्य	गिरफ्तार व्यक्ति	वांछित/फरार व्यक्ति	संगठन	विस्फोटक सामग्री	बरामदगी		पाक के साथ संबंध		
							शस्त्र और अन्य गोला-बारूद	अन्य	पाक आई.एस.आई. एजेंट	पाक प्रशिक्षित	पाक राष्ट्रिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	27 ता. 16.1.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 4/5, भारतीय दंड संहिता 121/ 121ए/122/122ए/ 123/120बी थाना दिल्ली कैन्ट	खिलौनों में छिपाए गए विस्फोटक पदार्थ को रखने के लिए दिल्ली कैन्ट क्षेत्र से स्पेशल एकक द्वारा एक पाक राष्ट्रिक, जिसके आई. एस.आई. के साथ संबंध थे को दो भारतीय सहयोगियों के साथ पकड़ा गया।	1. अब्दुल रशीद उर्फ खालीद सलीम पुत्र: साहाद्दीन निवासी: 63, गली नं. 4, भाटी चौक, लाहौर, पाकिस्तान	–	–	860 ग्राम आर.डी.एक्स. 2 एबीसीडी टाईमर 4 इलैक्ट्रोनिक डिटोनेटर	–	–	आई.एस.आई. एजेंट	–	पाक राष्ट्रिक
			2. आश मोहम्मद पुत्र: स्व. रूपा निवासी: गांव सिलखो, थाना-तावरू, गुड़गांव, हरियाणा	–	–						
			3. मो. इस्माईल पुत्र: खुदा बख्श निवासी: गांव भादेश, पो., थाना-नगीना, जिला-गुड़गांव, हरियाणा	–	–						
2.	29 ता. 24.1.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 4/5 के अन्तर्गत, भा.दं.सं. की धारा 121/121ए/ 122/123/489-8/ 489-सी/120बी, थाना करोल बाग	स्पेशल एकक द्वारा एक पाक राष्ट्रिक/ आई.एस.आई. एजेंट को उसकी भारतीय पत्नी और 7 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया और जाली मुद्रा नोट, आर.डी.एक्स. इत्यादि बरामद किया गया।	1. कमरान गोहर पुत्र: मो. शफी निवासी: अकबरी मण्डी बाजार, नेहरियान, लाहौर, पाकिस्तान (24.1.2000)	1. हमीदा निवासी: पाक राष्ट्रिक	–	2.900 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. 2 टाईमर पैंसिल 2 इलेक्ट्रोनिक डिटोनेटर 1 हथगोला 1 सेल फोन	–	5,50,000/- रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये मूल्य की जाली मुद्रा	आई.एस.आई. एजेंट	–	पाक राष्ट्रिक
			2. गगन सिंह पुत्र: स्व. कैलाश गुलयानि निवासी: 33/12 ओल्ड	2. अल्लाह जिन्दा 3. वाहिद (पाक राष्ट्रिक) 4. सुहेल सफी							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			राजेन्द्र नगर, दिल्ली (24.1.2000)	(पाक राष्ट्रिक)							
			3. हरजेश कुमार नारायण पुत्र: बलवंत राय निवासी: 4/15 II फ्लोर डब्लू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली (24.1.2000)	5. दीपक चड्ढा पुत्र: विजय चड्ढा निवासी: 30/6 ओल्ड राजेन्द्र नगर, दिल्ली				12,500/- की जाली मुद्रा			
				6. रोहित चड्ढा पुत्र: गुलशन चड्ढा निवासी: ए एम-4 शालीमार बाग, दिल्ली				12,500/- की जाली मुद्रा	पाक राष्ट्रिक		
			4. राजू भसीन पुत्र: जगदीश भसीन निवासी: 15ए/9/डब्लू ई ए करोल बाग, नई दिल्ली (25.1.2000)					7,000/- की जाली मुद्रा			
			5. मुमताज परवीन पत्नी: कमरान गोहर निवासी: 80 छत्ता लाल मिया, बार गली, दरिया-गंज, दिल्ली और 13/20 डब्लू ई ए, करोल बाग, नई दिल्ली (पाक राष्ट्रिक) (24.1.2000)					8,000/- की जाली मुद्रा			पाक राष्ट्रिक
			6. ईरशाद पुत्र: अब्दुल कयूम निवासी: मकान नं. 68, शाहपीर गेट, मेरठ, उत्तर प्रदेश (कमरान गोहर का ससुर) (26.1.2000)					14,800/- की जाली मुद्रा			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7. मधु बाला पत्नी: भीष्म कुमार निवासी: 61/1, रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली (27.1.2000)					2,00,000 जाली मुद्रा			
			8. अजय सिंह सुपुत्र: रणजीत सिंह निवासी: डी-399, न्यू साकेत नगर, दिल्ली (30.1.2000)					13,000 जाली मुद्रा (हवाला अप्रेटर)			
			9. त्रिलोक चन्द बंसल सुपुत्र: घिसी लाल निवासी: डी-3/23 रात्र-स्थानी अपार्टमेंट मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली (2.2.2000)								
3.	88 ता. 24.2.2000 भा.दं.सं. धारा 121/ 121क पुलिस स्टेशन लाहोरी गेट दिल्ली	विशेष प्रकोष्ठ ने एक पाकिस्तानी आई एस आई एजेंट सहित पांच उग्र-वादियों की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी उग्रवादियों को आई एस आई समर्थित हवाला चैनल का पता लगाया	1. फारूख अहमद कानून सुपुत्र: हाजी रवजार मोहम्मद कानून निवासी: हारसीभट्ट, रेनवाडी, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर 2. मनीश ठाकुर सुपुत्र: के.के. ठाकुर निवासी: ई-300, टैगोर गार्डन एक्स., दिल्ली 3. श्याम लाल सुपुत्र: हरफूल, निवासी: ए-354, बुद्धा मार्ग, मण्डावली, फजलपुर, दिल्ली	1. सवीर खान निवासी: राजोरी काडक श्रीनगर 2. नजरी खान निवासी: राजोरी काडक, श्रीनगर 3. पवन 4. रवि (दोनों पालिका पैलेस, दिल्ली में उल्फा ट्रैवल अप्रेटिंग के मालिक)	लश्करे तोएबा	4.9 कि.ग्रा. आर डी एक्स 2 टाईमर पैंसिल 1/2 कि.ग्रा. राईवेट (श्रीनगर में आशिक के घर के बाहर)		40.35 लाख आई एस आई एक मारूति लिंक कार			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. जगदीप कुमार सुपुत्र: बी.आर. दिलावरी निवासी: 0-18 प्रताप नगर अन्धा मुगल, दिल्ली 5. आशिक हुसैन फाकतून सुपुत्र: गुलाम नबी फाकतून निवासी: अपर सोरा, मेडिकल कालेज के समीप, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (27.2.2000) 6. पवन कुमार कटियाल सुपुत्र: स्वर्गीय आर.आर. कटियाल निवासी: बी एल 100/2, मुलतानीडांडा पहाड़गंज, दिल्ली (16.4.2000)								
4.	92 दि. 29.2.2000 आर्मज अधि. धारा 25/54/59 पी.एस.-एच.एम. दिल्ली	विशेष स्टाफ साऊथ जिला दिल्ली ने भोगल, जंगपुरा, दिल्ली क्षेत्र से एक पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादी को गिरफ्तार किया	1. गुलाम मोहिदीन @ जावेद अहमद सुपुत्र: जब्बर मलिक निवासी: गांव लीदेन नौगांव, कुफवाड़ा श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	–	हिजबुल मुजाहीदीन	–	एक .32 अमरीका निर्मित रिवाल्वर+5 कार्टेज	–	जी हां	–	
5.	18क दि. 13.3.2000 दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 41.1, पी.एस.-एच.एन. दीन दिल्ली	विशेष प्रकोष्ट द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जोकि पी एस सांभा जे एण्ड के एफ आई आर सं. 185/99 मामले में वांछित था	1. जब्बर खान @ मुंशी सुपुत्र: रहीस खान निवासी: गांव सालारपुर खालसा, पी.एस. राजामपुर तहसील अमरोहा, जिला ज्योतिबा फूले नगर, यू.पी.	लश्कर-ए-तोयबा							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	121 दि. 14.3.2000 भा.दं.सं. धारा 186/ 353/307/34 आर्मस अधि. 25/ 27/54/59, ई एस अधिनियम 4/5 पी.एस. रेलवे दिल्ली मेन	क्राईम ब्रांच के इंटरनेट सेल द्वारा तीन के जेड एफ उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया जोकि दिल्ली और कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में विस्फोट की योजना बना रहे थे	1. सुखदेव सिंह @ मिथ्थु सुपुत्र: जोगा सिंह निवासी: वार्ड नं.-2, सिम्बल कैम्प, तहसील आर.एस. पोरा पी.एस. भीरा सहिली, जिला जम्मू, जे एण्ड के 2. सतवीर @ सन्नी सुपुत्र: स्वर्गीय लाल सिंह निवासी: वार्ड नं. 2, सिविल कैम्प तहसील आर एस पोरा, पी एस मीरा साहीली जिला जम्मू, जे एण्ड के 3. पुरुषोत्तम काला सुपुत्र: सोहन सिंह निवासी: वार्ड नं. 2, सिम्बल कैम्प, पी एस भीरा साहिल तहसील आर.एस. पोरा जिला जम्मू, जे एण्ड के (16.3.2000)	1. मनजीत सिंह निवासी: पाकिस्तान 2. रणजीत सिंह @ नीता (के जेड एफ का मुखिलया) सुपुत्र: दर्श सिंह निवासी: सिम्बल कैम्प, पी.एस.आर.एम. पोरा जम्मू 3. अमृतपाल @ रोमी सुपुत्र: भूपिन्दर सिंह निवासी: लिंक रोड सिम्बल मोरह तहसील आर.एस. पोरा, जम्मू जे एण्ड के	के जेड एफ एरिया कमाण्डर ग्रीफ आग्रेनाईजर डिप्टी चीफ	32 कि.ग्रा. आरडीएक्स 4 हथगोले	1 पाक निर्मित 4 नौ बोल्ट पिस्तौल बैंट्रीज 1 एक्ट्रा ट्रिक 5ए वी सी डी टाईमर मैगजीन 15 डेटोनेटर, 63 जीवित 3 पैंसिल कार्ट्रेज टाईमर				
7.	550 दि. 19.6.2000 एक्ट सब एक्ट धारा 3/4/5 पी पी एक्ट 14, भा.द.सं. धारा 121/ 121क/122/123/120 ख, पी एस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन. दिल्ली	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग से विशेष सैल द्वारा एक पाकिस्तान प्रशिक्षित कश्मीरी उग्र-वादी सहित अल बदर के चीफ कमाण्डर को गिरफ्तार किया	1. सैफुल्ला @ इकबाल वाहीद सुपुत्र: ताजदीन अराहना निवासी: गुजरावाला पाकिस्तान 2. मुनीर अहमद @ मन्जूर सुपुत्र: मुहम्मद रज्जाक निवासी: श्रीनगर	—	अल बदर एरिया कमाण्डर	4 कि.ग्रा. आर डी एक्स 2 टाईमर पैंसिल 5 डेटोनेटर	—	—	आई एस आई एजेंट	पाकिस्तान राष्ट्रिक	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	407 दि. 11.8.2000 ई एस अधि. धारा 3/4/5 आर्मज अधि. धारा 25 14 एफ अधिनियम पी एस एच एन दिन	एज एम दीन के क्षेत्र से विशेष प्रकोष्ट द्वारा एक पाकिस्तानी आई एस आई एजेन्ट (अफगानी मूल का) को गिरफ्तार किया –	1. जन्नत गुल @ जावेद @ शेरखान @ नूर गुलखान सुपुत्र: नबीउल्ला निवासी क्वेटा, पाकिस्तान	–	–	10.200 कि.ग्रा. आरडीएक्स 2 ए बी सी डी टाईमर 4 पैंसिल टाईमर 3 इलैक्ट्रानिक डिटोनेटर 4 साधारण डिटोनेटर 6 एनजाईजर बैटरी एक-30 बोर की पिस्तौल 38 जीवित कारतूस 2 प्री-फैब्रीकेटिड आई ई डी	–	–	आई एस आई एजेन्ट	पाक प्रशिक्षित	पाक/ अफगान राष्ट्रिक
9.	241 दि. 14.8.2000 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121-क, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4/5 के अधीन पुलिस स्टेशन, पार्लियामैंट स्ट्रीट, दिल्ली	एक महिला समेत के जेड एफ के नेपाल मॉडयूल के तीन उग्रवादी, रकाबगंज गुरुद्वारा, दिल्ली और होशियारपुर, पंजाब से अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए	1. लखबीर सिंह उर्फ बाबा सुपुत्र: बचितर सिंह निवासी: वार्ड सं. 2, सिंफेड कैंप, पी.एस. मूरा साहिब, जम्मू (14.8.2000 को गिरफ्तार किया गया) 2. मनप्रीत कौर उर्फ गुरुप्रीत कौर उर्फ मान बहनजी पत्नी जगदीश सिंह निवासी: सिंबल मोर, सिंबल जम्मू। वर्तमान में निवासी बीरगंज, सिरीपूड़ा, नेपाल	–	–	चीनी मिट्टी के एक बर्तन में 2.8 किलो उच्च शक्ति वाला विस्फोटक बम 2 पैंसिल टाईमर 4.20 किलो आरडीएक्स 2 ए बी सी डी टाईमर 5 इलैक्ट्रिक डिटेनेटर	15,800 रु. के जाली भारतीय मुद्रा कुछ पासपोर्ट	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(14.8.2000 को गिरफ्तार किया गया) 3. सुरजीत सिंह सुपुत्र: धर्म सिंह निवासी: गांव भुगनी पी एस महितिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब (23.8.2000 को गिरफ्तार किया गया)								
10.	186 दि. 4.10.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 3/4/5 पी एस जामा मस्जिद दिल्ली	अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रशिक्षित एच यू एम का डिस्ट्रिक्ट कमांडर सुभाष पार्क, जामा मस्जिद के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया	1. लतीफ मोहम्मद भट्ट उर्फ बिलाल अशरफ सुपुत्र: कमल भट्ट निवासी: गांव गंडबल, पोस्ट बटवारा पी एस सदर जिला, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	–	हिजबुल मुजाहिदीन	5.4 किलोग्राम आरडीएक्स	–	–	–	जी हां	–
11.	510 दि. 9.10.2000 विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 4/5, पी एस दरियागंज दिल्ली	हवाला धन और एक आई ई डी ले जा रहा एक उग्रवादी दरियागंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया	1. अली मोहम्मद भट्ट सुपुत्र: गुलाम मोहम्मद भट्ट निवासी: हदरपुर, तहसील और जिला बडगांव, जम्मू और कश्मीर	–	तहरीक-उल-मुजाहिदीन	3 किलो आई ई डी टाईमर पेंसिल	.315 बोर के 8 कारतूस	10 लाख रु. नकद	–	–	–
12.	866 दि. 28.10.2000 भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/ 307/21/121-क/34, विस्फोटक पदार्थ अधि. की धारा 3/4/5, शस्त्र अधि. की धारा 27 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन हौज खास.	8 पाकिस्तानी आई एस आई एजेंट जो कि दिल्ली में विस्फोटक करने के इरादा रखते थे अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में तीन विम्फोट के मामले भी इनकी गिरफ्तारी	1. कमल उर्फ बिल्ला सुपुत्र: सादक अली निवासी: गांव भसीन जल्लो मोर, पुलिस स्टेशन बाटा पुर, जिला लाहौर, पाकिस्तान 2. रियाज उर्फ असलम सुपुत्र: दीन मोहम्मद	–	–	15 किलो आर डी एक्स (3 जिंदा बम) डिटोनेटर टाइमर पेंसिल	2 अंग्रेजी रिवाल्वर 6 राऊंड 4 चले हुए राऊंड	50 किलो हेरोइन प्रेशर कलैम्पस	आई एस आई	–	पाक राष्ट्रिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	नई दिल्ली	के साथ हल कर लिए गए हैं।	निवासी: गांव भसीन जाल्लो मोर, पुलिस स्टेशन बाटा पुर जिला लाहौर, पाकिस्तान 3. शाहबाज उर्फ श्रीपाल सुपुत्र: शरीफ अहमद निवासी: गांव चाक मुसदी पुलिस स्टेशन शानपीर मोर, जिला सयालकोट, पाकिस्तान 4. मोहम्मद जमील सुपुत्र: मोहम्मद अमीन निवासी: पुलिस स्टेशन बाटापुर जिला लाहौर, पाकिस्तान 5. शफाकत अली सुपुत्र: मोहम्मद अनवर निवासी: नवा पिंड बल द्वारा पुलिस स्टेशन बाटापुर, जिला लाहौर, पाकिस्तान 6. अब्दुल रज्जाक सुपुत्र: रुस्तम अली निवासी: गांव मंगेरा सराय पुलिस स्टेशन लेसर कलां, जिला नारौवल, पाकिस्तान 7. अख्तीर निवासी: पाकिस्तान 8. असलम निवासी: पाकिस्तान									

ग्रामीण मूलभूत ढांचे का विकास

358. **श्री मोइनुल हसन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण मूलभूत ढांचे के विकास के प्रयोजनार्थ पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाने से एकत्रित संसाधन आबंटित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि इस संबंध में जुटाई गई कुल धनराशि का आधा होगी; और

(घ) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस प्रकार के संसाधनों का वितरण कितना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) केन्द्रीय सड़क निधि के पुनर्गठन को वैधानिकता प्रदान करने के लिए 1 नवम्बर, 2000 को जारी अध्यादेश के कारण हाईस्पीड डीजल तेल के उपकर का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। हाईस्पीड डीजल तेल के उपकर के शेष 50 प्रतिशत और पेट्रोल पर प्राप्त समस्त उपकर का आबंटन निम्नानुसार किया जाएगा–

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए 57.5%

(ii) पुलों के नीचे/ऊपर सड़क के निर्माण और बिना कर्मचारी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 12.5%

(iii) राज्य सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए शेष 30%

2. वर्ष 2000-2001 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल के उपकर में से 5800 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2500 करोड़ रु. ग्रामीण सड़कों के लिए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की आधारभूत संरचना

359. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
डा० बलिराम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालयों को आवश्यक आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) कितने केन्द्रीय विद्यालयों को उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन विद्यालयों को कब तक समुचित भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) देश के 854 केन्द्रीय विद्यालयों में से 147 केन्द्रीय विद्यालय परियोजना सेक्टर विद्यालय हैं जिनमें से 130 विद्यालय स्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। सिविल एवं रक्षा सेक्टर में बाकी 707 विद्यालयों में से 430 विद्यालय स्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। 79 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है तथा 73 विद्यालयों के लिए प्रस्ताव योजना स्तर पर हैं। 125 विद्यालयों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भूमि अभी उपलब्ध कराई जानी है।

विवरण

स्कूल भवनों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	परियोजना स्कूल	शेष	भवन सहित	निर्माणाधीन	योजना के अन्तर्गत	भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	43	7	36	27	4	1	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	1	8	4	1	1	2
3.	असम	43	16	27	11	3	10	3
4.	बिहार	52	16	36	19	2	4	11
5.	चंडीगढ़	5	–	5	5	–	–	–
6.	दिल्ली	37	3	34	22	3	4	5
7.	गोवा	5	–	5	4	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	गुजरात	41	12	29	19	7	1	2
9.	हरियाणा	25	1	24	14	5	—	5
10.	हिमाचल प्रदेश	19	3	16	4	—	4	8
11.	जम्मू व कश्मीर	25	3	22	6	3	2	11
12.	कर्नाटक	32	7	25	15	1	4	5
13.	केरल	27	3	24	18	3	1	2
14.	मध्य प्रदेश	86	19	67	40	11	9	7
15.	महाराष्ट्र	52	5	47	41	1	1	4
16.	मणिपुर	5	1	4	1	1	1	1
17.	मेघालय	7	1	6	3	1	1	1
18.	मिजोरम	1	—	1	—	—	—	1
19.	नागालैंड	6	0	6	1	—	1	4
20.	उड़ीसा	30	7	23	9	7	4	3
21.	पांडिचेरी	2	1	1	—	—	1	—
22.	पंजाब	40	2	38	22	3	4	9
23.	राजस्थान	52	4	48	29	5	6	8
24.	सिक्किम	1	—	1	1	—	—	—
25.	तमिलनाडु	29	5	24	19	1	2	2
26.	त्रिपुरा	5	1	4	1	—	—	3
27.	उत्तर प्रदेश	20	22	98	63	12	6	17
28.	पश्चिम बंगाल	49	7	42	28	4	4	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	—	3	2	1	—	—
30.	नेपाल, काठमांडू	1	—	1	1	—	—	—
31.	मास्को	1	—	1	1	—	—	—
32.	दादरा व नगर हवेली	1	—	1	1	—	—	—
	कुल	854	147	707	430	79	73	125

[हिन्दी]

'सेल' के अंतर्गत अनुषंगी कम्पनियों को अलग करना

360. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण घाटे पर चल रही अपनी इकाइयों को अलग करने से पूर्व पृथक् अनुषंगी कम्पनियां स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई पैनल तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त पैनल सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा; और

(घ) सेल की दूसरी इकाइयों को घाटे से बचाने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। तथापि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने अपने पुनर्गठन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संयुक्त उद्यमों/कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिए कुछ इकाइयों को अभिज्ञात किया है।

(ख) और (ग) इस प्रयोजनार्थ कोई पैनल नहीं बनाया गया है।

(घ) सेल द्वारा अपनी इकाइयों को हानि से बचाने के लिए उठाए गए कदमों में वित्तीय पुनर्गठन, संगठन के आकार को उपयुक्त बनाना, प्रचालन लागत में कमी लाना, बाजार-नीति में परिवर्तन करना और पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता पुनः निर्धारित करना शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिए समझौता

361. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड लि. और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत प्लांटों को कोयले की आपूर्ति के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस समझौते का अनुमोदन किया है;

(घ) क्या कोयले के वर्तमान मूल्य और समझौते में उल्लिखित मूल्य के बीच काफी अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) ने एमएसईबी के विद्यमान विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु दिनांक 8.2.1999 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार दिनांक 1.4.99 से तीन वर्षों के लिए लागू होगा। इस करार के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(ग) बाद में वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी), ने दो नई खान खान परियोजनाओं यथा आदसा भूमिगत खान, तथा कोलगांव ओपन कास्ट खान से कोयले की आपूर्ति हेतु 19.10.2000 को दो अलग-अलग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयला कंपनी ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने इन करारों को अनुमोदन दे दिया है।

(घ) और (ङ) अदासा भूमिगत खान के मामले में दिसम्बर, 1998 में कोयले की आधार कीमत इसी ग्रेड के कोयले की 883 रु. प्रति टन की वर्तमान कीमत की तुलना में 1110 रु. प्रति टन है। समान ग्रेड के कोयले की 685 रु. प्रति टन वर्तमान कीमत के मुकाबले कोलगांव ओपनकास्ट खान से कोयले की आधार कीमत रु. 800.80 प्रतिटन है।

इन भावी खानों से प्राप्त कोयले की कीमत अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण कठिन खनन स्थितियां हैं तथा निवेश पर न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित करना है। आशा की जाती है कि एमएसईबी के लिए दूरवर्ती कोलफील्डों से कोयले के परिवहन और आयात किए जाने की तुलना में यह कीमत प्रतिस्पर्धी होगी।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र में संकट

362. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय इस्पात संयंत्र गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के संकट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्र मुख्यतः इस्पात की घरेलू बाजार में मंदी के कारण लाभ में कमी, आयात से अधिक प्रतिस्पर्धा, उच्च ब्याज दर तथा इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पूंजीकरण के कारण मूल्य ह्रास लागत के परिणामस्वरूप गत कुछ वर्षों से घाटे में चल रहे हैं।

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित योजना इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता तथा लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयनाधीन है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) के लिए विनिवेश आयोग ने इसकी शेष साम्या की 51% से अनधिक साम्या को नीतिगत क्रेता को विनिवेश करने के साथ-साथ 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की संपूर्ण संचित हानि को बट्टे-खाते डालने की सिफारिश की है। विनिवेश आयोग की सिफारिश पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

क्रिकेट खिलाड़ियों के अपराध जगत से संबंध

363. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री रामशकल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अन्तर्राष्ट्रीय अपराध जगत के सरगनाओं के साथ संबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) मैच फिक्सिंग में कितने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सरगना लिप्त हैं; और

(घ) उन क्रिकेट खिलाड़ियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमा पर बाड़ लगाना

364. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा पर बाड़ लगाने हेतु किन-किन एजेंसियों से सामान/उपकरण की खरीद की गई है; और

(ख) इन एजेंसियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) और (ख) बाड़ लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री आदि की खरीद के लिए कोई निश्चित एजेन्सियां नहीं हैं। इन सामग्रियों की खरीद खुली निविदा प्रणाली डी जी एस एण्ड डी रेट कन्ट्रेक्ट के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

दंड कानून में परिवर्तन

365. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने जमानती और गैर-संज्ञेय अपराधों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के अधिकारों को कम करने हेतु दंड कानून में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं, जिनका पुलिस द्वारा, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय पालन किया जाना है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि दण्ड विधि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, अत: भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 154वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके की जा रही है।

विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट के अध्याय IV में गिरफ्तारी कानून से संबंधित सिफारिशें।

1. विधि आयोग ने संहिता की धारा 41 में निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ने की सिफारिश की है--

41(3)-दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी को इस बात से पर्याप्त रूप से सन्तुष्ट होना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक है और उप-धारा (1) के प्रत्येक खंड में अन्तर्निहित मामलों के संबंध में इस प्रकार की सन्तुष्टि की अवश्य रिकार्ड करना चाहिए।

2. विधि आयोग ने संहित में निम्नलिखित के अनुसार धारा 41क को जोड़ने की सिफारिश की है--

41क(1)-पुलिस अधिकारी को यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि संबंधित व्यक्ति की तुरन्त गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो उस व्यक्ति को निर्धारित समय और स्थान पर आगे जांच-पड़ताल के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए और यह उस व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करें।

(2) यदि वह व्यक्ति नोटिस के शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा।

3. विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की उप-धारा (1) के उपबन्ध में यह जोड़ने का सुझाव दिया है कि यह व्यवस्था करने के लिए कि यदि किसी मामले में महिला को गिरफ्तार किया जाना है, तो जब तक परिस्थितियां विपरीत न हों, जुबानी सूचना पर उसके हिरासत के लिए प्रस्तुत होने पर उसे गिरफ्तार मान लिया जाय और जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित न हों या जब तक महिला को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी महिला न हो, महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी उसका वास्तव में स्पर्श नहीं करेगा।

इस्पात का उत्पादन

366. श्री छेलखोमांग सैकिप : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में हुई इस वृद्धि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योगों की निगरानी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में हुआ परिसज्जित इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है–

(मात्रा : दस लाख टन)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1997-98	8.54	14.83	23.37
	(0.11%)	(4.52%)	(2.8%)
1998-99	7.64	16.16	23.82
	(–10.5%)	(8.9%)	(1.9%)
1999-2000	8.52	18.19	26.71
	(11.5%)	(12.5%)	(12.1%)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं।

(ग) इस्पात मंत्रालय निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के निष्पादन का प्रबोधन नहीं करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा के लिए सहायता

367. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों से वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार अथवा शैक्षणिक संस्थानों से अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल योजनाएं

368. **डा० मन्दा जगन्नाथ** :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेयजल परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में इन परियोजनाओं के तहत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा मध्य प्रदेश की लालपुर और जबलपुर नर्मदा जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अब तक आबंटित/जारी/अभी जारी की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

369. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित आई.एस.आई. द्वारा कराए गए धर्म परिवर्तन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आई.एस.आई. इन लोगों का उपयोग अवांछित कार्यों के लिए कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० द्वारा जोनल/संपर्क कार्यालय बन्द करना

370. **श्री महबूब जोहदी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि. के जोनल कार्यालयों और इसकी सहायक कंपनियों के संपर्क कार्यालयों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दानकुनी कोल कम्प्लैक्स को बंद करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) कोल इंडिया लि. (कोइंलि) के जोनल कार्यालय और कोइंलि की अनुषंगी कंपनियों के संपर्क कार्यालय को खोलने अथवा बंद करने का निर्णय कोयला कंपनियां करती हैं। कोइंलि द्वारा जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, कोइंलि के जोनल कार्यालय अथवा अनुषंगी कंपनियों के जोनल कार्यालय को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस मामले में भी निर्णय कोइंलि द्वारा लिया जाएगा।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, नागालैंड द्वारा शस्त्रों की खरीद

371. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, नागालैंड (एन.एस.सी.एन.) चीन और दूसरे देशों से परिष्कृत शस्त्रों/युद्ध-सामग्री की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार के साथ वर्तमान युद्ध विराम के बावजूद, एन.एस.सी.एन. (आई./एम.) विदेशों से गुप्त लेन-देन के जरिए हथियार प्राप्त करने और उन्हें देश में लाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है।

(ग) सुरक्षा बलों को, भारतीय क्षेत्र में गुप्त रूप से लाये गए हथियारों की किसी भी गैर-कानूनी खेप को पकड़ने के लिए सावधान कर दिया गया है।

नगरपालिकाओं का वित्तपोषण

372. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरपालिकाओं को कम ब्याज पर ऋण और अन्य सहायता के माध्यम से शापिंग काम्प्लेक्स और आमदनी करने वाली इमारतों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1999-2000 के दौरान इस संबंध में कोई सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नगरपालिका-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का आगामी वर्ष में इस सहायता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आई डी एस एम टी) के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें विपणन परिसरों (शापिंग काम्प्लेक्स) का निर्माण तथा अन्य आय-अर्जक स्कीमें शामिल हैं। छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं–

(i) 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बे इस स्कीम में शामिल होने के पात्र हैं।

(ii) यह केवल उन कस्बों पर लागू हैं, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं और चुने हुए निकाय कार्यरत हैं।

(iii) वित्तपोषण के घटकों में वे निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनकी शहर व्यापी महत्ता है, यथा–

- मास्टर प्लान सड़क सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, जिसमें रिंग रोड, मुख्य मार्ग, बाईपास लिंक रोड तथा छोटे पुल शामिल हैं।
- स्थल और सेवाएं
- बस/ट्रक टर्मिनलों का विकास
- मास्टर प्लान नालों का निर्माण/विस्तार जिसमें बरसाती पानी के नाले शामिल हैं।
- कचरा प्रबंधन

– मार्केट परिसरों/विपणन (शापिंग) केन्द्रों का विकास

– पर्यटन सुविधाओं का प्रावधान

– शहर/कस्बा पार्कों का विकास

– मास्टर प्लान सड़कों के लिए पथ प्रकाश

– बूचड़खाने

– उद्यानों, खेल के मैदानों, मंडपों, समूल्य उपयोग शौचालयों जैसी प्रमुख जन सुविधाएं

– साईकल/रिक्शा स्टैंड

– यातायात सुधार और प्रबंधन स्कीमें

– पहाड़ी कस्बों में प्रतिधारण दीवारों (रिटेनिंग वाल) का निर्माण और ढाल संतुलन (स्लोप स्टेबिलिटी) के उपाय।

– विशेषकर गरीबतर वर्गों के लिए सामाजिक सुविधाएं

(v) वित्तपोषण कस्बों के आकार पर निर्भर करेगा। स्कीम की वित्त व्यवस्था पद्धति इस प्रकार है–

कस्बे की श्रेणी (आबादी)	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (अनुदान) अधिकतम	राज्य अंश (अनुदान)	हडको/वित्तीय संस्था ऋण/ अन्य स्रोत
क (>20000)	100	48	32	20 (20%)
ख (20000-50000)	200	90	60	50 (25%)
ग (50000-1 लाख)	350	150	100	100 (29%)
घ (1-3 लाख)	550	210	140	200 (36%)
ङ (3-5 लाख)	750	270	180	300 (40%)

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान 18 कस्बों को 552.79 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिसमें वाणिज्यिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता, लागत वसूली तथा गैर-प्रतिलाभकारी स्कीमें शामिल हैं। आईडीएसएमटी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय शहरी अवस्थापना सहायता स्कीम (सी यू आई एस एस) के अन्तर्गत 6 कस्बों के लिए 9.97 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि भी जारी की गई है। कस्बा-वार जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ङ) और (च) किसी राज्य को केन्द्रीय सहातया जारी करना, राज्य में स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में जारी धन के उपयोग की प्रगति सहित, देश की तुलना में राज्य के छोटे तथा मझौले कस्बों में रह रही शहरी आबादी का अनुपात, राज्य अंश की उपलब्धता, संस्थायी वित्त जुटाने आदि पर निर्भर करता है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के लिए 1999-2000 के दौरान आई डी एस एम टी तथा सी यू आई एस एस के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता	
		सीयूआईएसएस	आईडीएसएमटी
1.	चित्तूर	–	66.00
2.	तिरुपति	–	52.00
3.	नेल्लौर	–	50.00
4.	गडवाल	–	18.00
5.	भोगीर	–	26.00
6.	इलरू	–	53.00
7.	अडोनी	–	4.77
8.	करीम नगर	1.56	–
9.	मचेरला	0.51	–
10.	नारायनपेट	–	24.00
11.	जगतियाल	–	37.00
12.	चिल कालुरिपेट	–	26.00
13.	अमालापरम	–	24.50
14.	सांगारेड्डी	–	26.50
15.	गुडूर	–	2.59
16.	बोधन	–	30.43
17.	गजुवाका	2.20	30.00
18.	रामागुंडम	2.20	30.00
19.	महबूबनगर	2.20	30.00
20.	मंडापेटा	1.30	22.00
	कुल	9.97	552.79

भूमंडलीकरण की चुनौतियां

373. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.आई.आर. ने भूमंडलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 सूत्री रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.एस.आई.आर. द्वारा की गई पहल के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि सी.एस.आई.आर. ने वाणिज्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कोई अनुसंधान प्रस्तुत नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सीएसआईआर का विचार संस्थान के कार्य में गिरावट को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सात सूत्री रणनीति तैयार की है। सीएसआईआर द्वारा तैयार इन सात सूत्रों का ब्यौरा निम्नवत् है–

(i) प्रौद्योगिकी पर आधारित वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय उद्योग हेतु पहल की अगुवाई करना;

(ii) भारत की महत्वपूर्ण सक्षमताओं और परम्परागत निधियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करना;

(iii) रोजगार सृजन व इक्विटी के साथ संगतता रखते हुए भारतीय उद्योग की भागीदारी करना ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्द्धात्मिक बना रहे;

(iv) हरित प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना;

(v) अब तक कम उपयोगी माने जाने वाले संसाधनों अथवा अपशिष्टों को उपयोग में लाना और उनसे धन कमाना;

(vi) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के लिए नए प्रतिमान स्थापित करना; और

(vii) गुणवत्ता और विनियामक अनुपालन तथा आश्वासन के लिए 'प्राथमिक मानदंड' उपलब्ध कराना।

(ग) भारतीय उद्योग पर आर्थिक उदारीकरण सुधारों का मूल्यांकन करने और भारत के विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सम्मिलित होने के भावी प्रभाव के कारण पहल की गई।

(घ) सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएं वाणिज्यिक रूप से लाभकारी अनुसंधान व विकास कार्य में रत हैं। वर्ष 1999-2000 में सीएसआईआर की जानकारी के आधार पर अनुमानत: 4400 करोड़ रुपये का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन हुआ है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

'कोल मिक्सिंग प्लांट' की स्थापना

374. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के समुद्री तट पर एक 'कोल मिक्सिंग प्लांट' की स्थापना का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा के कोयले को आयातित इंडोनेशिया के कोयले के साथ मिलाने हेतु तमिलनाडु ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य हेतु प्रतिवर्ष कितने कोयले का आयात किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां। फिलहाल महानदी कोलफील्ड्स लि., चेन्नई पत्तन को लगभग 6.5 मिलियन टन कोयला भेज रही है। 34% राख से कम कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए न्यू एनोरे सैटलाइट पोर्ट में मिश्रण संबंधी सुविधा पर विचार किया गया है। स्रोत तथा मात्रा के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उनका निर्धारण तकनीकी पैरामीटरों द्वारा किया जाएगा।

(ग) कोयले के आयात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि प्रस्ताव पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

शहरों की पुनर्संरचना एवं उनका पुनर्रूपांकण

375. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शहरों की पुनर्संरचना एवं उनका पुनर्रूपांकण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने कहां तक सहमति जताई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने देश में शहरों की पुनर्संरचना और उनके पुनर्रूपांकण को कार्यान्वित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आवासीय और स्लम को हटाने की विद्यमान स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्यों हेतु कोई फार्मूला तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी विकास योजना प्रारूपण

एक कार्यान्वयन के बारे में इस मंत्रालय के लिए किए गए एक अध्ययन के आधार पर इंस्टीट्यूट आफ टाऊन प्लानर्स, इंडिया द्वारा तैयार दिशा-निर्देश राज्य सरकारों के अपनाने/संदर्भ के लिए परिचालित कर दिए गए हैं। इस अध्ययन में एक प्रभावी योजना प्रणाली का सुझाव दिया गया है जिसमें वृहत योजना (20-25 वर्ष) विकास योजना (5 वर्ष) और वार्षिक योजना सहित परस्पर संयुत योजना पैकेज का समावेश है।

(ग) और (घ) शहरों के पुनर्निर्माण और पुनर्विन्यास के लिए कोई विश्व बैंक सहायता अनुमोदित नहीं हुई है।

(ङ) और (च) राज्यों में आवास स्टॉक मुहैया कराने एवं जीर्ण-शीर्ण आवास स्टॉक के उद्धार के लिए आवास एवं शहरी विकास एजेंसियों, शहर सुधार निकायों, स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार द्वारा नामजद अन्य एजेंसियों के लिए ऋण-सहायता उपलब्ध है।

अगस्त, 1996 में आरंभ स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्लमों के सुधार के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम में आश्रय उन्नयन सामुदायिक अधिकारिता, कूड़ा-कचरा निपटान के साथ-साथ स्थायी सहायता व्यवस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक सेक्टर-कार्यक्रमों में सुधार एवं प्रचार-प्रसार की परिकल्पना की गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए योजना आयोग ने परियोजना के लिए 365.81 करोड़ रुपये रखे हैं, जिसमें से 90.70 करोड़ रुपये की राशि सितम्बर 2000 के अंत तक जारी की जा चुकी है।

सेल के आक्सीजन प्लांट की बिक्री

376. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल ने अपने आक्सीजन संयंत्र की बिक्री से लगभग एक हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल के इस गैरकोर कारोबार की बिक्री से प्राप्त निधियों का उपयोग इसके ऋण को चुकाने के लिए किया जा रहा है;

(ग) सेल पर कुल कितना ऋण है और वार्षिक ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(घ) क्या कुछ और परिचालनों के विनिवेश की सेल की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के आक्सीजन संयंत्र-II के स्वत्व-हरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसके परिणामस्वरूप निधियों की वसूली अभी तक नहीं हुई है।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सेल का कुल ऋण 15,082 करोड़ रुपये है और वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल ब्याज 1929 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अनुमोदित वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखते हुए निम्नलिखित परिसंपत्तियों को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करना शामिल है--

(1) सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सेलम

(2) मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर

(3) विश्वेश्वरय्या आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती

(4) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (इस्को)

(5) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के निजी विद्युत संयंत्र

(6) राउरकेला इस्पात संयंत्र का उर्वरक संयंत्र।

जेल में आतंकवादी

377. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्र-विरोधी तत्वों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पृथक न्यायालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्तमान न्यायालय, राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधित मामलों पर पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे मामलों के लिए अलग से न्यायालय स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं की गई है।

अकादमी स्टाफ कालेज

378. श्री कोलूर वसवनागौड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या और पुनर्प्रबोधन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितने अकदामी स्टाफ कालेज स्थापित किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आज तक इन कालेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और प्रत्येक वर्ष कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

शैक्षिक स्टाफ कालेजों के नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
2. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति
5. जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद

असम

6. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

बिहार

7. बी.बी.ए. बिहार विश्वविद्यालय, बिहार
8. पटना विश्वविद्यालय, पटना
9. रांची विश्वविद्यालय, रांची

दिल्ली

10. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
11. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
12. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

गोवा

13. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

गुजरात

14. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
15. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट

हरियाणा

16. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

17. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

जम्मू और कश्मीर

18. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

कर्नाटक

19. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
20. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
21. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

केरल

22. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट
23. केरल विश्वविद्यालय, तिरुवन्तपुरम

मध्य प्रदेश

24. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
25. डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
26. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
27. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्तिनगर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

28. डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
29. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
30. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
31. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे

उड़ीसा

32. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
33. संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर

पांडिचेरी

34. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी

पंजाब

35. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
36. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

राजस्थान

37. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
38. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

39. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

तमिलनाडु

40. भारतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

41. भारती दासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली

42. मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई

43. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै

उत्तर प्रदेश

44. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

45. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

46. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

47. डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

48. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

पश्चिम बंगाल

49. वर्दवान विश्वविद्यालय, वर्दवान

50. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

51. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

[हिन्दी]

बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना

379. **श्री राजो सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार की ओर से, राज्य में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उपाधि पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाना

380. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में कुछेक विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत उपाधि के परवर्ती विनिर्देशन के बिना नये पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं या आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चूककर्ता विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे सभी उपाधि पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए और उन्हें अपने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि "वे किसी नए पाठ्यक्रम को आरम्भ करने से पहले डिग्रियों के विनिर्देशन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिग्री के विनिर्देशन के पश्चात् ही, इसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाएगा"। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अक्टूबर, 2000 में एक प्रेस रिलीज जारी करके भी यह सूचना आम जनता को सम्प्रेषित कर दी।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन द्वारा अनुदानों का उपयोग

381. **डा० जसवंतसिंह यादव** :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री जय प्रकाश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त हुए अनुदानों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को प्राप्त विदेशी अंशदान के उपयोग को विनियमित करने हेतु कोई नया विधान बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ग) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्टें, जब कभी प्राप्त होती हैं, तो उनकी जांच-पड़ताल की जाती है और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में, संगठन को किसी विदेशी अभिदाय को प्राप्त करने से रोका जाना, उसके बैंक खाते को फ्रीज किया जाना और न्यायालय में अभियोजन चलाना शामिल है।

(घ) और (ङ) सरकार उस समय स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इस्तेमाल को शासित करने वाले कानून में अपेक्षित परिवर्तनों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के जिलों में एकीकृत बाल विकास योजनाओं का विस्तार

382. **श्री अनन्त नायक :**
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल में बनाये गये सभी नये जिलों को एकीकृत बाल विकास योजना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उड़ीसा के प्रत्येक जिले को इस योजना में कब तक शामिल कर लिये जाने की संभावना है; और

(ग) उड़ीसा और अन्य राज्यों में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक प्राप्त की गयी विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में 326 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में से भारत सरकार द्वारा 308 परियोजनाओं को शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। शेष 18 परियोजनाएं वर्ष 2001-2002 में शुरू की जाएंगी।

(ग) 1990-97 के दौरान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में आई.सी.डी.एस. स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आई.सी.डी.एस.-I परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता उपलब्ध थी। आई.सी.डी.एस.-II परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और बिहार राज्य तथा आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध है।

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में विश्व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को 238.39 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

[हिन्दी]

जलापूर्ति की लंबित परियोजनाएं

383. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कई जलापूर्ति योजनाएं मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और वे कब से लम्बित पड़ी हैं;

(घ) परियोजना/प्रस्तावों की अनुमानित लागत क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) से (च) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। ग्रामीण बसावटों को पेयजल की आपूर्ति की योजना राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान कर राज्यों की सहायता करती है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की अलग-अलग योजना बनाने, उसे मंजूर करने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं। इसलिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की अलग-अलग योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

आदर्श जैवग्रामों की स्थापना

384. **श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केन्द्र भावनगर की स्थापना की किसी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है;

(घ) क्या सरकार का देश में ऐसे और ग्रामों की स्थापना का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) जी, हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने गुजरात में पोरबन्दर के निकट मोचा गांव में एक आदर्श जैवग्राम की स्थापना संबंधी परियोजना को मंजूरी दी है। केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केन्द्र, भावनगर इसकी प्रमुख कार्यान्वयन एजेन्सी है।

(ख) और (ग) परिकल्पित लक्ष्यों के अनुसार परियोजना की प्रगति और कार्यनिष्पादन संतोषजनक है; जैवप्रौद्योगिकीय साधनों के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीणों को पेयजल तथा अलवणीय जल उपलब्ध कराने के लिए रिवर्स ओसमोसिस संयंत्र की स्थापना की गई है। पंचायत की बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर खेती के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपकों की नर्सरी स्थापित की गई है।

(घ) और (ङ) जैवग्राम परियोजनाएं मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में विकसित की जा रही हैं। इस संबंध में बायोटेक्नोलॉजी विभाग उक्त राज्यों को तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है।

(च) चालू वर्ष में परियोजना के लिए 8.08 लाख रुपये का परिव्यय उपलब्ध है।

गिरजाघरों में बम विस्फोट

385. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गिरजाघरों में हुए बम विस्फोटों की जांच करने का था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय एजेंसियों और गोवा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्य पुलिस बलों द्वारा की गई जांच-पड़ताल से निसन्देह यह साबित हो गया है कि मुस्लिम धार्मिक सम्प्रदाय के नाम से कम जाने जाने वाले 'दीनदार अंजूमन' नामक एक संगठन जिसका हैदराबाद में मुख्यालय है और जिसके मरदान (पाकिस्तान) के साथ संबंध हैं, इस वर्ष मई से जुलाई तक के दौरान कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गोवा में चर्च परिसरों में हुई बम विस्फोटों की घटनाओं में संलिप्त है। इस संबंध में दीनदार अंजूमन ग्रुप के 41 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निवारक उपाय किए गए हैं। ऐसे संगठनों की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार नजर रखी जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, कार्रवाई की जाती है।

उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति की पुनरीक्षा

386. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उर्वरक मूल्य नीति की पुनरीक्षा की गई है या किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार प्रो. सी.एच. हनुमन्थाराव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति और श्री के.पी. गीता कृष्णन की अध्यक्षता वाले व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यूरिया एककों के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम

387. श्रीमती हेमा गमांग : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में समेकित बाल विकास परियोजना क्रियान्वयन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में केयर इंडिया सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती माताओं को विश्व खाद्य संगठन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा विशेष पोषक आहार सही रूप से वितरित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी राज्यों में कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कारगर कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) वर्ष 2000-2001 से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पोषाहार घटक शुरू किया है। सभी राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 185 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं और वर्ष के लिए 375 करोड़ रुपये निर्मुक्त करने की योजना है।

(ii) राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे पूरक पोषाहार हेतु अपने संसाधनों से पर्याप्त प्रावधान करें।

(iii) आंगनवाड़ी केन्द्रों में दवा किट के लिए अधिक प्रावधान तथा स्कूल-पूर्व किट के नये घटक से सेवा में सुधार।

(iv) 2000 विकास खण्डों में किशोर लड़कियों के लिए एक नई शुरूआत।

(v) आई.ई.सी., मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, उपकरण आदि जैसे विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय मानकों में वृद्धि की गई है।

(vi) कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाया गया है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नीति

388. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नयी नीति के कार्यान्वयन के चलते चालू आर्थिक भूमंडलीकरण में एक मुख्य भागीदार के रूप में भारत प्रशिक्षित श्रमशक्ति के प्रमुख प्रदाता के रूप में उभरने के लिए पूर्णत: तत्पर है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) 1986 की वर्तमान शिक्षा नीति से यह नीति कितनी अलग होगी; और

(ङ) इस नयी नीति को कब तक तैयार कर दिये जाने और कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 में विशिष्ट विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है जिसका लक्ष्य अनेक कार्य क्षेत्रों में व्यावसायों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। सामान्यतया ये पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के बाद चलाए जाने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की समीक्षा के आधार पर सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने संशोधित पाठ्यचर्या ढांचे में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर पुन: बल दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि वर्तमान नीति जनशक्ति की बदलती आवश्यकता को भी पूरा कर सकेगी।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

389. **श्री के० येरननायडू** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रूस के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैज्ञानिक सहयोग पर किसी समझौते को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूसी राष्ट्रपति के अभी हाल ही के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार अन्य कितने संयुक्त उपक्रमों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्चो सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) जी, हां। भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच 2010 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम पर हस्ताक्षर अक्टूबर, 2000 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किए गए। इस समझौते में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों से संबंधित ग्रस्ट क्षेत्रों में सहयोग; विज्ञान के चुनिंदा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान; तथा उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के सरलीकरण की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) अब तक किसी विशिष्ट संयुक्त उपक्रम/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मदों की पहचान नहीं की गई है।

नागालैंड में शांति प्रक्रिया

390. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में कुछ समय पूर्व शुरू की गई शांति प्रक्रिया को हाल ही में धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्य की विभिन्न सरकारों ने एन.एस.सी.एन.

के साथ युद्ध विराम उनके क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो यह मांग किस आधार पर की गई है;

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने और बातचीत प्रक्रिया को पुन: शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(च) सरकार शांति बहाल करने के प्रति वचनबद्ध है और उसने उन सभी को संविधान के दायरे के अंतर्गत बातचीत के लिए आगे आने का निमन्त्रण दिया है, जो मैत्री के पथ से भटक गए हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती; सुरक्षा बलों के बीच उन्नत समन्वयन और आसूचना का आदान-प्रदान; राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता की मंजूरी; अधिक गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित करना और मुख्य विद्रोही ग्रुपों को 'विधि विरुद्ध संगठनों' के रूप में अधिसूचित करना शामिल है। स्थिति पर नजर भी रखी जाती है और समुचित कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है।

सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबड़

391. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन को विकसित करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की केन्द्र तथा राज्यों और विदेशी कम्पनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता से देश में सिंथेटिक फाइबर और यार्न के उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास तथा वैज्ञानिक विकास प्रयुक्त करने का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो हाल ही में राज्य-वार तथा स्थान-वार ऐसी प्रगति करने वाली तथा निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाबद्ध परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का तमिलनाडु में सिंथेटिक यार्न तथा फाइबर और सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन से संबंधित योजनाओं को वित्त पोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार देश में सिंथेटिक फाइबर तथा रबड़ के उत्पादन को विकसित करने का प्रयास करती है। आर्थिक विनियंत्रण शुरू होने के कारण, सरकार निजी उद्यमियों को स्टेट आफ आर्ट प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे प्रतियोगी मूल्य में उत्तम उत्पाद उपलब्ध हों तथा आने वाली प्रतियोगिता का सामना किया जा सके। परियोजना का स्थान विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे बाजार का आकार, कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत संरचना इत्यादि तथा सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रमोटरों द्वारा निर्णय लिया जाता है। किसी परियोजना के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहायता यदि आवश्यक हो, गुणावगुण (मेरिट) के आधार पर होगा।

(ङ) केन्द्र सरकार का तमिलनाडु में सिंथेटिक यार्न तथा फाइबर या सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन के लिए किसी योजना को वित्त पोषण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

एलॉय इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप

392. **श्री मोइनुल हसन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड आर.आई.एन.एल. और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा अमिश्र इस्पात-गालक स्क्रैप के लिए कितने शुल्क-मुक्त आयात लाइसेंसों का विक्रय किया गया;

(ख) क्या इन लाइसेंसों का विक्रय निविदाओं के जरिए किया गया था और इनकी कीमत बाजार कीमत के मुकाबले कम थी;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के इस्पात उत्पादक उपक्रमों को कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., (आर आई एन एल) और एम एस टी सी लि. ने 1998 से अब तक अमिश्र इस्पात गलन स्क्रैप के लिए निम्नलिखित मात्रा में शुल्क मुक्त आयात लाइसेंसों का विक्रम किया है जिनका मूल्य निम्नानुसार है–

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	1998	1999	2000
1.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)	3.29	–	–
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल)	69.569**	43.429	30.206**
3.	एम एस टी सी लि.	88.12*	24.14	–

*बिक्री किए गए 9 लाइसेंसों के लिए लाइसेंसों की निर्धारित शर्तों के अनुसार लाइसेंसों के अंतरितियों को गलन स्क्रैप के अतिरिक्त एल ए एम कोक, चूना पत्थर और कच्चे लोहे का आयात करने की अनुमति दी गई थी।

**विक्रय किए गए कतिपय लाइसेंसों के संबंध में अंतरिती केवल लाइसेंसों में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही अमिश्र इस्पात गलन स्क्रैप के अलावा कतिपय अन्य मदों का आयात कर सकते थे।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपर्युक्त लाइसेंसों का विक्रय सीमित निविदा, खुली निविदा और बातचीत के माध्यम से किया गया है और यथासंभव अधिकतम मूल्य प्राप्त किया गया।

(घ) और (ङ) सेल, आर आई एन एल और एम एस टी सी लि. द्वारा अग्रिम आयात लाइसेंसों की बिक्री की सितंबर, 1998 में इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के सेवा निवृत्त पूर्व सचिव द्वारा जांच की गई थी। समिति की रिपोर्ट की संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा और तत्पश्चात् मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच की गई है। की गई दोनों प्रकार की जांच के आधार पर आर आई एन एल 6 सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसमें शामिल पाए गए उन अधिकारियों के विरुद्ध यथासंभव कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मांगी गई है जो या तो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके हैं या उपक्रम को छोड़ गए हैं।

[हिन्दी]

पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स की स्थापना

393. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से तीन नए पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे काम्पलेक्सों की स्थापना में रुचि दिखाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का संयुक्त उद्यमों में किस सीमा तक शामिल होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) रसायन और पेट्रो रसायन इकाइयों के लिए बृहत (मेगा) रासायनिक औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। अभी तक किसी स्थान की पहचान नहीं की गई है।

(ग) भारत सरकार ने वृहत (मेगा) रासायनिक औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने के संबंध में समुद्रतटीय राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने इसमें रुचि दिखाई है।

(घ) हालांकि, ऐसी सम्पदाओं के विकास के लिए वित्तीय प्रणाली अभी तक तय नहीं हुई है, ऐसी सम्पदाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ईंधन नीति

394. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी ईंधन नीति को पुन: बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन के वाणिज्य दूतावास ने स्वच्छ कोयला परियोजना के माध्यम से लो-ऐश कोयले के उत्पादन को तीव्र करने हेतु सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० बणमुगम) : (क) जी, नहीं। कोयला के संबंध में ईंधन नीति के पुन: निर्धारण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ब्रिटिश ट्रेड मिशन ने सेमिनार और विचार-विमर्श, जो कि साफ कोयला प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु विपणन की संभावना से संबंधित है, का आयोजन किया था। ब्रिटिश कंपनियों द्वारा कोइंलि को साफ कोयला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की गई थी। इस पेशकश की वाणिज्यिक व्यवहार्यता कोइंलि के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

395. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री ए० वैंकटेश नायक :
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में गरीबी उपशमन के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रम नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त योजना के दौरान गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की विकास दर क्या थी और यह लक्ष्य से कितना कम रहा;

(ङ) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पायी गयी त्रुटियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या धन के दुरुपयोग अथवा उसे अन्य मदों में लगाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) स्वर्णजयंती ग्राम समृद्धि योजना (एस.जी.एस.वाई.), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) तथा इंदिरा आवास योजना प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में कार्यान्वित हैं।

(ख) से (घ) 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 अर्थात् नौवीं योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) से (छ) 1999 में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए देश के 12 जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया था। उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नोट की गई कमियां निम्नानुसार हैं–

1. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा कर्मचारियों तथा संसाधनों की कमी है।

2. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता, रिकार्डों का रख-रखाव तथा डाटाबेसों के रख-रखाव को सुधारने की आवश्यकता है।

3. व्यवहार्य परियोजनाओं जो लाभार्थियों अथवा गांव के लिए हो सकती हैं, के चयन के लिए व्यावसायिक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

4. विशेषतया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने उत्पादों को बाजार में बेचने में काफी दिक्कत होती है। यह बनाए जा रहे उत्पादों की खराब गुणता की वजह से है। ग्रामीण उद्यमियों के अनुकूल समुचित प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा गुणता को बरकरार रखने के महत्व के लिए लाभार्थियों के बीच जागरूकता सृजन करने की आवश्यकता है।

5. विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चयनित अधिकांश परियोजनाएं मुख्यतया परियोजना लागत को अवैज्ञानिक तरीके से निर्धारित करने की वजह से खराब हुई है।

(ज) से (ञ) निधियों के दुरुपयोग/विचलन का कोई भी विशेष मामला भारत सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

विवरण

1997-1998, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान जे.जी.एस.वाई., एस.जी.एस.वाई., ई.ए.एस. तथा आई.ए.वाई. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा की गई उपलब्धि

क्र.सं.	योजना का नाम	इकाइयां	1997-98		1998-99		1999-2000	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आई.आर.डी.पी./ एस.जी.एस.वाई.	लाभार्थियों की सं.	0.00	1706609.00	0.00	1664122.00	0.00	930176.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	जे.आर.वाई./ जे.जी.एस.वाई.	लाख श्रमदिनों की सं.	3867.00	3958.00	3966.57	3752.10	0.00	2678.73
3.	ई.ए.एस.	वही	0.00	4717.74	0.00	4165.31	4091.63	2782.32
4.	आई.ए.वाई.	निर्मित आवासों की सं.	718326.00	770936.00	987466.00	835407.00	1271619.00	934036.00

पंचायतों के चुनाव

396. **श्री रामदास आठवले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित कई राज्यों में अदालती मामलों के लंबित होने के कारण पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विधि मंत्रालय के परामर्श से इन अड़चनों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाया है अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पांडिचेरी और पंजाब में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी नहीं कराए गए हैं क्योंकि राज्य पंचायती राज अधिनियम को 1990 से निलंबित कर दिया गया है।

2. आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार को एक स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के चुनावों के स्थगन के लिए प्रख्यापित अध्यादेश को रद्द कर दिया था और राज्य सरकार को इन पंचायतों के चुनाव 30 जून, 2000 से पूर्व कराने के निर्देश दिए थे। ग्राम पंचायतों के चुनाव (जो अक्टूबर, 2000 में होने थे) नहीं कराए गए हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने (एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए) पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

3. असम के माननीय उच्च न्यायालय ने (एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए) राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के उस प्रतिवेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया जिसमें स्वायत्त परिषद क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। राज्य सरकार को अभी इस याचिका का निराकरण करना है। बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए क्योंकि बिहार, पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पटना के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की जिसने हाल ही के आदेश में स्पष्ट किया कि चुनावों के आयोजन पर कोई स्थगन नहीं है।

4. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत चुनाव पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में चेन्नई उच्च न्यायालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दायर स्पष्टीकरण याचिका के लंबित होने के कारण नहीं कराए गए।

5. पंजाब में मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के चुनाव इस बात को देखते हुए नहीं कराए गए हैं कि राज्य सरकार ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एस.एल.पी. दायर की है।

6. केन्द्रीय विधि मंत्रालय के परामर्श से न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाए गए हैं और पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यह मामला समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

397. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ/बिक्री हुई;

(ग) क्या पूरी उत्पादन क्षमता से उत्पादन नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में 1999-2000 के दौरान 2.656 एम.टी. द्रव इस्पात का उत्पादन हुआ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादों का वार्षिक उत्पादक/बिक्री निम्नानुसार रही–

इकाई : हजार टन

मद	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा	बिक्री	मात्रा	बिक्री	मात्रा	बिक्री
छड़ उत्पाद	440	381	381	439	474	463
तार छड़ें	745	665	579	653	700	663
एमएमएसएम उत्पाद (मीडियम मर्चेंट एंड स्ट्रक्चरल मिल प्रोडक्ट्स)	430	402	380	448	553	508
सेमीज	635	660	593	552	655	614

(ग) जी, हां।

(घ) पूरी उत्पादन क्षमता से उत्पादन नहीं होने के कारण निम्नानुसार हैं–

(1) आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) के संयंत्र के मौजूदा विन्यास से उत्पादन संबंधी समय अनुसूची तैयार करने में मुश्किलें आई हैं और संभार-तंत्र संबंधी समस्याएं हुई हैं।

(2) कनवर्टर शॉप और सतत् ढलाई विभाग के उत्पादकता स्तर का बेमेल होना।

(3) कनवर्टरों की प्रतिकूल ऊंचाई/व्यास अनुपात।

(4) क्षमताओं की योजना औसत ताप साइज कनवर्टरों के बजाय अधिकतम ताप कनवर्टरों सहित बनाई गई थी, जैसा कि अन्य इस्पात संयंत्रों में किया जाता है।

(5) इस्पात गलनशाला में स्वचालन का निम्न स्तर।

लिग्नाइट के स्रोत

398. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में लिग्नाइट के भंडारों का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में लिग्नाइट के कितने भंडार हैं;

(ग) क्या लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन हेतु प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में लिग्नाइट के दोहन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने.लि.का.) द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े के अनुसार 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार देश में कुल लिग्नाइट के भंडार लगभग 34,168 मिलियन टन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार अपनी प्रोन्नत योजना के अनुसार केवल लिग्नाइट अन्वेषण के लिए ही निधि प्रदान करती है।

कटक में मलशोधन परियोजना

399. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कटक में एक व्यापक मलशोधन परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। ओड़िसा सरकार ने भी सूचना दी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दीनदार अंजुमन पर प्रतिबंध

400. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दीनदार अंजुमन और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो गई है जो कि गिरजाघरों में हुए हाल ही के हमलों और बम विस्फोटों तथा आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) देश में साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट

401. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा कराये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के मामलों में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) किस राज्य में दुर्घटनाओं के कारण सर्वाधिक मृत्यु हुई हैं तथा इससे होने वाली मृत्यु का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं और आत्म-हत्याओं के मामलों में वृद्धि होने के कारणों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के मामलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। ब्यूरो दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के आंकड़े एकत्र, संकलित करता है और उसे अपने एक्सिडेन्टल डेथ्स एण्ड सूसाईडज इन इंडिया नामक वार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 1998 के लिए प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में दुर्घटना के कारण मौतों और आत्महत्याओं में 1997 की तुलना में 1998 में क्रमशः 10.5% और 9.3% की वृद्धि हुई है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

1997-1998 के दौरान दुर्घटना और आत्महत्या के कारण मौतों की संख्या
(राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दुर्घटना के कारण मौतों की संख्या		आत्महत्या के कारण मौतों की संख्या	
		1997	1998	1997	1998
1	2	3	4	5	6
	राज्य :				
1.	आन्ध्र प्रदेश	17964	17638	8507	9433
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	234	70	51
3.	असम	3289	2101	3018	2821
4.	बिहार	7001	10297	1342	1795
5.	गोवा	807	828	218	256
6.	गुजरात	15256	17652	3956	4533
7.	हरियाणा	4588	4253	1599	1605
8.	हिमाचल प्रदेश	1510	1377	317	244
9.	जम्मू व कश्मीर	2735	1654	98	107
10.	कर्नाटक	14220	13944	10225	10934
11.	केरल	6364	6677	8961	9306

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	26400	30618	7542	9428
13.	महाराष्ट्र	52260	58737	12636	13658
14.	मणिपुर	176	185	13	30
15.	मेघालय	162	116	73	72
16.	मिजोरम	60	78	30	88
17.	नागालैंड	69	52	56	10
18.	उड़ीसा	6384	6400	3216	3484
19.	पंजाब	3531	4169	607	809
20.	राजस्थान	13954	14946	3186	3292
21.	सिक्किम	175	159	62	87
22.	तमिलनाडु	19751	22189	9197	10982
23.	त्रिपुरा	207	220	693	676
24.	उत्तर प्रदेश	18569	22859	4359	4970
25.	पश्चिम बंगाल	11095	13633	14075	14253
	कुल (राज्य)	226717	251016	94056	102924
	संघ शासित क्षेत्र :				
26.	अं.नि.द्वि. समूह	134	185	138	135
27.	चण्डीगढ़	326	427	48	86
28.	दादरा व नगर हवेली	122	114	51	36
29.	दमन व दीव	63	77	9	19
30.	दिल्ली (सं.शा.क्षे.)	6032	6040	999	982
31.	लक्षदीप	2	2	0	1
32.	पांडिचेरी	507	548	528	530
	कुल (सं.शा.क्षे.)	7186	7393	1773	1789
	कुल (अखिल भारत)	233903	258409	95829	104713

स्रोत : एक्सिडेन्टेल डेथ्स एण्ड सूसाईडज इन इंडिया 1998 रिपोर्ट।

यूरिया परियोजनाएं

402. श्री गुमीपाटी रामैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंजूर की गई यूरिया परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार विदेशों में चालू परियोजनाओं में की गई वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में क्रियान्वयन हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी विदेश में यूरिया परियोजनाएं एवं उनकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है–

(i) सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के शर्त के साथ 969 मिलियन अमेरिकन डालर की अनुमानित लागत पूंजी लागत पर 16.52 लाख टन प्रति वर्ष (टीपीए) दानेदार यूरिया एवं 2.48 लाख टन प्रति वर्ष मर्चेन्ट ग्रेड अमोनिया के उत्पादन के लिए ओमान में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए ओमान इंडिया फर्टिलाइजर नामत: ओमान आयल कंपनी एसएओसी के साम्य में कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) एवं इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको) प्रत्येक द्वारा 80 मिलियन अमेरिकन डालर निवेश का अनुमोदन किया है।

(ii) मै. सदर्न पेट्रो केमिकल्स इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. (एसपीआईसी) 160 मिलियन अमेरिकन डालर के अनुमानित लागत 3.96 लाख मी. टन यूरिया के प्रति वर्ष उत्पादन के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई के निकट जेबल अली में एक संयुक्त उद्यम नामत: एसपीआईसी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. का क्रियान्वयन कर रही है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में एस पी आई सी की साम्य शेयर पूंजी 51% एवं विदेशी भागीदारों का 49% होगा। संयुक्त उद्यम कंपनी 28.9.1998 को निगमित की गई थी। 30.6.2000 को परियोजना की सम्पूर्ण प्रगति 57% सूचित की गई है।

(ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए सामान्यता किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। उद्यमी देश में कहीं भी पर्यावरणीय मंजूरी के साथ उर्वरक परियोजना लगाने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सहकारी समितियों को उनको पद्धत शक्तियों से ज्यादा पूंजी व्यय करने के पूर्व सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए मंजूर किए गए ऐसे प्रस्तावों का विवरण नीचे दिया गया है–

(i) 135.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1.48 लाख टन प्रति वर्ष (टीपीए) यूरिया के मौजूदा उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए पंजाब, नांगल में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) यूरिया विस्तार परियोजना का अनुमोदन सरकार द्वारा मई 2000 में अनुमोदित किया गया है। परियोजनाओं को 11.5.2001 तक प्रारम्भ किया जाना है। अक्टूबर 2000 के अन्त तक परियोजना पर कुल 121.38 करोड़ रुपये का व्यय आया है और इसने 93.6% की सम्पूर्ण वास्तविक प्रगति की है।

(ii) सरकार द्वारा अक्टूबर 1997 में 350 करोड़ की अनुमोदित लागत पर हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. के नामरूप संयंत्रों का पुनरुद्धार क्रियान्वयनाधीन है। पुनरुद्धार के पश्चात् संयंत्र की क्षमता 5.3 लाख टन यूरिया प्रति वर्ष की होगी। अक्टूबर 2000 तक के अन्त तक परियोजना पर कुल व्यय 40.47 करोड़ रुपये आया है और इसने 60.70 प्रतिशत की सम्पूर्ण वास्तविक उन्नति दर्ज की है।

[हिन्दी]

सी०एस०आर०एस०पी० कार्यक्रम के तहत शौचालयों का निर्माण

403. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले शौचालयों की प्रति इकाई कितनी लागत निर्धारित की गई है;

(ख) क्या भवन निर्माण की सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों को इन शौचालयों के निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इनकी शेयर लागत बढ़ाने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) पुनर्गठित केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सब्सिडी की पात्रता के लिए कम लागत वाले शौचालय (सुपर स्ट्रक्चर के बिना) के लिए निर्धारित इकाई लागत 625 रु. से 1000 रु. है।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, मेघालय आदि की राज्य सरकारों ने इस इकाई लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वित करने में अपनी कठिनाई जतलाई है और इसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(ङ) उचित विचार-विमर्श के बाद और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर इकाई लागत निर्धारित की गई थी। पुनर्गठित कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1999 से लागू हुआ है और इस समय इसकी समीक्षा करना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

सपरू हाउस के आई०सी०डब्ल्यू०ए० भवन को अधिकार में लिया जाना

404. **श्री अनन्त नायक :**
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सपरू हाउस, नई दिल्ली स्थिति विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के भवन को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सपरू हाउस के कार्यकरण में कई अनियमितताओं का पता चला था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(च) परिषद द्वारा अब तक कितनी धनराशि का अपवंचन किया गया है;

(छ) उक्त राशि की वसूली करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) भारतीय विश्व परिषद के कारगर प्रबंधन और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त संस्था के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ज) सरकार ने एक अध्यादेश–विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद अध्यादेश, 2000–प्रख्यापित किया है जिसके द्वारा विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। इस परिषद ने पूर्व परिषद को प्रतिस्थापित किया है। पूर्व परिषद उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। उपर्युक्त अध्यादेश के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं और मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

बिहार में नरसंहार

405. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले :**
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार शरीफ और राज्य में हाल के दंगों और नरसंहार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को रिपोर्ट देने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ कठोर निर्देश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार शरीफ शहर (नालन्दा जिला) और मुजाहिदापुर–ताहिरा गांवों (सिवान जिला) में क्रमशः विवादास्पद स्थान पर मूर्ति स्थापित करने और धार्नौती में कबीर मठ भूमि के नियंत्रण पर, अक्तूबर, 2000 के दौरान प्रमुख घटनाएं हुईं।

स्थिति को अब नियंत्रित कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यतया राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं। केन्द्र सरकार सूचना का आदान-प्रदान करती है और संबंधित राज्य सरकारों को चेतावनी सूचना/सलाह भेजती है ताकि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर, 1997 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक तनाव से ही निपटने के लिए एक विशिष्ट बल नामतः त्वरित कार्य बल तैनात किया गया। अपने पुलिस ढांचे में सुधार करने के लिए उन्हें सहायता भी दी जा रही है।

[अनुवाद]

स्वामित्व अधिकारों का हस्तांतरण

406. **श्री राममोहन गाड्डे :**
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजधानी में चारह बाजारों के स्वामित्व अधिकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाजारों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 12 मार्केटों के दुकानदारों को लीज-होल्ड आधार पर मालिकाना हक दिए जाने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि वे हस्तांतरण के दिन भूमि के 100 प्रतिशत प्रीमियम और दुकान के वर्तमान परावर्तन लागत (मूल्य ह्रास घटाकर) तथा प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि किराया भुगतान करें। भूमि किराया प्रत्येक 30 वर्षों के बाद संशोधित किया जायेगा। ये मार्केट हैं—श्रीनिवासपुरी मार्केट, एन्ड्यूजगंज मार्केट, नानकपुरा मार्केट (I एवं II), जवाहर मार्केट (लांसर रोड), सेक्टर-I मार्केट, आर.के.पुरम, सेक्टर-II मार्केट आर.के. पुरम, सेक्टर-III मार्केट आर.के. पुरम, सेक्टर-IV मार्केट आर.के. पुरम, सेक्टर-V मार्केट, आर.के. पुरम, सेक्टर-VI मार्केट (सेंटर-I) आर.के.पुरम, सेक्टर-VII मार्केट (सेंटर-II) आर.के. पुरम, साइट डी मार्केट, आर. के. पुरम।

(ग) और (घ) साइट 'डी' मार्केट, आर.के. पुरम एवं सेक्टर-III मार्केट आर.के. पुरम में अतिक्रमण का पता चला है। सेक्टर-III आर.के. पुरम के अतिक्रमणों को संपदा निदेशालय द्वारा हटा दिया गया है एवं साईट 'डी' के अतिक्रमणों के संदर्भ में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत गिराने के नोटिस भेज दिए गए हैं। शेष मार्केटों में जब कभी के.लो.नि.वि. अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट करता है, नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

एम०सी०एल० में कोयले का उत्पादन

407. **श्रीमती हेमा गमांग :**
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानदी कोलफील्ड्स लि., उड़ीसा के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995 से वर्ष-वार महानदी कोलफील्ड्स लि., उड़ीसा में कोयले की बिक्री और उत्पादन का कार्यनिष्पादन क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसी अवधि के दौरान कोयले की बिक्री से कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार को कितनी रॉयल्टी मिली?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चंगमुगम) : (क) से (ग) जी, हां। गत 1995 से लक्ष्यों की तुलना में कोयले का उत्पादन और प्रेषण (बिक्री) का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है—

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन		प्रेषण (बिक्री)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1995-96	30.75	32.70	32.19	34.35
1996-97	36.00	37.37	36.90	37.22
1997-98	39.50	42.17	40.41	43.22
1998-99	41.00	43.51	40.91	41.75
1999-2000	41.00	43.55	41.24	42.11

(घ) और (ङ) कोयला से अर्जित राजस्व और उक्त अवधि के दौरान सरकार को प्रदत्त रायल्टी की राशि नीचे दर्शाई गई है—

(आंकड़े करोड़ रु. में)

मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
प्रेषण कीमत (सकल)	1296.42	1466.62	1954.49	1946.25	2002.91
कर व सीपीआरए के पूर्व लाभ	336.07	326.65	654.11	601.31	607.65
सरकार को प्रदत्त रायल्टी	185.58	197.90	227.59	227.40	226.58

*सीपीआरए = कोयला कीमत विनियमन लेखा।

नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी

408. **श्री जी०एस० बसवराज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार से पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा लगातार गोलाबारी में कितने घर क्षतिग्रस्त हुए;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने परिवार प्रभावित हुए; और

(ग) सरकार का पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलाबारी पीड़ितों को क्या सहायता देने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०एच० विद्यासागर राव) : (क) सीमा पार से हुई गोलाबारी के कारण जम्मू और कश्मीर में

नियंत्रण रेखा पर क्षतिग्रस्त हुए मकानों के संबंध में सूचना, केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) कारगिल में घुसपैठ और गोलाबारी के दौरान कारगिल, लेह और जम्मू में विस्थापित परिवारों की अनुमानित संख्या क्रमश: 3574, 540 और 2000 है। जबकि कारगिल और लेह से विस्थापित व्यक्ति अब अपने घरों को लौट गए हैं, जम्मू क्षेत्र के अखनूर क्षेत्र से विस्थापित 11044 परिवार अभी तक वापस नहीं जा सके हैं। राज्य सरकार ने, मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को मुफ्त राशन, नगद सहायता, अनुग्रहपूर्वक राहत, अचल सम्पत्ति को हुई हानि के लिए मुआवजा और प्रभावित परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया है। इस पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त, वहां के निवासियों को गोलीबारी से होने वाली जान-हानि से बचाने के लिए नियंत्रण रेखा के साथ-साथ बंकरों का निर्माण भी किया जा रहा है।

आई०एस०आई० की गतिविधियां

409. श्री के० येरननायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आई. ने नेपाल से भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में हाल ही में नेपाल की यात्रा की; और

(ग) यदि हां, तो उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जुलाई 4-7-2000 से गृह सचिव स्तरीय वार्ता काठमांडु में आयोजित की गई थी। इस बैठक में, दोनों पक्षों ने भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ, आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य अवांछित तत्वों की गतिविधियों का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और भारत-नेपाल सीमा के बेहतर प्रबंधन पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारत और नेपाल के सटे हुए सीमावर्ती जिलों के साथ सतर्कता को बढ़ाने सहित सहयोग और गहन करने तथा उपायों का संयुक्त रूप से समन्वय करने, भारतीय हितों को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों का मुकाबला करने पर सहमति हुई थी। इस मामले पर दोनों पक्षों की चिंता इस बात से प्रकट होती है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए जरूरी आवश्यक कदम उठाने के लिए दोनों पक्षों ने दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। 1 अक्तूबर, 2000 से, फोटो पहचान संबंधी दस्तावेजों की एक 'प्रूफ डाऊन' सूची भी आरंभ करने पर सहमति हुई जो दोनों देशों के बीच भारतीय और नेपाली राष्ट्रिकों द्वारा हवाई यात्रा के लिए वैध होगी।

बच्चों को गोद लेने संबंधी रैकेट

410. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश के विभिन्न भागों में चल रहे बच्चों को गोद लेने संबंधी रैकेट की जानकारी आई है;

(ख) क्या परित्यक्त बच्चों को गोद लिए जाने के नाम पर वास्तव में उन्हें अन्य देशों में बेचा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) बड़े पैमाने पर इस प्रकार के किसी रैकेट की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सितम्बर, 2000 में, प्रमुख समाचार पत्रों में इस आशय के कुछ समाचार छपे थे कि 'एक्शन फार सोशल डिवैल्पमैंट' की गतिविधियां संदेहास्पद हैं। दूसरे देशों में बच्चों को गोद लेने के इस संस्था के लाइसेंस को 16.6.2000 से रद्द कर दिया गया है। इस बीच, सी.आई.डी. हैदराबाद ने हैदराबाद के दो संगठनों, अर्थात् एक्शन फार सोशल डिवैल्पमैंट तथा गुड समारिटन इवैन्जिलिकल एंड सोशल वैल्फेयर आर्गनाइजेशन को दोषी पाया है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468, 471 तथा 120(ख) के अंतर्गत उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये जा रहे हैं। एक्शन फॉर सोशल डिवैल्पमैंट की अभिरक्षा में बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्हें हैदराबाद स्थित सरकार के शिशु विहार में स्थानान्तरित करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग

411. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक उद्योग को सुचारु बनाने हेतु एक विधेयक पेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा राजन का प्रत्यार्पण

412. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैण्ड की सरकार ने छोटा राजन के थाइलैण्ड से प्रत्यार्पण संबंधी महाराष्ट्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को इस मामले को थाइलैंड की सरकार के समक्ष उठाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) मुंबई पुलिस ने थाइलैंड से छोटा राजन के निर्वासन/प्रत्यार्पण के मामले को उठाने के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था। मामले की जांच-पड़ताल की गई और विदेश मंत्रालय ने मुंबई पुलिस से थाई प्राधिकारियों से औपचारिक अनुरोध करने के लिए अपेक्षित कानूनी दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया।

इसी दौरान, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसके विरुद्ध पहले से ही जारी किए गए इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस के संदर्भ में छोटा राजन को गिरफ्तार करने का अनुरोध करते हुए 18 सितंबर, 2000 को थाई प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही करते हुए, मामले में प्रथम सूचना के आधार पर पहले ही कार्रवाई कर ली।

12.10.2000 को मुंबई पुलिस से दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् इन्हें 16.10.2000 को बैंकाक में भारतीय दूतावास के माध्यम से थाई प्राधिकारियों को सौंपा गया। थाईलैंड में भारतीय दूतावास छोटा राजन के प्रत्यार्पण या निर्वासन के लिए, जैसा भी थाई कानूनों, विनियमों या परिपाटियों के अंतर्गत व्यवहार्य है, संबंधित थाई प्राधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए हुए है।

सी०एस०आई०आर० प्रयोगशालाओं के विरुद्ध वैज्ञानिकों का आरोप

413. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्टूबर, 2000 के 'दि हिन्दू' समाचार पत्र में 'साइंटिस्ट्स चार्ज अगेन्स्ट सी.एस.आई.आर. लैब्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक कर्मी एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम हुआ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) सीएसआईआर की दो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्यकरण के विरुद्ध एक गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) उक्त एसोसिएशन द्वारा निदेशक, सिमैप के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विधिवत् जांच की गई है तथा इन आरोपों में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई। निस्कॉम से संबंधित संघल समिति रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार विधिवत् रूप से काग्रवाई आरम्भ कर दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कालेजों में विकास संबंधी कार्यकलाप

414. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार और कई डिग्री कालेजों को स्वायत्त कालेजों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से कालेजों का पता लगाया गया है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आन्ध्र प्रदेश के कालेजों में विभिन्न विकास संबंधी कार्यकलापों और परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) स्वशासी कालेजों की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरन्तर चलने वाली योजना है और स्वशासी का दर्जा पात्र कालेजों को योग्यता के आधार पर आयोग को अनुरोध मिलने पर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 1 जून, 2000 तक आन्ध्र प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों के उन्नीस कॉलेजों को स्वायत्ता प्रदान की गई है। इन कालेजों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के कालेजों में विकास संबंधी कार्यकलापों और परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 5.83 करोड़ रु., 5.51 करोड़ रु. और 3.98 करोड़ रु. की निधियां संस्वीकृत की गई हैं।

विवरण

1.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में स्वशासी कालेजों के नाम

आन्ध्र विश्वविद्यालय

1. चिन्तालपति सत्यवादी देवी सेंट टेरेसा कालेज फॉर विमिन, इलूरू
2. डी.एन.आर. कालेज, भीमवरम्
3. महाराजा कालेज फॉर मेन, विजयनगरम्
4. श्री सी. रामलिंगा रेड्डी कालेज, इलूरू
5. श्री दुर्गा प्रसाद सराफ कालेज ऑफ आर्ट्स एंड अप्लाईड साइंसेज, श्रीरामनगर
6. एस.आर.वी.वी.एम.जे.बी. महारानी कालेज, पेड्डुपुरम
7. सेंट जोसफ कालेज फॉर विमैन, वाल्टेयर
8. गवर्नमेंट डिग्री कालेज, राजा मुंद्री
9. पी.आर. गवर्नमेंट डिग्री कालेज (मेन) ककीलाडा

नागार्जुन विश्वविद्यालय

1. आन्ध्र लोयला कालेज, विजयवाड़ा
2. पी.बी. सिद्धार्थ कालेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, विजयवाड़ा

ओसमानिया विश्वविद्यालय

1. अनवर-ऊल-ऊलूम कालेज, न्यू मल्लेपल्ली, हैदराबाद
2. ए.वी. कालेज ऑफ आर्ट्स, कामर्स एंड साइंस, हैदराबाद
3. लोयला एकेडमी, अल्वल, सिकंदराबाद
4. निजाम कालेज, गनवाऊंड्री, हैदराबाद
5. आर.बी.वी.आर.आर. विमेन्स कालेज, नारायणगुडा, हैदराबाद
6. एस.एस.आर. ज्योति आर्ट्स एंड साइंस कालेज, खम्माम
7. सेंट फ्रांसिस कालेज फॉर विमैन, बेकुम्पेट, हैदराबाद
8. यूनिवर्सिटी कालेज फॉर विमैन, कोटि, हैदराबाद

'ट्राइफेड' द्वारा अपनी गतिविधियों का प्रसार

415. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ट्राइफेड' के जनजातीय क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का प्रसार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'ट्राइफेड' द्वारा आंध्र प्रदेश में छोटे वन्य उत्पादों की आयात-क्षमता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में खुले-खरीद केन्द्र खोलने की 'ट्राइफेड' की क्या योजना है; और

(च) अगले कुछ वर्षों के दौरान 'ट्राइफेड' की गतिविधियों के संबंध में क्या अनुमान किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) राज्यों के जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र/उगाए गए सभी उत्पादों को उन वस्तुओं के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य देकर विपणन समर्थन देने के लिए वचनबद्ध हैं जिन्हें वे बे के लिए देते हैं। ट्राइफेड ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 19073.07 लाख रुपए के अनुमानित मूल्य पर लघु वन उत्पाद और एस.ए.पी. की 203508.00 मीट्रिक टन की अनुमानित मात्रा प्राप्त करने की योजना बनाई है। ट्राइफेड की वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 3045.00 लाख रुपए के कारोबार की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ट्राइफेड गिरिजन सहकारी निगम, आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश

आयलफेड तथा मार्कफेड के खरीद केन्द्रों के माध्यम से खरीद करता है।

(च) जैसा कि उपर्युक्त (क) और (ख) पर है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन, आयात और भंडार

416. **श्री राजो सिंह :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले का आयात किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में विभिन्न किस्म के कोयले के जोन-वार और राज्य-वार कितने भंडार हैं;

(छ) क्या कतिपय कोयला खानों में आग लगने के कारण कोयले के भंडार कम हो गए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां इस समय खनन कार्य नहीं हो रहा है; और

(ञ) कोयला उत्पादन के क्षेत्र में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चनमुगम) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है–

(आंकड़ा अनंतिम)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)
1997-98	297.17
1998-99	292.27
1999-2000	300.09

सिवाय 1998-99 के पिछले तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई है। 1998-99 में उपभोक्ताओं द्वारा की गई कम मांग और कम उठान के कारण कोयला कंपनियों ने अपने उत्पादन को विनियमित कर दिया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल आयात किए गए कोयले का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है–

वर्ष	कुल आयात (मिलियन टन में)
1997-98	17.21
1998-99	15.64
1999-2000	17.50 (अनंतिम)

(च) 1.1.2000 को देश में राज्य-वार और ग्रेड-वार कोयला भंडारों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

(मिलियन टन में भंडार)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आंध्र प्रदेश	7345.86	3312.27	2,928.67	13,586.80
अरुणाचल प्रदेश	31.23	11.04	47.96	90.23
असम	259.37	26.83	34.01	320.21
बिहार	34,794.44	28,692.21	5,641.54	69,128.19
मध्य प्रदेश	13,010.35	22,148.43	8,333,93	43,429.71
महाराष्ट्र	4,148.83	1,322.87	1,605.41	7,077.11
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	11,140.04	22,754.96	16,553.65	50,448.65
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0	1,061.80
पश्चिम बंगाल	10,778.58	10,894.15	4,235.81	25,908.54
कुल	82,395.94	89,500.82	39,696.85	211,593.61

किस्म वार भंडार

(मिलियन टन में)

किस्म	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
1	2	3	4	5
प्राइम कोककर	5,614.35	698.71	–	5,313.06
मध्यम कोककर	11,267.17	11,132.62	1,106.38	23,506.17
अर्द्ध कोककर	482.16	904.04	221.68	1,607.88
उप-जोड़ कोककर	16,363.68	12,735.37	1,328.06	30,427.11

1	2	3	4	5
अकोककर*	66,032.26	76,765.45	38,368.79	1,81,166.50
जोड़ (कोककर और अकोककर)	82,395.94	89,500.82	39,696.85	2,11,593.61

*इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कोयले शामिल हैं।

(छ) से (झ) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय से स्वत: उष्मा से लगने वाली आग के कारण कोल इंडिया लि. की कई भूमिगत कोयला खानों को बंद करना पड़ा था। कोयले के भंडारों के साथ ऐसी खानों, जिन्हें बंद कर दिया गया है, का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है--

क्र.सं.	खान का नाम	किस्म		राज्य	निम्न वर्ष से बंद	बंद के कारण	बंद किए जाने पर शेष भंडार मि.टन
		भू.ग.	ओ.का.				
	ईकोलि						
1.	शंकरपुर	भू.ग.		प.बं.	78-79	आग/सुरक्षा कारण से	6.00
2.	गिरिमिंट	भू.ग.		प.बं.	89-90	आग/पीआईटीएस के डूबने से	3.60
	भाकोकोलि						
3.	विक्टोरिया	भू.ग.		प.बं.	85-86	चालू सीम में आग	3.10
4.	कुजुमा	भू.ग.		प.बं.	95-96	आग और आर्थिक-तकनीकी कारण	5.84
5.	गैसलीटांड	भू.ग.		बिहार	95-96	विभिन्न सीमों में अभूतपूर्व वर्षा और आग के कारण सितंबर 95 में खान का डूबना	0.25

(ञ) देश विद्युत ग्रेड कोयला के मामले में आत्मनिर्भर है। कोककर कोयला और उन्नत ग्रेड के अकोककर कोयले के भंडार की कमी है।

अर्धसैनिक बलों में भर्ती

417. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्धसैनिक बलों में भर्ती के अनुपात-निर्धारण के मानदण्डों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में वर्तमान में किस बल का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या इसमें कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति को संतुलित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) कान्सटेबलों की भर्ती के लिए राज्य-वार कोटा निर्धारित है जबकि उप-निरीक्षकों और सहायक कमांडेंटों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में कान्सटेबलों की 90 प्रतिशत रिक्तियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रय औद्योगिक सुरक्षा बल में 100 प्रतिशत रिक्तियां संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर आबंटित की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल्स में शेष 10 प्रतिशत रिक्तियां उन सीमावर्ती राज्यों को आबंटित की जाती है, जहां पर केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं।

(ख) केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में 1.11.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) कुछेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के मामले में कमी, भर्ती के समय उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपयुक्त और इच्छुक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण है। आगामी भर्तियों के समय राज्य/संघ शासित क्षेत्र के कोटे को भरने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

1.11.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में राज्य-वार प्रतिनिधित्व को दिखाने वाले विवरण

(प्रतिशत में)

राज्य	जनसंख्या का अनुपात	सी.सु.ब.	के.रि.पु.ब.	के.औ.सु.ब.	भा.ति.सी.पु.	असम राइफल्स
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	7.86	2.04	5.08	6.97	0.92	3.81
असम	2.64	3.74	4.25	2.65	0.59	7.55
अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.03	0.07	0.05	0.03	0.60
बिहार	10.23	8.91	9.72	0.95	2.13	8.25
गोवा	0.14	0.02	0.07	0.05	0.07	–
गुजरात	4.88	1.87	2.85	2.07	0.09	–
हरियाणा	1.93	8.99	4.65	4.48	10.14	5.95
हिमाचल प्रदेश	0.61	3.04	2.02	3.07	23.23	6.77
जम्मू एवं कश्मीर	0.91	5.71	3.77	2.53	6.61	0.89
कर्नाटक	5.31	2.65	4.37	4.19	0.42	2.65
केरल	3.44	4.65	2.83	3.27	2.21	7.11
मध्य प्रदेश	7.84	4.27	6.61	6.87	3.29	2.99
महाराष्ट्र	9.33	2.43	7.57	6.29	0.36	1.96
मणिपुर	0.22	0.61	1.36	0.39	0.09	2.72
मेघालय	0.21	0.36	0.39	0.12	0.01	0.79
मिजोरम	0.08	0.04	0.03	0.04	0.01	2.55
नागालैंड	0.14	0.38	0.13	0.16	0.01	2.68
उड़ीसा	3.73	1.85	4.11	3.73	0.56	1.81
पंजाब	2.39	6.18	4.85	5.27	5.59	5.87
राजस्थान	5.20	9.23	5.86	5.85	3.37	2.29
सिक्किम	0.05	0.05	0.06	0.05	0.01	2.50
तमिलनाडु	6.59	3.38	5.67	5.43	0.67	2.26
त्रिपुरा	0.32	1.36	0.89	0.53	0.08	1.38
उत्तर प्रदेश	16.44	17.63	14.5	15.58	37.47	15.91

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	9.06	9.17	6.61	7.47	0.9	5.34
केन्द्र शासित प्रदेश						
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.03	0.04	0.12	0.14	0.05	0.37
चंडीगढ़	0.08	0.03	0.11	0.03	0.06	–
दादरा एवं नगर हवेली	0.02	–	0.02	–	–	–
दमन एवं दीव	0.02	0.07	0.01	–	–	–
दिल्ली	1.11	0.83	1.3	0.67	0.6	–
लक्षद्वीप	0.01	–	0.01	0.01	0.01	–
पांडिचेरी	0.09	0.04	0.08	0.11	–	–

नोट—झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों के प्रतिनिधित्व को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के आंकड़ों में दिखाया गया है।

[अनुवाद]

दवाओं का ज्यादा मूल्य लेना

418. **श्री राममोहन गाड्डे :**
श्री शिवाजी माने :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कुछ औषधियों के संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य से ज्यादा लेने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत कुछ कंपनियों को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नोटिस जारी किया गया था; और

(ग) डीपीसीओ, 1995 के पैरा 13 के अन्तर्गत दोषी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने डीपीसीओ, 1995 के पैरा 13 के तहत अधिक वसूली हेतु लगभग 100 कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और अधिक वसूली के आधार पर 3.43 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली गई है।

सीमा प्रबन्धन के लिए कृतिक बल

419. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा प्रबन्धन के लिए गठित कृतिक बल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन सीमा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं और विदेशी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से सम्बन्धित है;

(ग) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन सभी सिफारिशों की जांच की है;

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) क्या कृतिक बल ने अपने प्रतिवेदन में सीमा प्रबन्ध के लिए सेना के अधीन एक कमान बनाने का सुझाव दिया है;

(छ) क्या कृतिक बल ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि सीमा बल जम्मू और कश्मीर में घुसपैठी के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच० विद्यासागर राव) : (क) से (ज) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की पूरी तरह से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और इसके क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए अप्रैल, 2000 में मंत्रियों के एक ग्रुप (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था। जी.ओ.एम. ने सीमा प्रबंधन पर एक टास्क फोर्स सहित चार टास्क फोर्स गठित किए। इस टास्क फोर्स ने 29 अगस्त, 2000 को अपनी रिपोर्ट जी.ओ.एम. को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर जी.ओ.एम. द्वारा विचार किया जा रहा है।

देश में अपराधों की स्थिति

420. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ रही अपराध दर के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों और सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उल्फा गतिविधियां

421. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के ऊपरी भागों में कुछ उल्फा उग्रवादियों ने भारी हथियारों के साथ घुसपैठ की है और वहां उन्होंने अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभावित राज्यों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। भारत सरकार, पूर्वोत्तर में प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों को, विद्रोह विरोधी अभियानों पर हुए अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार कर रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, पूर्वोत्तर में प्रभावित राज्यों को जारी की गयी राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं–

राज्य	रु. (करोड़ों में)
असम	52.19
नागालैंड	17.88
मणिपुर	3.44
त्रिपुरा	17.53

इसके अलावा, भारत सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों को, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की सामान्य योजनाओं और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष योजना (माल में), दोनों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

राज्य	विशेष योजना (रु. करोड़ों में)	सामान्य योजना (रु. करोड़ों में)
असम	22.72	0.47
नागालैंड	4.52	1.64
मणिपुर	5.54	0.17
मेघालय	4.74	0.12
मिजोरम	3.46	1.73
त्रिपुरा	6.06	1.77
अरुणाचल प्रदेश	3.86	1.77

उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों को पहले ही विशेष श्रेणी के राज्य घोषित किया गया है और वे 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता निधि के लिए पात्र हैं जबकि अन्य राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है।

[अनुवाद]

खनिजों पर रायल्टी दर

422. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला, लिग्नाइट और बाले के सिवाय प्रमुख खनिजों पर रायल्टी और विलेख किराया (डीडरेंट) की दर से संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन खनिजों पर रायल्टी दर में संशोधन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चनमुगम) : (क) जी, हां। कोयला लिग्नाइट और भराई वाले रेत खनिजों पर रायल्टी की दरों में दिनांक 12.9.2000 को केन्द्र सरकार ने संशोधन किया था।

(ख) और (ग) पिछली बार कोयले की रायल्टी दरों में 11.10.94 को संशोधन किया गया। संशोधन के मामले की बाद में कोयला मंत्रालय द्वारा जांच की गई है और यह पाया कि कोयला कंपनियां औसतन कोयले की उतराई कीमत का लगभग 40 से 45 प्रतिशत ही प्राप्त करती हैं। कीमत का अधिकांश भाग रेल भाड़ा, रायल्टी, उत्पाद शुल्क, उपकर और बिक्री कर जैसी विभिन्न लेवी के रूप में होता है। इसके फलस्वरूप भारतीय कोयले की कीमत कई स्थलों पर अधिक हो रही है और इसके परिणामस्वरूप आयातित कोयले में भारी वृद्धि हुई है। इस्पात उद्योग भी इससे प्रभावित है और अभी वह मंदी से उभर नहीं पाया है। कोयला पर रायल्टी की दरों ने इस स्थिति में किसी भी प्रकार की वृद्धि किए जाने से विद्युत क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र का संकट अधिक गहरा जाएगा।

लिग्नाइट के मामले में पिछली बार वर्ष 1990 में रायल्टी की दर में वृद्धि की गई। लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में वृद्धि के लिए गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान की राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिख रही हैं और उक्त में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भराई के लिए रेत के मामले में रायल्टी दर में पिछली बार 11.4.97 को संशोधन किया गया था। कोयला मंत्रालय ने भराई के लिए रेत पर रायल्टी दर में वृद्धि करने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया है। अत: भराई के लिए रेत पर रायल्टी दर में संशोधन से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

423. श्री जय प्रकाश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए मजबूर करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के किन-किन अध्यापकों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अध्यापकों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोल लिमिटेड की कामठी खान दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट

424. श्री सुबोध मोहिते : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेस्टर्न कोल लिमिटेड की कामठी कोयला खान में दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए गठित समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित लोगों के पारिवारिक सदस्यों को पूरा मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वेकोलि) की काम्पटी में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि खान सुरक्षा निदेशालय नागपुर काम्पटी में संविदा कामगार से संबंधित 15.9.2000 को हुई दुर्घटना की जांच की गई है और यह सड़क दुर्घटना पाई गई है। अर्थात् यह दुर्घटना गैर खनन स्वरूप की है।

(ग) भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रबंधन संस्थानों की रेटिंग

425. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न संस्थानों के कार्यकरण के मूल्यांकन की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना सुविधाओं वाले संस्थानों को मूल्यांकन के पैमाने पर उच्च स्थान दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या विद्यार्थियों और अध्यापकों ने सरकार से इस संबंध में जांच करवाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) जी, हां। हाल ही में बिजनेस पत्रिकाओं में एक अखिल भारतीय प्रबंधन संघ तथा बिजनेस इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से तथा दूसरा बिजनेस टूडे तथा कॉसमोड द्वारा किये गये दो सर्वेक्षण प्रकाशित हुए हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर प्रबंधन विद्यालयों के उच्चतम स्थान को अंकों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(घ) से (ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जोगेश्वर कोयला खानों का बंद होना

426. **श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 'जोगेश्वर' और 'खास-जोगेश्वर' कोयला खानें कई वर्षों से बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन खानों को फिर से चालू करने संबंधी बिहार सरकार का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष लम्बे समय से लंबित पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरे किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) से (ङ) जोगेश्वर (लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र) तथा खास जोगेश्वर (लगभग 680.84 एकड़ क्षेत्र) दो बंद खानें हैं। इन दोनों खानों में लगभग 7 मिलियन टन प्रमाणित कोककर कोयला के भण्डार हैं। अत: लम्बे कानूनी विवादों के कारण इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सका और वे 1976 तक निजी मालिकों के अधीन थीं और जब हजारीबाग के सबजज के आदेश के अनुसार बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीएसएमडीसी) के तत्कालीन अध्यक्ष की नियुक्ति आदाता के रूप में और श्री नरेश देव की नियुक्ति ऐजेन्ट के रूप में की गई थी। इस व्यवस्था के अधीन जोगेश्वर तथा खास जोगेश्वर में 1986 तक उस समय तक खनन कार्य चलता रहा जब खनन कार्य बंद कर दिए गए थे। इन दो खानों के कामगारों ने सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) हजारीबाग के समक्ष अपने रोजगार को जारी रखने के संबंध में औद्योगिक विवाद उठाया था तथा सहायक श्रमायुक्त के साथ अनेक बैठकों में विचार-विमर्श किए जाने के बाद खानों का एजेंट कोलियरी के पुन: खुलने के बाद कामगारों को नौकरी देने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार कर्मचारी संघ और एजेंट के बीच 10.1.89 को एक विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद बिहार सरकार ने कोयला मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि वह बीएसएमडीसी के माध्यम से खानों को दोबारा खोलने और उन्हें संचालित करने की अनुमति प्रदान करे। केन्द्रीय सरकार की वर्ष 1979 कोयला खनन नीति में निर्धारित कोककर कोयला भंडारों को प्रचालित करने के निमित्त राज्य सरकार के उपक्रमों पर लगे प्रतिबंध के कारण भारत सरकार के लिए इन दो खानों के प्रचालन हेतु बीएसएमडी को अनुमति देना संभव नहीं हो सका है।

माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा

427. **डा० अशोक पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को सहायता प्रदान की गई। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित मामलों को शुरू करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी की गई 'स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा' में सिफारिश की गई है कि वैयक्तिक और सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान और कार्यकलापों के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में किशोरों को एच.आई.वी. और एड्स के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि छात्रों को स्वच्छन्द संभाग तथा नशे की लत से संबंधित बुराईयों से भी अवगत कराया जाए। किशोरावस्था शिक्षा और यौन शिक्षा भी उपयुक्त ढंग से दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों का बंद किया जाना

428. **श्री समीक लाहिड़ी** :
श्री रामजी लाल सुमन :
डा० सुशील कुमार इंदौरा :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार कितने केन्द्रीय विद्यालयों को बंद किया गया है;

(ख) इन विद्यालयों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) उन विद्यालयों में नामांकित छात्रों की शिक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(घ) इन विद्यालयों को बंद करने के परिणामस्वरूप अध्यापकों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो कितने अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिन्हें पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बंद कर दिया गया है/निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालयों में विलय कर दिया गया है।

(ख) और (ग) परियोजना क्षेत्र में स्थित स्कूलों को उनके प्रायोजकों के अनुरोध पर बंद कर दिया गया है, चूंकि वे संबंधित केन्द्रीय विद्यालयों पर होने वाले खर्च को पूरा करने में असमर्थ थे। सिविल/रक्षा क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को भी, वहां पर दाखिले की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, विलय किए जाने वाले स्कूलों के बीच की दूरी तथा अन्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया/निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालयों में विलय कर दिया गया है। मौजूदा छात्रों को यह विकल्प दिया गया है कि वे निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालयों में या वे अपनी पसंद के अनुसार अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। सभी अतिरिक्त कर्मचारियों को, अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में, जहां पर रिक्तियां हैं, पुनः नियुक्त कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य	सेक्टर	बन्द/विलय किया गया	बन्द/विलय किए केन्द्रीय विद्यालयों के स्थान पर खोले गए/पुनः स्थापित किए गए केन्द्रीय विद्यालयों के नाम
1	2	3	4	5	6
			1997-98		
01.	आकाशनगर, बचेली	मध्य प्रदेश	परियोजना	बन्द किया गया	–
02.	कटनी का नं. 2	मध्य प्रदेश	रक्षा	कटनी के नं. 1 के साथ विलय किया गया	–
03.	नीपको याजली	अरुणाचल प्रदेश	परियोजना	बन्द किया गया	–
			1998-99		
01.	एच ई सी नं. 2, रांची	बिहार	परियोजना	बन्द किया गया	–
			1999-2000		
01.	नीपको उमरांघसो	असम	परियोजना	बन्द किया गया	–
02.	नं. 2 मीसामारी	असम	रक्षा	नं. 1 मीसामारी के साथ विलय किया गया	मंसौर (म.प्र.)
03.	नं. 3 तेजपुर	असम	रक्षा	नं. 2 तेजपुर के साथ विलय किया गया	एस पी जी पप्पनकलां द्वारका, दिल्ली
04.	नं. 2 बोकारो	बिहार	परियोजना	बन्द किया गया	–
05.	घटसिला	बिहार	परियोजना	बन्द किया गया	–
06.	नं. 1 खेत्रीनगर	राजस्थान	परियोजना	बन्द किया गया	–
07.	नं. 2 खेत्रीनगर	राजस्थान	परियोजना	बन्द किया गया	–
08.	जोबनेर	राजस्थान	सिविल	बन्द किया गया	आई टी बी पी, गऊचर (उ.प्र.)

1	2	3	4	5	6
09.	मलाजंखण्ड	मध्य प्रदेश	परियोजना	बन्द किया गया	—
10.	सी सी आई अदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	परियोजना	न्यायालय आदेश के तहत बन्द किया गया	—
11.	नं. 2 बैंगडुबी	पश्चिम बंगाल	रक्षा	नं. 1 बैंगडुबी के साथ विलय किया गया	नं. 2 रुड़की (उ.प्र.)
12.	नं. 2 भुसावल	महाराष्ट्र	सिविल	नं. 1 भुसावल के साथ विलय किया गया	आई वी आर मुक्तेश्वर (उ.प्र.) (सिविल सेक्टर परिवर्तित किया गया)
13.	कुपवाडा	जम्मू एवं कश्मीर	रक्षा	बन्द किया गया	इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
14.	फतहपुर	उत्तर प्रदेश	सिविल	बन्द किया गया	मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

429. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं का राज्यवार, परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार एवं परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई डी पी एल का पुनरुद्धार

430. श्री रामदास आठवले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय स्थायी समिति ने सरकारी उपक्रम आई डी पी एल (भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड) के पुनरुद्धार संबंधी सरकार की नीति के संबंध में एक गंभीर टिप्पणी की है और आठ वर्षों से इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों में असावधानी की जांच करने के लिए जांच समिति गठित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 के फाइनेनशियल एक्सप्रैस में 'आई डी पी एल' 'रिवाइवल पासिबल बट गवर्नमेंट ऐपेथी डेवेलप इट पेनल' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आई डी पी एल के लिए एक पुनरुद्धार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण किया गया है;

(च) क्या हैदराबाद का आई डी पी एल कम श्रम शक्ति के साथ आरंभ किया जा सकता है और व्यवहार्य बन सकता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) VIIIवीं रिपोर्ट में शामिल स्थायी समिति की सिफारिशें मंत्रालय में प्राप्त हो गई हैं। उन पर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) आई डी पी एल एक रुग्ण कंपनी है जिसे एस आई सी ए, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःसंरचना बोर्ड को भेजा गया है। आई डी पी एल, हैदराबाद, आई डी पी एल की एक इकाई है। कंपनी का भविष्य, जिसमें पुनरुद्धार भी शामिल है, बी आई एफ आर की कार्यवाही तथा अंतिम निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी

431. श्री अशोक प्रधान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय सुविधाओं की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिए कोई विशेष/अधिमान्य प्रावधान/किसी कोटे का आरक्षण दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए वर्तमान में आवास की कमी के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सन् 1991 की जनगणना में इस विषय पर कुछ आंकड़े उपलब्ध हुए थे पर वे पर्याप्त नहीं थे। अब भारत की जनगणना, 2001 के एक भाग के रूप में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति को उपलब्ध राज्यवार आवास सुविधाओं पर नवीनतम आंकड़े संकलित करने को कहा गया है।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते यह संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने राज्य की नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आवास आबंटन में आरक्षण करें अथवा उनके लिए विशेष आवास योजनाएं चलाएं। कुछ राज्यों ने जहां आवास आबंटन में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कोटे का प्रावधान किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए विशेष आवास योजनाएं चलायी हैं।

[हिन्दी]

यूरिया फैक्ट्री का पुनरुद्धार

432. श्री भाल चन्द्र यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी यूरिया उत्पादक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच एफ सी) के दुर्गापुर एवं हल्दिया (पश्चिमी बंगाल), बरौनी (बिहार) एवं नामरूप I एवं II (असम), फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एफ. सी.आई.) के रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश), तालचर (उड़ीसा) एवं गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) के ट्राम्बे I (महाराष्ट्र) के यूरिया उत्पादक संयंत्रों के प्रचालन सुरक्षा/फीडस्टाक सीमा बढ़ता अव्यवहार्यता के कारण बन्द कर दिये गये हैं।

जबकि एच.एफ.सी. के हल्दिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट एवं एफ.सी. आई. के गोरखपुर संयंत्र बन्द/अलग करने के बारे में सरकार द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है क्योंकि वे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, अत: प्रक्रिया जारी है ताकि कृषको गोरखपुर संयंत्र के मौजूदा स्थल पर अमोनिया/यूरिया संयंत्र स्थापित कर सके।

रामागुण्डम एवं तालचर एककों (एफ.सी.आई.), दुर्गापुर एवं बरौनी एककों (एच.एफ.सी.) के एककवार प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव सरकार में सक्षम प्राधिकारी एवं तत्पश्चात् अन्तिम स्वीकृति के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हैं।

सरकार ने 350 करोड़ रुपये के अनुमानित नए निवेश पर एच. एफ.सी. की नामरूप इकाइयों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है। इन एककों को प्राकृतिक गैस आपूर्ति बढ़ाने की भी व्यवस्था की गयी है। नामरूप-I के अमोनियम सल्फेट संयंत्र को बन्द किया जाना है क्योंकि इसे प्रचालित करना अलाभप्रद एवं असुरक्षित पाया गया है।

आर सी एफ के ट्राम्बे-I यूरिया संयंत्र के पुन: प्रारम्भण में बड़ी मरम्मतों की आवश्यकता होने के कारण, इसे प्रौद्यो-आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं पाया गया एवं कम्पनी ने इस संयंत्र को प्रचालित करने का निर्णय लिया है।

खुली और दूरस्थ शिक्षा विषय पर सम्मेलन

433. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय ने खुली और दूरस्थ शिक्षा विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् का एशियाई क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार उन प्रस्तावों से सहमत है; और

(घ) यदि नहीं, तो शिक्षा नीति में अपनी ओर से बदलाव लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय सुदूर शिक्षा परिषद् के सहयोग से नई दिल्ली में 3 से 5 नवम्बर, 2000 तक एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिगम के लचीले एवं विभिन्न मॉडल तैयार करना, उपयोगकर्त्ताओं के लिए अनुकूल संप्रेषण तन्त्र तैयार करना, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में पारस्परिक कार्यकलाप शुरू करना और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग, करना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में पाठ्यक्रम में संशोधन

434. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक के इतिहास और साहित्य के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी चैनल को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) क्या माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिए एक पृथक अध्याय आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) संघ सरकार के पास उच्चतर माध्यमिक स्तर के इतिहास और साहित्य के पाठ्यक्रम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यचर्या विकास की सतत प्रक्रिया के अंग के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया है।

अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इतिहास और साहित्य सहित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए पाठ्यचर्या विकास समितियों का गठन किया है।

[हिन्दी]

पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन

435. श्री उत्तमराव पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'पाठ्य पुस्तक प्रकाशन' के अन्तर्गत अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर वर्षवार और भाषावार कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मराठी एवं अन्य भाषाओं में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यापीठ जयपुर

436. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विद्यापीठ जयपुर को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्थान ने कितनी सहायता राशि का उपयोग किया;

(ग) क्या वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जयपुर को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राशि तथा उस राशि का किया गया उपयोग निम्नवत है :

(रु. लाख में)

वर्ष	जारी की गई अनुदान राशि	उपयोग की गई अनुदान राशि
1997-98	50.46	पूर्णत:
1998-99	57.00	पूर्णत:
1999-2000	112.30	111.01

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरिया की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेना

437. श्री अरुण कुमार :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान संघों ने सरकार से यूरिया के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है;

(ख) क्या डी.ए.पी. उर्वरक के दाम घटाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यूरिया का आयात नहीं करने की सिफारिश भी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान यूरिया के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई;

(च) क्या सरकार ने कीमती विदेशी मुद्रा के भंडार के संरक्षण के उद्देश्य से यूरिया आयात न करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) यूरिया और डी ए पी के बिक्री मूल्य में वृद्धि वित्त मंत्री द्वारा 2000-2001 के बजट भाषण में घोषित की गई थी और उसे लागू कर दिया गया है। मूल्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (च) विगत दो वर्षों के दौरान यूरिया के आयात पर व्यय की गई राशि नीचे दर्शाई गई है–

मात्रा लाख मी.टन	रुपये (करोड़)	अमेरिकन डालर (मिलियन) (लागत एवं भाड़ा मूल्य)
5.56	240.00	56.00
5.33	197.16	45.85

सरकार को विदेशी मुद्रा के परिरक्षित करने की आवश्यकता की जानकारी है और यूरिया का आयात केवल उसी स्थिति में किया जाता है जहां स्वदेश उत्पादन यूरिया की आकलित मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास

438. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
वैद्य विष्णुदत्त शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थिति के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और खर्च की गई है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास यू.एन.डी.पी., यूनेस्को, आई.एम.एल. तथा अन्य वित्तीय एजेंसियों के वित्तपोषण से भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु नई योजनाओं को शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर राज्यवार जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केवल योजनावार आबंटन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की समीक्षा की है और इसे नौवीं योजना अवधि के दौरान चालू रखने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया है। इस कार्य ढांचे के भीतर प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी नई पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों के संबंध में स्थिति

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डी.पी.ई.पी.			अनौपचारिक शिक्षा			शिक्षक शिक्षा			आपरेशन ब्लैकबोर्ड		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	34.17	20.00	266.00	2483.45	991.00	2001.36	–	10.80	6.98	10.36	8.40	18.00
2.	अरुणाचल प्रदेश				0.00	0.00	0.00	4.50	–	1.67	0.65	0.79	0.11
3.	असम	30.36	23.00	44.13	490.13	756.19	515.10	–	15.98	4.82	35.18	–	11.41
4.	बिहार	18.02	34.94	24.00	3534.24	1249.07	1513.82	–	–	–	15.47	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	गोवा							0.28	0.63	0.49		0.09	—
6.	गुजरात	10.55	17.00	15.00	6.07	7.48	1.49	4.19	6.82	7.04	35.64	8.73	—
7.	हरियाणा	36.66	5.00	10.00				—	1.50	12.33	0.29	4.60	—
8.	हिमाचल प्रदेश	18.74	14.76	14.00				6.40	5.21	5.26	10.10	0.45	—
9.	जम्मू व कश्मीर				62.32	151.91	30.38	—	0.30	—	19.52	—	—
10.	कर्नाटक	60.16	84.00	34.10				11.39	8.57	10.97	35.32	44.55	88.51
11.	केरल	30.11	26.00	9.00				3.40	4.61	5.05	3.11	—	—
12.	मध्य प्रदेश	117.83	160.84	85.00	2325.79	2869.85	2578.35	—	25.57	19.54	30.00	11.94	58.56
13.	महाराष्ट्र	50.33	23.49	39.00				0.79	—	11.77	24.48	22.99	—
14.	मणिपुर				268.01	141.94	152.70	—	0.66	1.23	1.80	—	—
15.	मेघालय				17.35	7.70	6.45	—	0.25	—	1.76	1.20	—
16.	मिजोरम				8.70	8.29	8.76	0.86	0.23	—	0.39	2.49	1.25
17.	नागालैंड							1.40	0.87	1.08	0.03	—	0.29
18.	उड़ीसा	21.14	15.00	8.50	235.72	489.84	1267.03	3.53	4.76	4.87	5.49	38.35	12.63
19.	पंजाब							3.30	5.60	6.53	3.33	—	8.31
20.	राजस्थान	0.00	0.00	30.50	1394.96	1554.47	1219.51	13.79	16.25	22.04	4.00	—	16.13
21.	सिक्किम							—	0.97	0.98		0.49	—
22.	तमिलनाडु	43.40	19.19	19.25	47.33	25.63	314.19	8.69	24.68	0.09	7.25	2.09	17.52
23.	त्रिपुरा				0.00	0.00	0.00	1.36	0.36	—	2.87	0.20	2.49
24.	उत्तर प्रदेश	54.48	89.50	48.00	3891.75	3695.62	1720.04	4.62	12.88	11.84	22.81	69.49	63.72
25.	पश्चिम बंगाल	19.00	13.03	27.00				—	—	4.25	2.04	10.42	9.57
26.	अं. व नि. द्वी. समूह							—	—	—	0.18	—	—
27.	चंडीगढ़				0.14	3.02	3.61	—	—	—	—	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली				5.06	5.31	5.31	—	—	—	0.18	—	—
29.	दमन व दीव							—	—	—	0.20	—	—
30.	दिल्ली							2.98	4.88	3.19	2.10	0.23	—
31.	लक्षद्वीप							—	0.50	—	0.02	—	—
32.	पांडिचेरी							—	0.20	0.31	0.10	0.01	0.09
33.	राष्ट्रीय घटक	14.63	4.00	9.32							1.33		
	कुल	559.58	549.75	682.80	14771.20	11957.32	11338.10	71.48	153.08	142.38	276.00	227.51	308.59

विवरण-II

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

राज्यवार जारी की गई निधियां

(1997-98 से 1999-2000)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	922.55	114.52	872.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.67	0	0
3.	असम	86.97	195.61	332.99
4.	बिहार	446.98	347.39	241.21
5.	गोवा	0.56	4.61	0
6.	गुजरात	112.34	105.25	806.84
7.	हरियाणा	77.50	55.50	89.40
8.	हिमाचल प्रदेश	112.82	63.86	40.52
9.	जम्मू व कश्मीर	38.02	130.04	59.00
10.	कर्नाटक	303.29	84.39	581.06
11.	केरल	15.35	48.34	369.35
12.	मध्य प्रदेश	459.47	636.25	231.54
13.	महाराष्ट्र	746.29	467.71	526.85
14.	मणिपुर	17.94	25.55	8.70
15.	मेघालय	16.85	16.00	12.50
16.	मिजोरम	34.23	49.52	0
17.	नागालैंड	32.34	27.89	0
18.	उड़ीसा	196.62	206.91	301.77
19.	पंजाब	211.14	42.98	58.33
20.	राजस्थान	820.35	359.73	1124.96
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	554.00	120.17	169.97
23.	त्रिपुरा	27.00	61.32	10.00
24.	उत्तर प्रदेश	537.23	728.37	739.94
25.	पश्चिम बंगाल	502.82	1937.06	357.00
26.	चंडीगढ़	20.00	57.86	14.60
27.	दिल्ली	173.87	32.25	138.20
28.	पाण्डिचेरी	18.24	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0.80
30.	अं. व नि. द्वी. समूह	0	5.81	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	3.21	0
	कुल	6488.44	5928.10	7087.77

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

439. मोहम्मद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर अध्यापकों की भर्ती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए 319 केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों को स्थानीय कम्प्यूटर प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।

विवरण

क्र.सं	के.वि. का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय
1	2	3
1.	नं. 1, अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	एम.ई.जी. एवं सेन्टर	बेंगलूर

1	2	3
3.	नं. 1, वास्कोडिगामा	बैंगलूर
4.	नं. 1, हुबली	-वही-
5.	बेलगांव कैंट	-वही-
6.	नं. 1, भोपाल	भोपाल
7.	नं. 1, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर
8.	सम्बलपुर	-वही-
9.	नं. 1, बोकारो	-वही-
10.	बैरकपुर (आर्मी)	कलकत्ता
11.	नं. 1, साल्ट लेक	-वही-
12.	सै. 47, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
13.	शिमला	-वही-
14.	नं. 1, बठिण्डा कैंट	-वही-
15.	नं. 1, अम्बाला कैंट	-वही-
16.	नं. 1, जालंधर कैंट	-वही-
17.	मीनाबक्कम	चेन्नै
18.	नं. 1, पालक्कड़	-वही-
19.	नं. 1, त्रिची	-वही-
20.	पट्टम, त्रिवेन्द्रम	-वही-
21.	नं. 1, हाथीबड़कला	देहरादून
22.	बरेली (वायुसेना स्थल)	-वही-
23.	एण्ड्रयूजगंज	दिल्ली
24.	नं. 1, दिल्ली कैंट	-वही-
25.	नं. 1 सिरसा	-वही-
26.	नं. 1 तेजपुर	गुवाहाटी
27.	शिलांग (अपर)	-वही-
28.	नं. 1 इटानगर	-वही-
29.	खानापाड़ा	-वही-
30.	नं. 1, झांसी कैंट	भोपाल
31.	नं. 1, ग्वालियर	-वही-
32.	नं. 2, आगरा कैंट	-वही-

1	2	3
33.	नं. 2, नौसेना बाग	हैदराबाद
34.	नं. 1, उप्पल	-वही-
35.	नं. 1, बी.सी.एफ. जबलपुर	जबलपुर
36.	नं. 2, जयपुर कैंट	जयपुर
37.	नं. 1 ए.एफ.एस. जोधपुर	-वही-
38.	नं. 1, जम्मू	जम्मू
39.	नं. 1, पठानकोट (ए.एफ.एस.)	जम्मू
40.	बमरौली, इलाहाबाद	लखनऊ
41.	अलीगंज, लखनऊ	-वही-
42.	आई.आई.टी. कानपुर	वही-
43.	नं. 2, कोलाबा	मुंबई
44.	बी.ई.बी. एण्ड सेंटर किर्की	-वही-
45.	नं. 1, पटना	पटना
46.	दीनापुर	सिल्चर
47.	नं. 1 अगरतला	-वही-
48.	नं. 1 इम्फाल	-वही-
49.	इफको गांधीधाम	अहमदाबाद
50.	एफ.आर.आई. देहरादून	देहरादून
51.	नं. 1, फिरोजपुर	चंडीगढ़
52.	पालमपुर	जम्मू
53.	केल्ट्रान नगर	बैंगलूर
54.	नं. 1, गांधीनगर	अहमदाबाद
55.	हेब्बल	बैंगलूर
56.	नं. 1 मैंगलूर	-वही-
57.	मल्लेश्वरम्	-वही-
58.	ए.एस.सी. सेंटर	-वही-
59.	नं. 1, बालहल्ली	-वही-
60.	पंचमढ़ी	भोपाल
61.	पानबोडे	चेन्नै
62.	नं. 1, सागर कैंट	भोपाल

1	2	3
63.	अलसूकाडु	बैंगलूर
64.	आई.एन.एस. वालसुरा	अहमदाबाद
65.	यलहंका	बैंगलूर
66.	नं. 1, बेगलाही	मुंबई
67.	नासिक रोड कैम्प	-वही-
68.	नं. 2 अहमदाबाद	अहमदाबाद
69.	बाड़मेर	जयपुर
70.	नं. 1, बड़ौदा	अहमदाबाद
71.	कुद्रेमुख	बैंगलूर
72.	एम.जी. रेलवे कालोनी	बैंगलूर
73.	नं. 2 बड़ौदा	अहमदाबाद
74.	पोर्ट ट्रस्ट कोचिन	चेन्नै
75.	नं. 1, भुज कच्छ	अहमदाबाद
76.	वाल्टेयर	हैदराबाद
77.	डी.आर.डी.ओ. काम्पलेक्स बैंगलूर	बैंगलूर
78.	ए.एफ.एस. बीदर	-वही-
79.	बालीगंज मैदान कैम्प	कलकत्ता
80.	फोर्ट विलियम	-वही-
81.	नं. 1, ईशापुर	-वही-
82.	धारवाड़	बैंगलूर
83.	कोजिकोडे़ बालघाट	चेन्नै
84.	राजकोट	अहमदाबाद
85.	नं. 2, जालहल्ली	बैंगलूर
86.	नं. 2, बेलगाम	-वही-
87.	कच्चूर	-वही-
88.	ओ.एम.बी.सी. अहमदाबाद	अहमदाबाद
89.	आई.एन.एल. कलिंग	गुवाहटी
90.	मालीगांव	-वही-
91.	बेगमपेट	हैदराबाद
92.	नं. 2, जामनगर	-वही-
93.	नं. 1, जामनगर	हैदराबाद
94.	बैंगहुबी	कलकत्ता
95.	चिरीमिरी	जबलपुर
96.	एन.टी.पी.सी. बदरपुर	दिल्ली
97.	अम्बरनाथ	मुंबई
98.	सूरत	अहमदाबाद
99.	एन.पी.ए. शिवरामपल्ली	हैदराबाद
100.	एस.सी. पुणे	मुंबई
101.	मलकापुरम्	हैदराबाद
102.	नं. 2, साम्बरम	चेन्नै
103.	एन.ए.डी. विशाखापट्टनम	हैदराबाद
104.	नं. 1, जयपुर	जयपुर
105.	नं. 1, कोलाबा	मुंबई
106.	नं. 3, ग्वालियर	भोपाल
107.	नं. 1, इटारसी	भोपाल
108.	सेक्टर 29 ए, चंडीगढ़	चंडीगढ़
109.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर	दिल्ली
110.	ए.एम.सी. सेंटर लखनऊ	लखनऊ
111.	डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी रायपुर	भोपाल
112.	नं. 2, ग्वालियर	भोपाल
113.	नं. 2, ऊधमपुर	जम्मू
114.	नं. 1, डुंडीगल	हैदराबाद
115.	हकिम्पेट	-वही-
116.	शिवपुरी	भोपाल
117.	आई.एन.एस. हमला	मुंबई
118.	गुना	भोपाल
119.	नं. 1, उदयपुर	जयपुर
120.	लेख व्यू कैंप, ललितपुर	भोपाल
121.	न्यू बोंगाईगांव	गुवाहाटी
122.	नं. 3, दिल्ली छावनी	दिल्ली

1	2	3
123.	नं. 2, झांसी छावनी	भोपाल
124.	डब्ल्यू.सी.एल. चंद्रपुर	भोपाल
125.	न्यू रेलवे कालोनी अहमदाबाद	अहमदाबाद
126.	अंगुल	भुवनेश्वर
127.	पिकेट	हैदराबाद
128.	एन.टी.पी.सी. रामागुंडम	-वही-
129.	मदुरै	-वही-
130.	ओ.एम.पी.सी. कालोनी अंकलेश्वर	अहमदाबाद
131.	ए.एफ.एस. आवड़ी	चेन्नै
132.	ओ.एन.जी.सी राजमुंदरी	हैदराबाद
133.	हिम्मतनगर	अहमदाबाद
134.	सी.आर.पी.एफ. पल्लीपुरम	चेन्नै
135.	गुंटकल	हैदराबाद
136.	बालासोर	भुवनेश्वर
137.	मल्लापुरम	चेन्नै
138.	धांगधा	अहमदाबाद
139.	पॉडा, मोगा	बेंगलूर
140.	त्रिचूर	चेन्नै
141.	सतीपल्लाई, तिरुपति	हैदराबाद
142.	बदरनूर	चेन्नै
143.	अरक्कोनम	चेन्नै
144.	गोमती नगर	लखनऊ
145.	एफ.सी.आई. तालचर	भुवनेश्वर
146.	नं. 3 गांधीनगर छावनी	अहमदाबाद
147.	जावर माइंस उदयपुर	जयपुर
148.	तुम्कुर	बेंगलूर
149.	सेंट्रल वर्कशाप, जयंत प्रोजेक्ट सिधि	जबलपुर
150.	सी.बी.एस., कॉलोनी, मुंबई	मुंबई
151.	एन.टी.पी.सी. फरक्का	कलकत्ता
152.	यबीना छावनी	भोपाल

1	2	3
153.	कराईकुड़ी	चेन्नै
154.	नं. 1, कानपुर	लखनऊ
155.	गुलबर्गा	बेंगलूर
156.	मंडपम	चेन्नै
157.	नं. 2, पटियाला	चंडीगढ़
158.	झारखंड	जबलपुर
159.	दीफू	सिलचर
160.	नं. 2, भुज छावनी	अहमदाबाद
161.	नं. 4, ग्वालियर	भोपाल
162.	बोलंगीर	भुवनेश्वर
163.	द्रोणिमलई	बेंगलूर
164.	शहडोल	जबलपुर
165.	ओ.एन.जी.सी. मेहसाना	अहमदाबाद
166.	नं. 2 शिव सागर ओ.एन.जी.सी.	गुवाहाटी
167.	आई.एम.ए. देहरादून	देहरादून
168.	ए.एफ.एस. अकुलम् त्रिवेन्द्रम्	चेन्नै
169.	ए.एफ.एस. बमरौली	लखनऊ
170.	नं. 4, बडौदा, ओ.एन.जी.सी.	अहमदाबाद
171.	कामठी	भोपाल
172.	नं. 3, गांधीनगर कैंट	अहमदाबाद
173.	नं. 2, कालीकट	चेन्नै
174.	ए.एफ.एस. आमला	पटना
175.	रामगढ़ कैंट	जबलपुर
176.	बी.इ.जी. सेंटर पुणे	मुम्बई
177.	पुलगांव कैम्प	भोपाल
178.	एस.इ.सी.एल. नौरोजाबाद	जबलपुर
179.	होशंगाबाद	भोपाल
180.	विजयनारायणम्	चेन्नै
181.	बैकुंठपुर	जबलपुर
182.	फुलेरा	जयपुर

1	2	3
183.	गाचिबोवली	हैदराबाद
184.	बहोवाल कैंट	चण्डीगढ़
185.	चांदा	भोपाल
186.	एडुमल्लारम्	हैदराबाद
187.	इम्फाल	सिल्चर
188.	एन.टी.पी.सी. जामनीपल्ली, कोरबा	जबलपुर
189.	नं. 2, शाजहांपुर	लखनऊ
190.	नं. 2, कोचिन	चेन्नै
191.	नं. 3, ए.एफ.एस. पुणे	मुंबई
192.	लेमखॉग	सिल्चर
193.	चीता कैंप, मुम्बई	मुम्बई
194.	तारागढ़	जम्मू
195.	नं. 2, अखनूर	जम्मू
196.	खड़की, पुणे	मुम्बई
197.	नं. 2, आर के पुरम्, दिल्ली	दिल्ली
198.	डब्ल्यू.पी.एल., दुर्गापुर	भोपाल
199.	बघेली	जबलपुर
200.	मस्जिद मोठ	दिल्ली
201.	गुंटूर	हैदराबाद
202.	पोरबंदर	अहमदाबाद
203.	नं. 2, पठानकोट	जम्मू
204.	ए.जी.सी.आर. कालोनी	दिल्ली
205.	उज्जैन	भोपाल
206.	सैनिक विहार	दिल्ली
207.	एस.ई.सी. कुसुमुंडा	जबलपुर
208.	बाड़ापानी, नेपा	गुवाहाटी
209.	सिंधरशी	पटना
210.	गोरखपुर	लखनऊ
211.	एन.टी.पी.सी., शक्ति नगर	पटना
212.	आद्रा	कलकत्ता

1	2	3
213.	जीरकपुर	चण्डीगढ़
214.	जे.आर.सी., बरेली	देहरादून
215.	एम.सी.एल. डेरा	भुवनेश्वर
216.	नं. 1, आदमपुर	चण्डीगढ़
217.	नं. 5, बठिंडा कैंट	चण्डीगढ़
218.	न्यु कैंट, इलाहाबाद	लखनऊ
219.	माउंट आबू	जयपुर
220.	लोक तक	सिल्चर
221.	नं. 4, पठानकोट	जम्मू
222.	टेंगावली	गुवाहाटी
223.	रतलाम	भोपाल
224.	राजगढ़	भोपाल
225.	उमरोई कैंट	गुवाहाटी
226.	सम्बलपुर	भुवनेश्वर
227.	खपैरल	कलकत्ता
228.	उत्तरकाशी	देहरादून
229.	जखामा	सिल्चर
230.	नं. 1, देहूरोड	मुम्बई
231.	बुलन्दशहर	लखनऊ
232.	मथुरा कैंट	लखनऊ
233.	ओ.एन.जी.सी. जोरहट	गुवाहाटी
234.	रायपुर, देहरादून	देहरादून
235.	औरंगाबाद	मुंबई
236.	नं. 1, श्रीनगर	जम्मू
237.	देवली	जयपुर
238.	श्रीगंगानगर	जयपुर
239.	लॉरेंस रोड	दिल्ली
240.	नं. 2, श्री विजयनगर	हैदराबाद
241.	नं. 1, ए.एफ.एस. डिंडन	दिल्ली
242.	बीरपुर	देहरादून

1	2	3
243.	अबोहर	चण्डीगढ़
244.	लेंगजिंग	सिल्चर
245.	चमेरा	जम्मू
246.	नामरूप	सिल्चर
247.	सलुआ	कलकत्ता
248.	झालवाड़	जयपुर
249.	दैरागढ़	भोपाल
250.	एन.टी.पी.सी. झोनर	अहमदाबाद
251.	बारामूला	जम्मू
252.	अप्पर कैम्प, देहरादून	देहरादून
253.	काशीपुर	देहरादून
254.	करबी अंगलाग	सिल्चर
255.	अलीपुर	कलकत्ता
256.	गुरदासपुर कैंट	जम्मू
257.	पंजाब लाईन्स, मेरठ	देहरादून
258.	रेवा	जबलपुर
259.	नं. 1, बीकानेर	जयपुर
260.	गोल मार्किट	दिल्ली
261.	आई.एस.टी.सी. जबलपुर	जबलपुर
262.	तुगलकाबाद	दिल्ली
263.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय, गाजियाबाद	दिल्ली
264.	नं. 2, अम्बाला कैंट	चण्डीगढ़
265.	बोरहार	गुवाहाटी
266.	नं. 3, बठिंडा	चण्डीगढ़
267.	त्रिमुलगिरी	हैदराबाद
268.	बहरामपुर	भुवनेश्वर
269.	नं. 1, इंदौर	भोपाल
270.	जैसलमेर	जयपुर
271.	सुरानुमी-जालंधर	चण्डीगढ़
272.	नं. 1, फरीदाबाद	दिल्ली
273.	विकासपुरी	दिल्ली
274.	आई.एन.एस. मांडवी	बेंगलूर
275.	फरीदकोट कैंट	चण्डीगढ़
276.	नं. 1, ए.एफ.एम. सूरतगढ़	जयपुर
277.	जी.टी.सी. वाराणसी कैंट	पटना
278.	नं. 4, कोशीपुर	कलकत्ता
279.	हरान	बेंगलूर
280.	नं. 4, (ओ.एन.जी.सी.) सूरत	अहमदाबाद
281.	सैक्टर 31, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
282.	नं. 1, पांडिचेरी	चेन्नै
283.	नं. 2, ए.एफ.एस. आदमपुर	चण्डीगढ़
284.	हजारीबाग	पटना
285.	सैक्टर 8, आर के पुरम्	दिल्ली
286.	नं. 1, अमृतसर कैंट	चण्डीगढ़
287.	दमोह	जबलपुर
288.	अम्बाझरी, नागपुर	भोपाल
289.	नं. 1, अलवर	जयपुर
290.	मऊ	भोपाल
291.	नारंगी	गुवाहाटी
292.	नं. 1, सी.आर.पी.एफ. अजमेर	जयपुर
293.	ए.एफ.एम. सुलुर	चेन्नै
294.	हुसैनपुर	चण्डीगढ़
295.	भरतपुर	जयपुर
296.	धर्मशाला कैंट	जम्मू
297.	बेल्लारी	बेंगलूर
298.	बारीपाड़ा	भुवनेश्वर
299.	नं. 2, ए.एफ.एस. चंडीगढ़	चण्डीगढ़
300.	नं. 2, विजयवाड़ा	हैदराबाद
301.	कपूरथला कैंट	चण्डीगढ़
302.	सी.ओ.डी. जबलपुर	जबलपुर

1	2	3
303.	धनबाद	पटना
304.	दिजंन	सिल्चर
305.	मुरादाबाद	देहरादून
306.	जनकपुरी	दिल्ली
307.	शालीमार बाग	दिल्ली
308.	सैक्टर 4, आर के पुरम्	दिल्ली
309.	नाभा कैंट, पटियाला	चण्डीगढ़
310.	नं. 3, जयपुर	जयपुर
311.	बिलासपुर	जबलपुर
312.	नं. 1, कोटा	जबलपुर
313.	दुलियाजान	सिल्चर
314.	पुष्प विहार	दिल्ली
315.	कुंजबन, अगरतला	सिल्चर
316.	एन.ए.डी. करंजा	मुम्बई
317.	ए.एफ.एस. बागडोगरा	कलकत्ता
318.	हाफलौंग	सिल्चर
319.	नं. 2, गुड़गांव	दिल्ली

[हिन्दी]

गुरुकुलों का विकास

440. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरुकुलों के विकास के लिए कोई ठोस योजना अथवा कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुरुकुलों के विकास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान अपने द्वारा संचालित गुरुकुलों के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को पहले से ही अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत, संस्थान द्वारा संस्कृत शिक्षकों के वेतन की 75 प्रतिशत धनराशि तथा संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान गुरुकुलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार प्रदान की गई निधियां

राज्य और गुरुकुल का नाम	नौवीं योजना में प्रदान की गई कुल धनराशि
1	2
उत्तर प्रदेश	
1. प्रबंधक गुरुकुल महाविद्यालय शुकर ताल, जिला मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश	2,60,000.00 रु.
2. प्रबंधक गुरुकुल वैदिक संस्कृत महाविद्यालय सिराथू, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)	4,75,000.00 रु.
3. प्रबंधक भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, झालीखार, जिला हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)	1,08,000.00 रु.
4. प्रबंधक, गुरुकुल महाविद्यालय, रुद्रपुर (तिलहर) जिला शाहजहांपुर	43,200.00 रु.
5. मुख्य अधिष्ठात्री, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस, जिला शाहजहांपुर (उ.प्र.)	19,87,200.00 रु.
6. प्रबंधक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय श्री श्री आनन्दा देवी कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय 8/190, शिवाली, वाराणसी (उ.प्र.)	2,16,000 रु.
7. प्रधानाचार्य गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर जिला हरिद्वार (उ.प्र.)	18,74,800.00 रु.
8. मुख्य अधिष्ठाता गुरुकुल महाविद्यालय कन्या आश्रम लालघाटी, कोटद्वार	3,67,200.00 रु.

1	2
9. गुरुकुल महाविद्यालय सिकन्दराबाद, गौतमबुद्ध नगर उ.प्र.	32,400.00 रु.
10. गुरुकुल महाविद्यालय पौठ (पुष्पावती) बहादुरगंज गाजियाबाद (उ.प्र.)	32,400.00 रु.
11. सरस्वती गुरुकुल विद्यापीठ मनारी वाराणसी (उ.प्र.)	1,13,400.00 रु.
कर्नाटक	
1. अध्यक्ष श्री सिद्धगंगा गुरुकुल सर सिद्ध गंगामठ कायातसनारा डाकघर-तुमकुर, जिला कर्नाटक	10,80,000.00 रु.
2. सचिव पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ वेदांत गुरुकुल पूर्ण प्रज्ञानगर बंगलौर (कर्नाटक)	6,15,600.00 रु.
उड़ीसा	
1. आचार्य गुरुकुल आश्रम आम सेना वाया-खारियार रोड जिला कालाहांडी (उड़ीसा)	5,56,200.00 रु.
2. प्रधानाचार्य कृष्ण चन्द्र गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ भुवनेश्वर (उड़ीसा)	1,13,400.00 रु.
3. गुरुकुल करुणाकर वेद विद्यालय जिला कटक (उड़ीसा)	1,24,200.00 रु.
दिल्ली	
1. प्राचार्य आर्य कन्या गुरुकुल नया राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	12,15,000.00 रु.
2. प्रधानमंत्री कन्या गुरुकुल, नरेला, नई दिल्ली	18,75,900.00 रु.
हरियाणा	
1. कुलपति, कन्या संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल खराल जिला जींद (हरियाणा)	1,99,800.00 रु.

1	2
2. प्रबंधक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, खरखौदा जिला सोनीपत (हरियाणा)	6,26,400.00 रु.
3. मुख्य अधिष्ठाता महाविद्यालय गुरुकुल माटिन्डू जिला सोनीपत (हरियाणा)	11,01,600.00 रु.
4. मुख्य अधिष्ठाता गुरुकुल धीरनवास डाकघर-रावालवास खुर्द जिला हिसार	2,59,200.00 रु.
5. आचार्य मुख्य अधिष्ठाता, गुरुकुल आर्यनगर डाकघर-आर्यनगर जिला हिसार (हरियाणा)	1,72,800.00 रु.
6. मुख्य अधिष्ठाता (प्रबंधक) श्रीमद दयानंद गुरुकुल विद्यापीठ, गदापुरी जिला फरीदाबाद (हरियाणा)	5,67,000.00 रु.
7. कार्यकारी अध्यक्ष आर्य गुरुकुल महाविद्यालय डाकघर डिकाडाला जिला करनाल (हरियाणा)	6,69,600.00 रु.
8. प्रधान आदर्श गुरुकुल सिंहपुरा सुन्दरपुर, जींद रोड, रोहतक (हरियाणा)	4,64,400.00 रु.
9. मुख्य अधिष्ठाता गुरुकुल विद्यापीठ कुंभाखेड़ा जिला हिसार (हरियाणा)	1,72,800.00 रु.
10. मुख्य अधिष्ठाता महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक (हरियाणा)	6,69,600.00 रु.
11. प्रधानाचार्य आर्य कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय मोर मजरा	7,83,000.00 रु.
12. अधिष्ठाता कन्या गुरुकुल विद्यापीठ पंचगांव, डाकघर गोपी बवानी जिला भिवानी (हरियाणा)	1,67,400.00 रु.

1	2
13. प्रधानाचार्य गुरुकुल विद्यापीठ हरियाणा भैंसवाल कला डाकघर गुरुकुल भैंसवाल जिला सोनीपत (हरियाणा)	9,85,500.00 रु.
14. प्रधान आर्य कन्या गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, पारा, जिला करनाल (हरियाणा)	1,72,800.00 रु.
15. मुख्यअधिष्ठाता आर्य कन्या गुरुकुल हसनपुर पलपल, फरीदाबाद (हरियाणा)	1,67,400.00 रु.
16. कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय गोडा खेडा ब्लाक ऊचाना जिला जींद (हरियाणा)	1,56,600.00 रु.
महाराष्ट्र	
1. प्रधानाचार्य श्री चक्रधर गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय फैजपुर, जिला जलगांव (महाराष्ट्र)	2,26,800.00 रु.
राजस्थान	
1. मुख्यअधिष्ठाता गुरुकुल चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	7,66,800.00 रु.

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

441. डा० बलिराम :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सुनील खां :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गरीबी के मामले में नवीनतम आकलनों का अध्ययन कराने और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के तुलनात्मक आंकड़ों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा 1999-2000 में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है;

(च) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए दी जा रही केन्द्रीय सहायता वास्तविक लाभार्थियों के पास नहीं पहुंच रही है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) अब तक इस तरह का कोई पैनल नहीं बनाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) वर्ष 1993-94 की सूचना के साथ तुलना के लिए वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के प्रतिशत के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 5वें समवर्ती मूल्यांकन (जुलाई 1995 से जून 1996) से मालूम हुआ कि गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को दी गई सहायता उनको मिल रही है।

भारत-ओमान उर्वरक समझौता

442. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री इन्नान मोल्लाह :
डा० सी० सुगुना कुमारी :
श्री राजैया मल्याला :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 20 और 21 अक्तूबर, 2000 के 'एशियन ऐज' समाचार पत्र में 'ओमान डील हैज रूपीज 15,000 करोड़ स्टिंक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने जैसा कि आरोप लगाया गया है, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और 'पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड' की गंभीर आपत्तियों के बावजूद ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट को जल्दी में स्वीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की इस संबंध में क्या टिप्पणी थी; और

(घ) इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करने के क्या कारण हैं और इस मामले में राष्ट्रहित की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस परियोजना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् 20-6-2000 को संशोधित एवं पुनर्गठित इण्डो-ओमान फर्टिलाइजर परियोजना में इस परियोजना के प्रत्येक भारतीय प्रवर्तक अर्थात् इफको एवं कृभको के 80 मिलियन अमेरिकन डालर के साम्य अंशदान के रूप में निवेश को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, यह मंजूरी कुछेक बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान की शर्तों के अधीन है।

(घ) इस परियोजना को मंजूरी 15 वर्षों की दीर्घकालिक अवधि के लिए कम लागत वरीयफीडस्टाक (प्राकृतिक गैस) के आधार पर एक निर्धारित मूल्य पर यूरिया की आश्वस्त आपूर्ति सहित कई कारणों से की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस उर्वरक नीति प्रारूप में उन देशों में, जहां प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, संयुक्त उद्यम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की अवधारणा 1994 में की गई थी और यह सल्तनत ऑफ ओमान और भारत सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन का एक भाग बन गई है, जो उर्वरक नीति के प्रारूप के लक्ष्यों के अनुरूप है।

अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम 1985 का निरसन

443. **श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारणा अधिनियम 1985 का जनवरी 2001 तक निरसन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग

444. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशियों के दुरुपयोग के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में संगठन-वार क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वेंकय्या नायडू) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

445. **श्री चरकला राधाकृष्णन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों से सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों के लिए भेजा गया है—(i) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, वारंगल, (ii) के. क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सूरतकल, (iii) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, कालीकट, (iv) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, (v) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, राऊरकेला, (vi) सरदार वल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कॉलेज, सूरत, गुजरात, (vii) मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, इलाहाबाद, (viii) क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, दुर्गापुर। चूंकि क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों को समविश्वविद्यालयों के रूप में घोषित किया जाना एक वैधानिक आवश्यकता है और इसमें कई प्रक्रियाबद्ध जरूरतों को पूरा किया जाना अपेक्षित है अत: कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

भेषज उद्योग का वैश्वीकरण

446. **श्री चन्द्रकांत खैरे** :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय भेषज उद्योग 2010 तक भेषज में विश्वशक्ति बनने की क्षमता रखता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के समान इस उद्योग को भी सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार विश्वव्यापी अखाड़े में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारतीय भेषज उद्योग को उभारने की संभावना से अवगत है। सरकार ने कुछेक पहल की है जैसे—औषध उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, औषधों एवं भेषजों में स्वत: प्रक्रिया के जरिए 74 प्रतिशत तक एफ डी आई की स्वीकृति दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, तथा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के आधार पर मूल्य नियंत्रण से छूट, आदि दी गई है। सरकार ने भारत में भेषज उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा इसके प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपेक्षित रणनीति की पहचान करने के उद्देश्य से, भेषजों और ज्ञानाधारित उद्योगों संबंधी एक कृत्यक बल (टास्क फोर्स) भी गठित किया है ताकि यह उद्योग संसार में अग्रणी बन सके।

[हिन्दी]

अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का निरीक्षण

447. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा महाराष्ट्र के कितने अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों व विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है; और

(ख) कितने महाविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति द्वारा भोपाल में गठित जांच दल ने 322 संस्थाओं का निरीक्षण किया तथा महाराष्ट्र में स्थित 67 शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

[अनुवाद]

लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा स्वीकृत/पूरी की गई परियोजनाएं

448. श्री रामजी मांझी :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्यवार परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) 'कपार्ट' द्वारा उक्त अवधि में कितनी परियोजनाओं को राज्यवार पूरा किया गया;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ङ) क्या बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जांच के दौरान कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठनों, जिनके माध्यम से परियोजनाएं पूरी की जानी थीं, का पता चला है जिनका अस्तित्व ही नहीं था;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा हड़प ली गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम० वैंकय्या नायडू) : (क) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का आधुनिकीकरण

449. श्री शिवाजी माने : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के आधुनिकीकरण में अधिक समय एवं लागत जो अनुमानत: 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा है के लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) सरकार ने योजना आयोग, भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री जे.एस. बैजल की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक लागत और समय लगने के कारणों की जांच करना, खरीदे गए उपकरणों का मूल्यांकन करना तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा भूल/चूक हुए किसी अन्य अनुचित कार्य के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना शामिल है। समिति से संयंत्र के परिकल्पित निष्पादन के साथ-साथ मौजूदा निष्पादन की जांच करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद के कारणों की रिपोर्ट देने एवं उपचारात्मक सुझाव देने का भी अनुरोध किया गया है। समिति उस संभावित समय सीमा की भी जांच करेगी जिसके दौरान ये संयंत्र नकद लाभ कमाना शुरू कर देंगे।

तटीय क्षेत्रों में पेयजल

450. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तटीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध पानी में खारापन है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितना निवेश किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० रीता वर्मा) : (क) और (ख) ग्रामीण पेयजल राज्यों का विषय है। राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा देश की ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है। राज्य सरकारों को व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, मंजूर करने तथा कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। इस प्रकार निधियां क्षेत्रवार नहीं किन्तु राज्य-वार जारी की जाती हैं। इसलिए देश के तटीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी की गई निधियों के ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश के तटीय राज्यों के लिए 2000-2001 के दौरान अब तक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों तथा उन राज्यों में खारेपन से प्रभावित बसावटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दोनों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में देश के तटीय राज्यों में किए गए निवेश को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-2001 के दौरान देश के तटीय राज्यों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	राशि (लाख रु. में)	खारेपन से प्रभावित बसावटों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11600.00	5518
2.	गोवा	702.00	0
3.	गुजरात	7085.00	256
4.	कर्नाटक	5175.00	1002
5.	केरल	2873.00	37
6.	महाराष्ट्र	6187.00	480
7.	उड़ीसा	3106.50	3361
8.	तमिलनाडु	3654.00	5219
9.	पश्चिम बंगाल	3889.81	**

**पश्चिम बंगाल में 59 बसावटों के खारेपन से प्रभावित होने की सूचना मिली है। बसावटों की संख्या का अभी पता लगाया जाना है।

विवरण-II

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान देश के तटीय राज्यों में किए गए निवेशों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं	राज्य	1997-1998	1998-1999	1999-2000
1.	आंध्र प्रदेश	17732.96	20078.32	23439.57
2.	गोवा	818.84	1011.10	1268.02
3.	गुजरात	16228.05	21811.22	41651.43
4.	कर्नाटक	19090.92	17999.10	18366.92
5.	केरल	8335.34	6186.61	8135.08
6.	महाराष्ट्र	41466.96	67535.87	102587.09
7.	उड़ीसा	9477.93	7918.84	7874.79
8.	तमिलनाडु	21588.00	36466.47	37250.12
9.	पश्चिम बंगाल	11295.01	11886.18	12723.60
	कुल	146034.01	190893.71	253296.62

शहरी गांवों में निर्माण

451. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गांवों (जो गांव डी.एम.सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत अब ग्रामीण क्षेत्र के नहीं रहे) में निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम की स्वीकृति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो अब तक दिल्ली में शहरीकृत घोषित कर दिए गए गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गांवों जो अब डी.एम.सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अनुसार शहर हैं, में पंचायत विभाग द्वारा बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित गृह निर्माण स्थल पर

निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से भी अनुमति लेने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली पंचायत विभाग ने डी.एम.सी. अधिनियम 1957 की धारा 507 के अंतर्गत वर्ष 1994 में शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित 20 गांवों का प्रभार नहीं सौंपा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इन गांवों में अवैध निर्माण का कार्य एम.सी.डी./डी.डी.ए. पंचायत विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से बेरोकटोक चल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो डी.डी.ए. ने 1994 में शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित इन गांवों के प्रभार अपने हाथों में लेने के क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षित युवकों में बेरोजगारी

452. श्री पी०आर० खूंटे : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सृजित/प्रस्तावित रोजगार के अवसरों का स्वरूप क्या है/होगा;

(ङ) इस कार्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लघु उद्योग मंत्रालय (एस.एस.आई.) लघु उद्यमों को स्थापित करके सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता करने वाली प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) का कार्य देखता है। लघु उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि पी.एम.आर.वाई. देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य आबंटित नहीं किये जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों को आबंटित राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-I पर है।

(घ) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन शिक्षित बेरोजगार युवकों की उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता की जाती है। 1-4-1999 से स्कीम में संशोधनों के परिणामस्वरूप अब सभी आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधियों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1997-98 से 2000-2001 (अगस्त, 2000 तक) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अधीन नियत लक्ष्य और प्राप्तियां विवरण-II पर हैं।

(च) राज्य और केन्द्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक लगातार स्कीम की प्रगति पर निगरानी करते हैं। जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समितियां गठित की गई हैं।

विवरण-I

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2001) के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु नियत लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	असम	13400	15000	12800	6600
2.	मणिपुर	1300	1350	1350	1000
3.	मिजोरम	400	350	350	250
4.	त्रिपुरा	1300	1300	1300	1300
5.	अरुणाचल प्रदेश	300	500	500	250
6.	नागालैंड	450	250	200	200
7.	मेघालय	550	550	550	600
	कुल	17700	19300	17050	10200

विवरण-II

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित संचयी स्तर

वर्ष	लक्ष्य सं.	प्राप्त आवेदन	मंजूर मामले		निपटाये गये मामले	
			सं.	राशि (करोड़ रु.)	सं.	राशि (करोड़ रु.)
1997-98	220000	495610	263623	1592	208979	1217
1998-99	220000	500309	272704	1627	189850	1082
1999-2000	220000	493444	254408	1646	142723	857
2000-01 (अगस्त 2000 तक)	220000	69668	16864	104	8202	51
कुल		1559031	807599	4969	549754	3207

[अनुवाद]

औषध आयात नीति

453. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषध आयात नियमों को कठोर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय भारतीय बाजार में औषधियों को आयात करके उनका ढेर लगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

औषधों के आयात का विनियमन करने के लिए औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली के अन्तर्गत उपबंधों को संशोधित किया जा रहा है, जिसके लिए अधिसूचना का मसौदा जनता की टीका-टिप्पणी के लिए 24.10.2000 को प्रकाशित की गई है। जनता की टीका-टिप्पणी प्राप्त होने के बाद नियमावली को संशोधित करने के लिए अन्तिम रूप से अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन में प्रत्येक विदेशी विनिर्माता को पंजीकरण तथा देश में आयातित प्रत्येक औषध के लिए अलग से पंजीकरण की व्यवस्था होगी। इसके प्रयोजनार्थ अलग से विदेशी मुद्रा में फीस ली जाएगी। केवल अनुसूची-सी और सी-I श्रेणी के औषधों के लिए प्रपत्र-10 में लाइसेंस की जरूरत की वर्तमान पद्धति की बजाय सभी आयातित औषधों के पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) डम्पिंग रोधी प्रशुल्कों के संबंध में एक अलग निदेशालय वाणिज्यिक मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है जो देश में विदेशी वस्तुओं को डम्प करने संबंधी शिकायतों पर विचार करता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि का अतिक्रमण

454. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हरित पट्टी के लिए निर्धारित करोड़ों रुपये की भूमि को भू-माफिया ने अतिक्रमित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्टूबर, 2000 में केन्द्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में अपने उत्तर दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) हरित क्षेत्रों में मौजूद कतिपय अतिक्रमण वर्षों से देखे गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 6324/2000 में इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 20.10.2000 को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 15.1.2001 को होनी है।

(घ) और (ङ) अभी तक नहीं। जवाब सुनवाई की तारीख से पहले पेश कर दिए जाएंगे।

(च) हरित क्षेत्रों सहित सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है, तथा संबंधित एजेंसियां यथा भूमि एवं विकास कार्यालय, डीडीए, दिल्ली नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इत्यादि संगत कानूनों एवं नियमों के तहत उनका पता लगाने और हटाने की कार्रवाई करती है। प्रश्नगत भूमि सहित सभी सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता को दुहराते हुए, केन्द्र सरकार ने संबंधित एजेंसियों को समय-समय पर निर्देश भी जारी किए हैं और उनकी बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.01½ बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

(इस समय श्री कान्तिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं। आप स्वयं विचार कीजिए कि सभा में आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मैं जो कह रहा हूं, समझें। इस संबंध में बोलने के लिए मुझे तीन या चार सूचनाएं मिली हैं और मैं उन सभी की बात सुनना चाहता हूं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं और अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। अब बहुत हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा-पटल पर पत्रों के रख दिए जाने के बाद आपको अनुमति प्रदान करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.02 बजे

(इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 4.03 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद के लिए भर्ती विनियम, जो 10 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और 20 जुलाई, 2000 तथा 17 अगस्त, 2000 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) और सा.का.नि. 664(अ) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए *संख्या* एल.टी. 2359/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 1 सितम्बर, 2000 को प्रख्यापित भारतीय विश्व मामले परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए *संख्या* एल.टी. 2360/2000]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 2000 को प्रख्यापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए *संख्या* एल.टी. 2361/2000]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 1 नवम्बर, 2000 को प्रख्यापित केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए *संख्या* एल.टी. 2362/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं श्री ईश्वर दयाल स्वामी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2000, जो 23 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए *संख्या* एल.टी. 2363/2000]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 907(अ), जिसमें रबी मौसम '2000-2001' के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों और टी बोर्ड (पूर्वोत्तर) को यूरिया के घरेलू उत्पादकों द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति को दर्शाने वाला आदेश अन्तर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए *संख्या* एल.टी. 2364/2000]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अधिसूचना संख्या 142/2000-सी.शु., जो 21 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, का आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि उसमें उल्लिखित मदों पर लागू मूल सीमा शुल्क की रियायती दर में संशोधन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 144/2000-सी.शु., जो 21 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, का आशय 12 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 61/2000-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाद्य तेलों को अधिभार से मुक्त रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना संख्या 143/2000-सी.शु., जो 21 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 18/2000-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी विनिर्दिष्ट खाद्य कच्चे वनस्पति तेल पर विशेष अतिरिक्त शुल्क की शून्य दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए संख्या* एल.टी. 2366-ए/2000]

अपराह्न 4.03½ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव महोदय : मैं 25 जुलाई, 2000 को सभा को सूचित करने के पश्चात् तेरहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 13 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000;

(2) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000;

(3) बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000;

(4) सेना और वायु सेना (प्राइवेट संपत्ति का व्ययन) विधेयक, 2000;

(5) भारतीय पावर अल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000;

(6) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2000;

(7) रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक, 2000;

(8) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2000;

(9) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2000;

(10) संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक, 2000;

(11) संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 2000;

(12) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2000; और

(13) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2000

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2000;

(2) भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक, 2000;

(3) सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक, 2000;

(4) लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और प्रबंध ग्रहण विधि) निरसन विधेयक, 2000;

(5) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2000;

(6) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2000;

(7) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000;

(8) अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, 2000;

(9) भारतीय पुनर्वास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2000; और

(10) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

अपराह्न 4.04½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन के बारे में*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : माननीय सदस्यों को यह भली-भांति ज्ञात है कि तेल के मूल्यों में पिछले 18 महीनों से उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। इनमें तीन गुणा से ज्यादा वृद्धि हुई है। ब्रेन्ट क्रूड का मूल्य जो फरवरी 1999 में 10.23 डालर प्रति बैरल (3,313 रुपये प्रति टन) था, वह मार्च 2000 में 27.26 डालर प्रति बैरल (8,944 रुपये प्रति टन) तक बढ़ गया और सितम्बर 2000 में 37 डालर प्रति बैरल से अधिक (12,000 रुपये प्रति टन) तक बढ़ गया। 1 अक्तूबर से 19 नवम्बर, 2000 की अवधि के दौरान औसत मूल्य 31.65 डालर प्रति बैरल (10,828 रुपये प्रति टन) रहा है।

भारत कच्चे तेल की अपनी कुल आवश्यकता का 70 प्रतिशत आयात करता है। आयात बिल 1999-2000 में 53,500 करोड़ रुपये था। इसके 2000-01 में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के कारण तेल पूल घाटा, जो 1998-99 के अंत तक कम होकर 3408 करोड़ रुपये हो गया था, वह 31.3.2000

*सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री राम नाईक]

तक बढ़कर लगभग 6,300 करोड़ रुपये हो गया और 23 मार्च 2000 से लागू और 29 सितम्बर 2000 तक जारी मूल्यों पर 31 मार्च 2001 तक यह बढ़कर 23,600 करोड़ रुपये हो गया होता। तेल पूल खाते में घाटे का ऐसा उच्च स्तर वहनीय नहीं था क्योंकि इससे तेल कंपनियों की प्रवाहमयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और इससे कच्चे तेल का आयात और संसाधन और उत्पादों का विपणन अत्यधिक कठिन हो जाता। इसलिए सरकार ने 29/30 सितम्बर 2000 को मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय लिया।

उपभोक्ता मूल्यों में संशोधन के पश्चात् सरकार को विभिन्न पक्षों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इन मूल्य शुद्धियों के विषय में पुनरावलोकन करने के लिए निदेश दिए थे। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल, जोकि गरीब लोगों के लिए एक घरेलू ईंधन है, के खुदरा बिक्री मूल्य को प्रति लीटर 1 रुपये तक, तथा घरेलू एल पी जी, जो कि लगभग 5.5 करोड़ घरों में गृहणियों द्वारा खाना पकाने के लिए उपयोजित ईंधन है, के खुदरा बिक्री मूल्य को प्रति सिलेंडर लगभग 10 रुपये तक कम करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी के मूल्यों में की गई ये कटौतियां 21/22 नवंबर, 2000 मध्य रात्रि से लागू होंगी।

30 सितम्बर, 2000 की मूल्य वृद्धि से पहले 30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल के औसत कच्चे तेल मूल्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल पर राजसहायता 8.21 रुपये प्रति लीटर, घरेलू एल पी जी पर 171 रुपये प्रति सिलेंडर, डीजल पर 5.29 रुपये प्रति लीटर और ए टी एफ पर 2.64 रुपये प्रति लीटर थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक उपभोक्ताओं पर तेल पूल घाटे का केवल 1/3 अंतरित करने का निर्णय लिया। निर्णय लेते समय सरकार ने यह माना था कि ऐसी भारी वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डालना संभव नहीं होगा और इसलिए ऐसे घाटे के एक बड़े अंश को सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कम करके अपने निजी राजस्व के अंतर्गत समाहित करने का निर्णय लिया था।

उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत करने के साथ-साथ डीजल के मूल्य में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था। स्थानीय उद्ग्रहणों इत्यादि पर निर्भर करते हुए खुदरा बिक्री स्तर पर यह मूल्य वृद्धि 2.52 रुपये प्रति लीटर से 3.63 रुपये प्रति लीटर तक के बीच रही। अधिकांश स्थानों में यह मूल्य वृद्धि 3 रुपये प्रति लीटर के अंतर्गत थी। राजसहायता का वर्तमान स्तर, नवंबर 2000 के मूल्यों के आधार पर 3.43 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है।

सार्वजनिक वितरण से संबंधित मिट्टी तेल के मूल्य में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय उद्ग्रहणों इत्यादि पर निर्भर करते हुए खुदरा बिक्री स्तर पर यह मूल्य वृद्धि 2.70 रुपये प्रति लीटर से 2.98 रुपये प्रति लीटर तक के बीच रही। राजसहायता का स्तर नवंबर 2000 के मूल्यों के आधार पर आज की तारीख में 6.98 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है। हाल ही में घोषित खुदरा बिक्री मूल्यों में लगभग 1 रुपया प्रति लीटर की कमी के बाद राजसहायता 22 नवम्बर, 2000 से 7.87 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाएगी।

घरेलू एल पी जी के मूल्य में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय उद्ग्रहणों इत्यादि पर निर्भर करते हुए खुदरा बिक्री स्तर पर यह मूल्य वृद्धि 36.20 रुपये प्रति सिलेंडर से 37.65 रुपये प्रति सिलेंडर के बीच रही। राजसहायता का स्तर नवंबर 2000 के मूल्यों के आधार पर आज 143.76 रुपये प्रति सिलेंडर होने का अनुमान है। हाल ही में घोषित खुदरा बिक्री मूल्यों में लगभग 10 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी के बाद राजसहायता 22 नवम्बर, 2000 से 152.31 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ जाएगी।

ए टी एफ को मार्च 2001 से पहले नियंत्रणमुक्त किया जाना है। इसके घरेलू मूल्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, ए टी एफ के मूल्य में वृद्धि की गई थी। स्थानीय उद्ग्रहणों इत्यादि पर निर्भर करते हुए यह मूल्य वृद्धि 3.60 रुपये प्रति लीटर से 3.76 रुपये प्रति लीटर तक के बीच रही। ए टी एफ का मूल्य वर्तमान में आयात समता स्तर के इर्दगिर्द निर्धारित किया जाता है।

एम एस से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी को प्रति राजसहायता दी जा रही थी। 30.9.2000 से प्रभावी संशोधन के परिणामस्वरूप स्थानीय उद्ग्रहणों के परिणामस्वरूप स्थानीय उद्ग्रहणों आदि के आधार पर खुदरा स्तर पर मूल्यों में 2.35 रुपये प्रति लीटर से 3.47 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई। अधिकांश स्थानों में मूल्य वृद्धि 3 रुपये प्रति लीटर हुई। फिलहाल एम एस में 7.04 रुपये प्रति लीटर की प्रति राजसहायता होती है।

30 सितम्बर, 2000 के बाद बिक्री मूल्यों में की गई वृद्धियों से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान तेल पूल खाते में लगभग 8,000 करोड़ रुपये की राशि मिलने का अनुमान था। मेरे द्वारा हाल ही में घोषित सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के मूल्यों में अधोगामी संशोधन के बाद 30 सितम्बर, 2000 की मूल्य वृद्धियों से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूल लेखे में अब आय लगभग 7,400 करोड़ रुपये होगी अर्थात् जो पहले अनुमानित राशि से 600 करोड़ रुपये कम है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले उल्लेख किया था सरकार ने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क में कमी करके इसे 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया है और पेट्रोलियम उत्पादों (एम एस, एच एस डी, ए टी एफ जैसे परिवहन ईंधनों सहित) पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा एच एस डी पर उत्पाद शुल्क कम करके 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत और एम एस पर 32 प्रतिशत से 16 प्रतिशत कर दिया गया है। चूंकि मिट्टी तेल और एल पी जी पर उत्पाद शुल्क की 8 प्रतिशत की दर न्यूनतम है इसलिए इसमें और कमी नहीं की जा सकी। ये शुल्क छूट 2400 करोड़ रुपये की बनती है और उत्पाद शुल्क की छूट 1600 करोड़ रुपये बनती है जो कुल मिलाकर 4,000

करोड़ रुपये हो जाते हैं। मूल्यों में संशोधन के बाद चूंकि कच्चे तेल का मूल्य 30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से अधिक बना हुआ है और डालर-रुपये के अनुपात का भी एक प्रतिकूल असर पड़ा है, यह अनुमान है कि तेल मूल्य में प्रति डालर वृद्धि के पीछे घाटे में 250 करोड़ रुपये प्रतिमास की दर से वृद्धि होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उपभोक्ताओं के लिए अंतिम मूल्यों में राज्य बिक्री का तत्व भी शामिल होता है जो कुछ राज्यों में 34 प्रतिशत तक ऊंचा है। जब कभी आधार मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो बिक्री करों की यथा मूल्य दरों का खुदरा बिक्री मूल्यों पर प्रपाती प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को बिक्री कर दर को उपयुक्त रूप से समायोजित करने का सुझाव दिया है ताकि जब आधार मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता मूल्यों पर यथामूल्य बिक्री कर उद्ग्रहण के प्रभाव को बेअसर किया जा सके। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गोवा के मुख्य मंत्री ने बिक्री कर में कमी करके अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है।

उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि करना अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और उत्पादों के असामान्य रूप से ऊंचे मूल्यों के मद्देनजर अपरिहार्य हो गया था। यदि घोषित किए गए उपभोक्ता मूल्यों में संशोधन नहीं किए जाते तो तेल विपणन कंपनियों के लिए घरेलू मांग पूरी करने के लिए कच्चे तेल और उत्पादों को जुटा पाना असंभव हो गया होता। हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि कच्चे तेल के मूल्यों में ऐसे स्तर तक कमी आए जिसे हमारा देश वहन कर सके।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए *संख्या* एल.टी. 2365/2000]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताने जा रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सुबह से ही सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाला जाता रहा है। मैं देश के किसानों की समस्याओं को सभा में उठाने की सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्षपीठ भी इस विषय पर किसी भी प्रकार से, स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी, विचार करने की अनुमति देने को तैयार हैं।

दुर्भाग्य से, कुछ माननीय सदस्य न तो अध्यक्षपीठ की बात सुनना चाहते हैं और न ही इस मुद्दे पर व्यवस्थित ढंग से सभा में बहस होने देना चाहते हैं। मैं इन सदस्यों की इस प्रकार की प्रवृत्ति की घोर निन्दा करता हूं। इन परिस्थितियों में, सभा को पूरे दिन के लिए स्थगित करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।

फिर भी, मैं उचित नोटिस पर इस विषय पर कल किसी भी प्रकार से चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं।

अब, सभा कल 22 नवम्बर, 2000 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 नवम्बर, 2000/ 1 अग्रहायण, 1992 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।